रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 74] प्रयागराज, शनिवार, 5 सितम्बर, 2020 ई० (भाद्रपद 14, 1942 शक संवत्) [संख्या 35

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	903–908	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	639–646	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	143–149	975

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश		975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	. .	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	. .	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	437–484	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-2

प्रोन्नति

31 जुलाई, 2020 ई0

सं0 03/2020/1250/दो-2-2020-19/2 (26)/2019—उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के उच्चतम वेतनमान में कार्यरत श्री उदयीराम, पी0सी0एस0 के अधिवर्षता आयु पूर्णकर दिनांक 31 जुलाई, 2020 को सेवानिवृत होने के फलस्वरूप उच्चतम वेतनमान में दिनांक 01 अगस्त, 2020 को प्राप्त होने वाली रिक्ति के सापेक्ष विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 13 जुलाई, 2020 में की गयी संस्तुति के क्रम में महामहिम राज्यपाल महोदया, उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के उच्चतर वेतनमान, वेतन बैण्ड-4, रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे रु0 8,900 (लेवल-13 क) में कार्यरत श्री नगेन्द्र शर्मा, पी0सी0एस0 1999, विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को उच्चतम वेतनमान, वेतन बैण्ड-4, रु0 37,400-67,000, ग्रेड पे रु0 10,000 (लेवल-14) में वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,
मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव।

अनुभाग-4

कार्यालय-ज्ञाप

05 अगस्त, 2020 ई0

सं0 524/दो-4-2020-26/2(5)/2011—उप निबन्धक (एम), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विभिन्न पत्रों के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गयी एल0एल0एम0 डिग्री/उपाधि को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :

क्र0 सं0	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनाती स्थल	उप निबन्धक (एम0) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	श्री योगेश जैन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, हाथरस	सं0 5120/IV-4545/एडमिन(ए-1), दिनांक 19-06-2020	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र	एल0एल0एम0	2018
2	सुश्री दीप्ति यादव, एडिशनल सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/ए0सी0जे0एम0, मथुरा	सं0 5194/IV-4186/एडमिन(ए-1), दिनांक 23-06-2020	दिल्ली विश्वविद्यालय	एल0एल0एम0	2015

आज्ञा से,
एम0 बी0 सिंह,
विशेष सचिव।

गृह विभाग

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-1

प्रोन्नति

24 जुलाई, 2020 ई0

सं0 15/2020/760/छः पु0से0-1-2020-01(अधियाचन)/2020-टी0सी0—चयन वर्ष, 2019-2020 में उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति कोटे में अवधारित रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के अधीन गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 20 जुलाई, 2020 को सम्पन्न बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति पत्र संख्या 31/06/पी0/सेवा—1/2019-2020, दिनांक 21 जुलाई, 2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। पूर्व में कार्यालय आदेश संख्या 11/2020/523/छः पु0से0-1-2020-01(अधियाचन)/2020, दिनांक 03 जून, 2020 द्वारा 31 मई, 2020 तक एवं संख्या 13/2020/658/छः पु0से0-1-2020-01(अधियाचन)/2020, दिनांक 01 जुलाई, 2020 द्वारा 30 जून, 2020 उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष पुलिस निरीक्षकों की पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किये जाने का आदेश निर्गत किया गया।

2—अब चयन वर्ष, 2019-2020 में 30 जून, 2020 में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय चयन समिति की उक्त संस्तुति के अनुक्रम में पुलिस सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत निम्नलिखित निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्रतिसार निरीक्षक एवं दलनायक को उनके आसन्न कनिष्ठ की तिथि से पुलिस उपाधीक्षक, साधारण वेतनमान (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400 पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500) में नोशनल प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र0सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	नाम
1	25	श्री राजकुमार सिंह-II
2	157	श्री शिशिर त्रिवेदी

3—उपर्युक्त प्रोन्नति आदेश मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या 100/2019 श्री विनोद सिंह सिरोही व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा उसके साथ सहसम्बद्ध विशेष अपील संख्या 98/2019, 99/2019 तथा 103/2019 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

4—उपर्युक्त प्रोन्नत कार्मिकों की तैनाती के आदेश निर्गत करने के पूर्व पुलिस उपाधीक्षक के प्रोन्नत कोटा में चयन वर्ष, 2019-2020 में पदों के वास्तविक रूप से रिक्त होने के सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन द्वारा अपने पत्रांक डीजी-2/ब-61ए/2019-20, दिनांक 27 जून, 2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना की पुष्टि कर ली जायेगी।

5—उक्त प्रोन्नत कार्मिकों की तैनाती से पूर्व यह भी पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई अनुशासनिक कार्यवाही आदि प्रचलित/लम्बित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ स्वयं संतुष्ट हो लेंगे तथा यदि पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है, तो तत्काल सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति प्रतिबन्धित करते हुये उसकी सूचना शासन को अविलम्ब उपलब्ध करायी जायेगी।

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग

अनुभाग-1

प्रोन्नति

30 जुलाई, 2020 ई0

सं0 687/22-1-2020-17/2003-I—कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में निम्नलिखित कारापालों को, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद से प्राप्त संस्तुति के आधार पर अधीक्षक कारागार, वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400 के पद पर अस्थायी रूप से प्रोन्नति प्रदान करते हुये 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

चयन वर्ष, 2018-19

क्रमांक	नाम
1	श्री भीमसेन
2	श्री श्रीप्रकाश त्रिपाठी
3	श्री ज्ञान प्रकाश
4	श्री श्री कृष्ण पाण्डेय
5	श्री लाल रत्नाकर सिंह
6	श्री अशोक कुमार सागर

चयन वर्ष, 2019-20

क्रमांक	नाम
1	श्रीमती हर्षिता मिश्रा
2	श्री विनय कुमार

2—यदि कोई याचिका अथवा प्रत्यावेदन विचाराधीन है, तो प्रश्नगत पदोन्नति उक्त याचिका/प्रत्यावेदन में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

3—उक्त अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक् से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

कृषि विभाग

अनुभाग-1

पदोन्नति

30 जुलाई, 2020 ई0

सं0 14/2020/1410/12-1-20-110/2019—उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (समूह-क पद) में कार्यरत श्री अरबिन्द कुमार सिंह, उप कृषि निदेशक को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर उनसे कनिष्ठ श्री राजेन्द्र कुमार सिंह के संयुक्त कृषि निदेशक के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 19 जून, 2020 से नोशनल पदोन्नति तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 7,600, मैट्रिक्स लेवल-12) में संयुक्त कृषि निदेशक के पद पर वास्तविक पदोन्नति प्रदान किये जाने की राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—उक्त प्रोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 20764/2019, अशोक कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 19564 (एस0एस0)/2019, आनन्द कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 21053 (एस0एस0)/2019, इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 22815 (ए0एस0)/2019, डा0 अशोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अग्रिम निर्णय के अधीन होंगी।

श्री अरबिन्द कुमार सिंह के तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 15/2020/1411/12-1-20-110/2019—उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (समूह-क पद) में कार्यरत श्री जगदीश कुमार, उप कृषि निदेशक को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर उनसे कनिष्ठ श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान के संयुक्त कृषि निदेशक के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 19 जून, 2020 से नोशनल पदोन्नति तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 7,600, मैट्रिक्स लेवल-12) में संयुक्त कृषि निदेशक के पद पर वास्तविक पदोन्नति प्रदान किये जाने की राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—उक्त प्रोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 20764/2019, अशोक कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 19564 (एस0एस0)/2019, आनन्द कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 21053 (एस0एस0)/2019, इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 22815 (ए0एस0)/2019, डा0 अशोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अग्रिम निर्णय के अधीन होंगी।

श्री जगदीश कुमार के तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अनुभाग-1

पदोन्नति

24 जुलाई, 2020 ई0

सं0 2471/सत्ताईस-1-2020-39/2019—सिंचाई विभाग के अन्तर्गत चयन वर्ष 2019-20 में प्रमुख अभियन्ता (सिविल) (वेतनमान रु0 67,000-79,000, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-15) के पद पर चयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 18 फरवरी, 2020 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक के क्रम में दिनांक 15 जुलाई, 2020 को अनुपूरक/पुनर्विचार सम्बन्धी विभागीय चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से श्री अशोक कुमार सिंह की प्रमुख अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के आदेश दिनांक 22 फरवरी, 2020 को इसके निर्गमन की तिथि से ही रिकाल/निरस्त किये जाने तथा दिनांक 30 जून, 2020 को घटित प्रमुख अभियन्ता (सिविल) की रिक्ति के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु उपयुक्त पाया गया है।

2—उक्त के क्रम में शासन के आदेश संख्या 595/सत्ताईस-1-2020-39/2019, दिनांक 22 फरवरी, 2020 द्वारा श्री अशोक कुमार सिंह, मुख्य अभियन्ता स्तर-1 को प्रमुख अभियन्ता (सिविल) (वेतनमान रु0 67,000-79,000, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-15) के पद पर की गई नियमित पदोन्नति को रिकाल/निरस्त करते हुये दिनांक 30 जून, 2020 को घटित प्रमुख अभियन्ता (सिविल) की रिक्ति के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3—श्री अशोक कुमार सिंह की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

4—उक्त आदेश विभिन्न मा0 न्यायालयों/अधिकरणों के समक्ष प्रचलित रिट याचिकाओं/निर्देश याचिकाओं आदि में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2472/सत्ताईस-1-2020-39/2019—सिंचाई विभाग के अन्तर्गत चयन वर्ष 2019-20 में प्रमुख अभियन्ता (सिविल) (वेतनमान रु0 67,000-79,000, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-15) के पद पर चयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 18 फरवरी, 2020 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक के क्रम में दिनांक 15 जुलाई, 2020 को अनुपूरक/पुनर्विचार सम्बन्धी विभागीय चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें चयन समिति द्वारा मा0 न्यायालय के आदेशों के समादर में, विधिक बाध्यतावश दिनांक 01 जुलाई, 2019 से 31 जुलाई, 2019 तक की अवधि हेतु प्रमुख अभियन्ता (सिविल) के 01 अधिसंख्य पद सृजित होने की प्रत्याशा में श्री राजीव कुमार सिंह के कनिष्ठ श्री विनोद कुमार सिंह की प्रमुख अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति की तिथि 01 जुलाई, 2019 से नोशनल पदोन्नति तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु उपयुक्त पाया गया है।

2—उक्त के क्रम में श्री राजीव कुमार सिंह, मुख्य अभियन्ता (सिविल) स्तर-1 को उनके कनिष्ठ श्री विनोद कुमार के पदोन्नति की तिथि 01 जुलाई, 2019 के सापेक्ष सम्प्रति पद की अनुपलब्धता के कारण प्रमुख अभियन्ता (सिविल) (वेतनमान रु0 67,000-79,000, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-15) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से वास्तविक पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु रिकाल/निरस्त/अधिसंख्य पद का सृजन किये जाने के सम्बन्ध में पृथक् से कार्यवाही की जा रही है।

3—श्री राजीव कुमार सिंह की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

4—उक्त आदेश विभिन्न मा0 न्यायालयों/अधिकरणों के समक्ष प्रचलित रिट याचिकाओं/निर्देश याचिकाओं आदि में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

आज्ञा से,
टी0 वेंकटेश,
अपर मुख्य सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अनुभाग-3

प्रभार

14 जुलाई, 2020 ई0

सं0 987/23-3-2020-16 ई0एस0/2020 टी0सी0—कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ से सम्बद्ध श्री पंकज कुमार सिंघल, मुख्य अभियन्ता को नितान्त कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता, अलीगढ़ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़ के पद का अस्थाई रूप से प्रभार प्रदान किया जाता है।

2—अस्थायी रूप से प्रदान किया जा रहा उक्त प्रभार प्रश्नगत पद पर नियमित/स्थायी तैनाती होने पर स्वतः समाप्त हो जायेगा।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0—23 हिन्दी गजट—भाग 1—2020 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0 प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 5 सितम्बर, 2020 ई० (भाद्रपद 14, 1942 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

हाथरस के जिलाधिकारी की आज्ञा

29 जुलाई, 2020 ई0

सं0 1477/डी0एल0आर0सी0/2020–उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के शासनादेश संख्या 68/3-2(6)/1979-रा-1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रवीण कुमार लक्षकार, जिलाधिकारी, हाथरस निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिरे से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद हाथरस की तहसील हाथरस के ग्राम कलवारी में बाल विकास परियोजना कार्यालय के नाम निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूं। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हे0		
1	हाथरस	हाथरस	हाथरस	कलवारी	33	0.0220	श्रेणी-5-3 ङ/अन्य कृषि योग्य बंजर	बाल विकास परियोजना कार्यालय हेतु।

प्रवीण कुमार लक्षकार,
जिलाधिकारी, हाथरस।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

13 अगस्त, 2020 ई0

सं0 5018/अ0जि0भू0अ0/आगरा–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि 43वीं वाहिनी पी0ए0सी0 एटा के माध्यम से प्रशिक्षण केन्द्र जनपद एटा, तहसील एटा, परगना एटा, सकीट ग्राम रारपट्टी में कुल 0.232 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्यन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित द्वारा दिनांक 30 मई, 2019 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–

(i) 43वीं वाहिनी पी0ए0सी0 प्रशिक्षण केन्द्र एटा के लिये भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

(ii) इस परियोजना के निर्माण से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4–भूमि अर्जन के कारण कुल .....x..... परिवार के विस्थापित होने की संभावना है एक विस्थापन के लिये अपरिहार्य निम्नवत् है–

.....x.....

.....x.....

.....x.....

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर.....को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं।

जिला	तहसील	परगना	गांव	प्लाट नं0	प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
एटा	एटा	एटा सकीट	रारपट्टी	987	0.232

अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निदेश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है :

August 13, 2020

No. 5018/अ0जि0भू0अ0/आगरा–Under Sub-section (1) of Section 11 of the Right Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 0.232 hectares of land is required in the Village-Rarpatti, Pargana-Etah Sakeet, Tehsil-Etah, District Etah is required for public purpose, namely, Project 43rd Vahini PAC Prashikshan Kendra, Etah.

1. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the appropriate government which has approved its recommendation on dated 30-05-2019.

2. The Summary of the Social Impact Assessment Report as follows :

(i) Land is acquired for public purpose namely Project 43rd Vahini PAC Etah.

(ii) There is no any other entry effect construction of this Project.

3. A total of ……x…….family are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under :

Deputy Collector/Assistant Collector……..is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

4. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose:

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Etah	Etah	Etah Sakeet	Rarpatti	987	0.232

5. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to takes necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

6. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within (days) 60 after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

7. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE–A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(Sd.) ILLEGIBLE,
State Government/Collector, Etah.

कार्यालय, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

21 जुलाई, 2020 ई0

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2017 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/893/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा 2017 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री शिव प्रकाश सिंह पुत्र श्री चन्द्र शेखर सिंह, निवासी ग्राम अडिलापुर, पोस्ट अमटौरा, तहसील सहजनवां, जिला गोरखपुर, उ0प्र0 (अनुक्रमांक-209321) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800+ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री शिव प्रकाश सिंह नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथानियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–श्री शिव प्रकाश सिंह का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथासमय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री शिव प्रकाश सिंह की सेवायें समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होंगी।

4–श्री शिव प्रकाश सिंह को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5–श्री शिव प्रकाश सिंह को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, अयोध्या जोन अयोध्या के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

श्री शिव प्रकाश सिंह को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

24 जुलाई, 2020 ई0

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2017 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/1003/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा 2017 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री मीनाक्षी वर्मा पुत्री श्री एस0एन0एस0 वर्मा, निवासी-31, सिद्धार्थनगर, नियर अम्बेडकर पार्क, स्ट्रीट नं0-1, 31, शेरगढी, 1 मेडिकल कालेज शास्त्रीनगर, जिला मेरठ–250004 (अनुक्रमांक-005809) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800+ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–सुश्री मीनाक्षी वर्मा नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगी। यह अवधि यथानियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–सुश्री मीनाक्षी वर्मा का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथासमय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3—सुश्री मीनाक्षी वर्मा की सेवायें समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होंगी।

4—सुश्री मीनाक्षी वर्मा को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5—सुश्री मीनाक्षी वर्मा को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन द्वितीय गाजियाबाद के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

सुश्री मीनाक्षी वर्मा को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2017 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/1004/वाणिज्य कर—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा 2017 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री जय प्रकाश पुत्र श्री सन्त लाल, चकसोन रायपुरी जगत्नाथपुर, गोपीगंज सन्तरविदासनगर (भदोही) उ0प्र0, 221303 (अनुक्रमांक-197231) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800+ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है—

1—श्री जय प्रकाश नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथानियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2—श्री जय प्रकाश का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथासमय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3—श्री जय प्रकाश की सेवायें समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होंगी।

4—श्री जय प्रकाश को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5—श्री जय प्रकाश को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन प्रथम गाजियाबाद के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

श्री जय प्रकाश को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अमृता सोनी,
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, हमीरपुर

17 जून, 2020 ई0

सं0 404/स्पीड/अधिसूचना/स0सु0/2020—केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबन्धित किया जा सकता है।

और जहां उक्त अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1988 के नियम 178 द्वारा जनपद के मोटर यान रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/पंजीयन प्राधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06 अप्रैल, 2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबन्धित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1988 के नियम 178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हमीरपुर जनपद होकर संचालित वाहनों को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के मार्गों के या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है—

क्र0 सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबन्धित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबन्धित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर/थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त माल यान एवं स्तम्भ 4, 5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्रीयान
1	2	3	4	5	6	7
			प्रति घण्टा	प्रति घण्टा	प्रति घण्टा	प्रति घण्टा
1	हमीरपुर-महोबा-सागर मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग-34, राष्ट्रीय राज मार्ग से सम्बन्धित है 43 कि0मी0	हमीरपुर से गहबरा	40 कि0मी0	60 कि0मी0	60 कि0मी0	50 कि0मी0
2	हमीरपुर-कालपी मार्ग, राज्य मार्ग-91, दूरी 22 कि0मी0	हमीरपुर से सरसई	40 कि0मी0	60 कि0मी0	60 कि0मी0	50 कि0मी0
3	मौदहा-बिवार (अन्य जिला मार्ग-मुस्करा-राठ (राज्य मार्ग सं0-42), दूरी-61 कि0मी0	मौदहा से राठ	40 कि0मी0	60 कि0मी0	60 कि0मी0	50 कि0मी0
4	मौदहा-टिकरी-इचौली मार्ग (एम0डी0आर0-10) दूरी-25 कि0मी0	मौदहा से इचौली	40 कि0मी0	60 कि0मी0	60 कि0मी0	50 कि0मी0

1	2	3	4	5	6	7
			प्रति घण्टा	प्रति घण्टा	प्रति घण्टा	प्रति घण्टा
5	सुमेरपुर-टेढा-जसपुरा (राज्य मार्ग संख्या-134), दूरी-16.25 कि0मी0	ग्राम इसुली से सुमेरपुर	40 कि0मी0	60 कि0मी0	60 कि0मी0	50 कि0मी0
6	इंगोहटा-छानी मार्ग (अन्य जिला मार्ग) 18.00 कि0मी0	इंगोहटा से छानी	40 कि0मी0	40 कि0मी0	40 कि0मी0	40 कि0मी0
7	मौदहा-कुन्हेटा-बसवारी (प्रमुख जिला मार्ग)-राठ (राज्य मार्ग, दूरी-57.70 कि0मी0	मौदहा से राठ	40 कि0मी0	40 कि0मी0	40 कि0मी0	40 कि0मी0
8	सुमेरपुर-पंधरी-टोला-सिसोलर-टिकरी (अन्य जिला मार्ग) दूरी 32.310 कि0मी0	सुमेरपुर से टिकरी	40 कि0मी0	40 कि0मी0	40 कि0मी0	40 कि0मी0
9	कुरारा-मनकी मार्ग (अन्य जिला मार्ग) 23.150 कि0मी0	कुरारा-मनकी सेतु	40 कि0मी0	40 कि0मी0	40 कि0मी0	40 कि0मी0
10	कुरारा-भौली-भटपुरा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) 14.43 कि0मी0	कुरारा-भटपुरा	40 कि0मी0	40 कि0मी0	40 कि0मी0	40 कि0मी0
11	कुरारा-बेरी-कदौरा मार्ग (अन्य जिला मार्ग), 24.10 कि0मी0	कुरारा-बेरी-कदौरा	40 कि0मी0	40 कि0मी0	40 कि0मी0	40 कि0मी0
12	हमीरपुर-राठ (एस0एच0-42), 93.05 कि0मी0	हमीरपुर-राठ-मझगवां	40 कि0मी0	60 कि0मी0	60 कि0मी0	50 कि0मी0
13	बिलराया पनवाड़ी मार्ग (एस0एच0-21), 42.841 कि0मी0	चिकासी-राठ-गिरवर	40 कि0मी0	60 कि0मी0	60 कि0मी0	50 कि0मी0
14	मुस्करा-खरेला (ग्रामीण मार्ग) 50 कि0मी0	हमीरपुर-मुस्करा	40 कि0मी0	40 कि0मी0	40 कि0मी0	40 कि0मी0
15	बिवॉर-सरीला-राठ (ग्रामीण मार्ग) 90 कि0मी0	हमीरपुर-बिवॉर-सरीला-राठ	40 कि0मी0	40 कि0मी0	40 कि0मी0	40 कि0मी0

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा–

1–मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबन्धित स्थान के दोनों छोर-प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह-जगह पर आई0आर0सी0 कोर्ड के मानक अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

2–उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1988 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–

(अ) अग्नि शमन वाहन।

(ब) एम्बुलेन्स।

(स) पुलिस वाहन।

(द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।

(य) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिये प्रयुक्त वाहन।

3–उपरोक्त तालिका के कॉलम-3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 112 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 137, दिनांक 06 अप्रैल, 2018 समय-समय पर यथा संशोधित द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू हरेगी।

भगवान प्रसाद,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, हमीरपुर।

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), प्रयागराज

28 जुलाई, 2020 ई0

सं0 590/सा0प्रशा0/2020–वाहन संख्या यू0पी0-79बी-2552 (टवेरा कार) के वाहन स्वामित्व हस्तान्तरण का पृष्ठांकन दिनांक 13 जुलाई 2020 को रामजी पटेल पुत्र मोहन लाल पटेल, पता गधिना लोहर का पुरवा, महरौड़ा, प्रयागराज ने अपने नाम पृष्ठांकित कराया गया है। दिनांक 13 जुलाई, 2020 के पूर्व प्रश्नगत वाहन श्री अफजल मुहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद पता टिकरी ताबदालपुर हरिसेनगंज, मऊआईमा, प्रयागराज पिन-212507 के नाम पृष्ठांकित थी। उपरोक्त वाहन के संदर्भ में जनपद औरैया से अनापत्ति प्रमाण-पत्र का सत्यापन कराया गया, जिसके उपरान्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) औरैया ने अपने पत्रांक 223/सा0प्र0/अना0प्रमा0का0/2020, दिनांक 24 जुलाई, 2020 द्वारा अवगत कराया कि उनके कार्यालय से प्रश्नगत वाहन संख्या यू0पी0-79बी-2552 का अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं जारी किया गया है साथ में कार्यालय आदेश संख्या मेमो/टी0आर0/यू0पी0-79बी-2552/07, दिनांक 07 जून, 2007 द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, औरैया द्वारा प्रश्नगत वाहन का पंजीयन चिन्ह निरस्त किया जा चुका है। इन परिस्थितियों में आपकी वाहन संख्या यू0पी0-79बी-2552 जनपद प्रयागराज में भी कूटरचित प्रपत्रों का प्रयोग करके पंजीकृत करायी गयी थी।

अतः मैं, डॉ0 सियाराम वर्मा, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, प्रयागराज मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 (5) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए पंजीयन चिन्ह यू0पी0-79बी-2552 का पंजीयन निरस्त करता हूं तथा यह आदेश देता हूं कि वाहन संख्या यू0पी0-79बी-2552 संचालन तुरन्त बंद कर दिया जाय एवं वाहन की पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं चेसिस का टुकड़ा इस कार्यालय में तुरन्त जमा करवा दिया जाय जिसका विवरण निम्नवत् है–

1– UP-79B-2552 (टवेरा कार)
2–माडल–2008
3–चेसिस नम्बर–MA6AB6G766HE35919
4–इंजन नम्बर–3EF36241
5–हार्सपावर–2499CC
6–सीट–7 in all
7–ULW–1660 KG
8–GVW–2360 KG

डॉ सियाराम वर्मा,
पंजीयन अधिकारी,
(प्रशासन), प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0–23 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2020 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 5 सितम्बर, 2020 ई० (भाद्रपद 14, 1942 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ–जिला पंचायत

24 जुलाई, 2020 ई0

सं0 3654/विकास सहायक/2018-19–जिला परिषद्, आगरा ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम की धारा 239 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) प्रकीर्ण के उपखण्ड (घ) के साथ पठित धारा 143 तथा 144 के अधीन बटेश्वर मेला को नियमित करने के उद्देश्य से निर्मित उपविधियों को विज्ञप्ति संख्या 37/इक्कीस-86 (65-66), दिनांक 16 अगस्त, 1973 के अन्तर्गत राजपत्र दिनांक 01 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित की गयी थी जिसका संशोधन विज्ञप्ति संख्या 9/इक्कीस-86 (65-66), दिनांक 03 अक्टूबर, 1977 के अन्तर्गत हुआ था और जो राजपत्र के दिनांक 22 अक्टूबर, 1977 में प्रकाशित की गयी थी। द्वितीय संशोधन विज्ञप्ति संख्या 367/इक्कीस-86 (65-66), दिनांक 18 अक्टूबर, 1978 में प्रकाशित की गयी थी। तृतीय संशोधन विज्ञप्ति संख्या 3941/पच्चीस-86 (65-66), दिनांक 30 अगस्त, 1980 के अन्तर्गत हुआ था और जो राजपत्र दिनांक 13 दिसम्बर, 1980 में प्रकाशित की गयी थी। चतुर्थ संशोधन विज्ञप्ति संख्या 1521/इक्कीस-85 (65-66), दिनांक 03 अक्टूबर, 1985 के अन्तर्गत हुआ था और जो राजपत्र में दिनांक 09 नवम्बर, 1985 में प्रकाशित की गई थी। पंचम संशोधन विज्ञप्ति संख्या 3703(1)/इक्कीस-86(65-66), दिनांक 25 जुलाई, 1986 के अन्तर्गत हुआ था और जो राजपत्र में दिनांक 18 अक्टूबर, 1986 में प्रकाशित की गयी थी। षष्ठम संशोधन विज्ञप्ति संख्या 1713(1)/इक्कीस-86(65-66), दिनांक 12 फरवरी, 1988 के अन्तर्गत हुआ था। सप्तम संशोधन विज्ञप्ति संख्या 103/इक्कीस-86(65-66), दिनांक 07 अक्टूबर, 1988 के अन्तर्गत हुआ था। अष्ठम संशोधन विज्ञप्ति संख्या 533(1)/इक्कीस-86(65-66), दिनांक 19 नवम्बर, 1988 के अर्न्तगत हुआ था। नवां संशोधन विज्ञप्ति संख्या 59/इक्कीस-86(65-66), दिनांक 06 अक्टूबर, 1993 के अन्तर्गत हुआ था। दसवां संशोधन विज्ञप्ति संख्या 2473/इक्कीस-86(65-66), दिनांक 26 अप्रैल, 1997 के अन्तर्गत हुआ था और राजपत्र के दिनांक 12 जुलाई, 1997 में प्रकाशित हुआ। ग्यारहवां संशोधन राजपत्र दिनांक 20 सितम्बर, 2003 को प्रकाशित हुआ। बारहवां संशोधन राजपत्र दिनांक 18 अक्टूबर, 2008 में प्रकाशित हुआ। तेरहवां संशोधन राजपत्र दिनांक 14 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुआ में निम्नवत् संशोधन किया जाना

प्रस्तावित है। अतः मैं, अनिल कुमार आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके इन नवीन उपविधियों की पुष्टि करते हुए एतद्द्वारा प्रकाशित कराता हूं। यह संशोधित उपविधियां गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी–

खण्ड-9

01–यातायात पर नियंत्रण रखने हेतु मेला समिति एक या अधिक वाहन अड्डे कायम कर सकती है एवं इन अड्डों पर ठहरने वाले वाहनों से निम्न निर्धारित संशोधित शुल्क वसूल किया जायेगा :

क्र0 सं0	वाहन की किस्म	वर्तमान दर	संशोधित दर
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	प्राईवेट परमिट वाली मोटर बस	100.00 प्रति चक्कर	125.00 प्रति चक्कर
2	प्राईवेट टूरिस्ट मोटर बस	100.00 प्रति चक्कर	125.00 प्रति चक्कर
3	मोटर ट्रक	200.00 प्रति चक्कर के स्थान पर	
		(अ) छः टायर वाला मोटर ट्रक 250.00 प्रति चक्कर के स्थान पर	250.00 प्रति चक्कर
		(ब) दस टायर वाला मोटर ट्रक	300.00 प्रति चक्कर
4	मेटाडोर, मिनी बस एवं छोटी बॉडी वाली ट्रक जिसके अन्तर्गत डी0सी0एम0 टोयटा, स्वराज्य माजदा, टाटा 407, मेटाडोर 307 सम्मिलित है एवं अन्य सभी वाहन सम्मिलित हैं	100.00 प्रति चक्कर के स्थान पर (अ) चार पहियों वाली छोटी बॉडी वाले मोटर ट्रक वाहन	
		60.00 प्रति चक्कर के स्थान पर	125.00 प्रति चक्कर
		(ब) मैक्स स्टेशन बैगन आदि	75.00 प्रति चक्कर
5	ट्रैक्टर मय ट्रॉली के	50.00 प्रति चक्कर	70.00 प्रति चक्कर
6	राज्य परिवहन निगम की बस	125.00 प्रति चक्कर	150.00 प्रति चक्कर
7	जीप व कार	30.00 प्रति चक्कर	40.00 प्रति चक्कर
8	ऑटो रिक्शा, टेम्पो, विक्रम आदि	20.00 प्रति चक्कर	30.00 प्रति चक्कर
9	जानवरों द्वारा खींचे जाने वाला वाहन	5.00 प्रति चक्कर	10.00 प्रति चक्कर
10	रिक्शा व ठेला	5.00 प्रति चक्कर	10.00 प्रति चक्कर
11	मोटर साईकिल, स्कूटर, मोपेड	10.00 प्रति चक्कर	15.00 प्रति चक्कर
12	साईकिल स्टैण्ड पर साईकिल	5.00 प्रति चक्कर	10.00 प्रति चक्कर

2–मेले में पशुओं की लदाई व उतराई हेतु मेला समिति आवश्यकतानुसार एक या अधिक चबूतरे बनवाकर लदाई व उतराई निम्न संशोधित दर से वसूल किया करेगी :

क्र0 सं0	वाहन की किस्म	वर्तमान दर	संशोधित दर
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	छोटा ट्रक या मेटाडोर आदि जिसमें पशु लदे हों, लदाई-उतराई-पृथक्-पृथक्	70.00 प्रति चक्कर के स्थान पर (अ) चार पहियों वाली छोटी बॉडी वाले मोटर ट्रक/वाहन जिसमें पशु लदे हों, लदाई-उतराई-पृथक्-पृथक्	100.00 प्रति चक्कर
		30.00 प्रति चक्कर के स्थान पर (ब) मैक्स स्टेशन बैगन आदि जिसमें पशु लदे हों, लदाई-उतराई-पृथक्-पृथक्	50.00 प्रति चक्कर

1	2	3	4
		रु0	रु0
2	बड़ा ट्रक जिसमें पशु लदे हों, लदाई-उतराई-पृथक्-पृथक्	150.00 प्रति चक्कर के स्थान पर	
		(अ) छः टायर वाला मोटर ट्रक एवं 10 टायर वाला मोटर ट्रोला जिसमें पशु लदे हों, लदाई-उतराई-पृथक्-पृथक्	200.00 प्रति चक्कर

खण्ड-10

वर्तमान उपविधि	संशोधित उपविधि
1	2
1–मेले में किसी भी व्यक्ति को पशुओं की दलाली के रूप में कार्य नहीं करने दिया जायेगा जब तक कि वह मु0 रु0 500.00 शुल्क अदा कर सचिव से निर्धारित प्रपत्र पर लाईसेंस प्राप्त न कर लें।	1–मेले में किसी भी व्यक्ति को पशुओं की दलाली के रूप में कार्य नहीं करने दिया जायेगा जब तक कि वह मु0 रु0 600.00 शुल्क अदा कर सचिव से निर्धारित प्रपत्र पर लाईसेंस प्राप्त न कर लें।

3–प्रत्येक व्यक्ति जो मेले में पशु/पशुओं का क्रय या विक्रय करता है पशु/पशुओं को देने या लेने से पूर्व उसे कर्मचारी से उसकी रजिस्ट्री करानी होगी, जो कि इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया हो। निर्धारित शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त रजिस्ट्री करने वाले कर्मचारी निर्धारित प्रपत्र में एक रसीद जारी करेगा, उक्त रजिस्ट्री का संशोधित शुल्क निम्नवत् होगा :

क्र0 सं0	पशु/पशुओं की किस्म	वर्तमान दर	संशोधित दर
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	हाथी	700.00 के स्थान पर	1,000.00
2	अन्य सभी चौपाये जिनमें ऊंट, घोड़ा, घोड़ी, टट्टू, खच्चर, गधा, बैल, गाय, भैंस, भैंसा बछड़ा	400.00 के स्थान पर	
		(अ) घोड़ा, घोड़ी एवं घोड़े का बच्चा 200.00 के स्थान पर	600.00
		(ब) अन्य सभी चौपाये जिनमें ऊंट, खच्चर, गधा, बैल, गाय, भैंस, टट्टू, भैंसा, पड़िया, बछड़ा	300.00
3	सूअर, भेड़, बकरी, बकरा	75.00	100.00

4–रजिस्ट्री करने वाले मुहर्रिर से निम्न जमानत शुल्क वसूल की जायेगी, जो कि अन्तिम जमा दर्ज हो जाने के उपरान्त उन्हें वापिस कर दी जायेगी :

क्र0 सं0	किस्म वही	वर्तमान जमानत	संशोधित जमानत
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	हाथी प्रति बही	7,000.00 के स्थान पर	10,000.00
2	अन्य जानवरों की रजिस्ट्रेशन की प्रति बही	10,000.00 के स्थान पर	
		(अ) घोड़ा, घोड़ी की रजिस्ट्रेशन की प्रति बही 5,000.00 के स्थान पर	15,000.00
		(ब) अन्य जानवरों की रजिस्ट्रेशन की प्रति बही	8,000.00

नोट–यह व्यवस्था इस प्रकार कारगर रहेंगी कि एक बही जिसमें 10 पृष्ठ होंगे का कुल रजिस्ट्रेशन मूल्य के गुणांक के समतुल्य धनराशि एवं उसके अतिरिक्त प्रत्येक बही की दर से क्रमशः मु0 15,000.00 एवं मु0 8,000 जमा होंगे।

वर्तमान उपविधि	संशोधित उपविधि
1	2
1–पशुओं के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्री करने वाले मुहर्रिर को प्रति पशु हाथी पर रु0 60.00 की दर से तथा जानवरों पर प्रति पशु रु0 15.00 की दर से कमीशन देय होगा, जिसका आधा-आधा क्रेता-विक्रेता को देना होगा प्रतिबन्ध यह है कि यह कार्य यदि जिला पंचायत के कर्मचारियों को सौंपा जाता है तो यह कमीशन जिला निधि में जमा करना होगा।	1–पशुओं के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्री करने वाले मुहर्रिर को प्रति पशु हाथी पर रु0 70.00 की दर से तथा घोड़ा-घोड़ी पर रु0 20.00 प्रति पशु तथा अन्य जानवर पर प्रति पशु रु0 15.00 की दर से कमीशन देय होगा जिसका आधा-आधा क्रेता-विक्रेता को देना होगा प्रतिबन्ध यह है कि यह कार्य यदि जिला पंचायत के कर्मचारियों को सौंपा जाता है तो यह कमीशन जिला निधि में जमा करना होगा।

खण्ड-11

दुकानों तथा व्यावसायिक स्थानों व फेरी, खोमचें आदि पर शुल्क की संशोधित दर निम्नवत् निर्धारित की जाती है :

क्र0 सं0	वस्तु का नाम	वर्तमान दर	संशोधित दर
1	2	3	4
		रु0 प्रति फुट	रु0 प्रति फुट
1	मरम्मत, ताले, छाते, बर्तन, झलाई,	50.00	60.00
2	गन्ना विक्रेता	30.00	40.00
3	ठप्पे लकड़ी	40.00	50.00
4	टाल भूसा, चारा, लकड़ी, कण्डा काठार	40.00	50.00
5	फल एवं साग सब्जी विक्रेता	40.00	50.00
6	चूड़ी कांच, वरवर, बिछुआ, (बिसातखाना)	60.00	70.00
7	जेवर गिलट, स्टील, एलमोनियम	40.00	50.00
8	पूड़ी पराठा, नानवाई	40.00	50.00
9	बांस व छड़ी विक्रेता	40.00	50.00
10	देशी दवा जड़ी बूटी विक्रेता	40.00	50.00
11	नाई की दुकान	40.00	50.00
12	पत्थर का सामान	80.00	100.00
13	लोहे की तिजोरी, अलमारी एवं अन्य मरम्मत की दुकान	100.00	125.00
14	प्रकीर्ण	50.00	70.00
15	किताब विक्रेता	70.00	80.00

1	2	3	4
		रु0 प्रति फुट	रु0 प्रति फुट
16	कपड़ा सूती टेरीकोट, रेशमी	100.00	125.00
17	मूंगा कच्चा, कण्ठी एवं माला घंटी	100.00	125.00
18	लकड़ी का सामान	100.00	125.00
19	ढोलक विक्रेता	80.00	100.00
20	जूता, चप्पल विक्रेता	80.00	100.00
21	पंसारी, परचूनियां	80.00	100.00
22	पान, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू	80.00	100.00
23	चाय, मिठाई, नमकीन, खजला, होटल ढाबा	80.00	100.00
24	कण्ठी पलेबा, जीन, झूल आदि साज-सामान जानवरों की	80.00	100.00
25	कंघी की दुकान	40.00	50.00
26	सुर्मा काजल विक्रेता	50.00	60.00
27	इमारती लकड़ी के सामान की दुकान	150.00	175.00
28	दांतों की दुकान	80.00	100.00
29	साफ्टी आइसक्रीम की दुकान	100.00	125.00
30	बर्तन, पीतल, तांबा, स्टील, एल्युमिनियम	80.00	100.00
31	चांदी के जेवरात	80.00	100.00
32	लोहिया	80.00	100.00
33	चरसा	80.00	100.00
34	ग्रामोफोन, रेडियो, लाउडस्पीकर, बैटरी	80.00	100.00
35	बिजली के सामान के विक्रेता	80.00	100.00
36	हण्डा गैस बत्ती की दुकान	80.00	100.00
37	फोटोग्राफर की दुकान	80.00	100.00
38	दरी कालीन कम्बल, खोल, ऊंनी, सूती	80.00	100.00
39	सौदागार हौजरी	80.00	100.00
40	देशी-विदेशी कपड़े	80.00	100.00
41	पुराने कम्बल, पुराने ऊन, सूती कपड़े	80.00	100.00
42	ऐसी दुकान/स्टॉल जिन पर लाउडस्पीकर के साथ प्रचार सहित बिक्री की जाती है प्रतिबन्ध है कि दो से अधिक हार्न स्पीकर चालू नहीं करेंगे	300	400.00
43	हींग की दुकान	100.00	125.00

1	2	3	4
		रु0 प्रति फुट	रु0 प्रति फुट
44	सदर बाजार की दुकान	250.00 के स्थान पर	
		(अ) सदर बाजार में कम्बल बाजार, काठ बाजार, बक्सा बाजार एवं पीतल बाजार तथा बिसात खाना बाजार	350.00
		175.00 के स्थान पर	
		(ब) सदर बाजार, पुराना हींग बाजार एवं बिछुआ बाजार तथा फायर ब्रिगेड बजार की दुकानें	225.00
45	ठेला वालों, खोमचे वालों, झोली वालों से निम्नवत् शुल्क लिया जायेगा–		
	(क) ठेला तीन व चार पहियों पर	100.00	125.00
	(ख) ठेला तीन अथवा चार पहियों पर (सदर बाजार)	200.00	250.00
	(ग) खोमचें, झोली, फेरी वाले	80.00	100.00
	(घ) हींग की झोली फेरी वाले	200.00	250.00
	(ङ) जूता मरम्मत का कार्य	50.00	70.00
	(च) मशीन भविष्यफल बताने वाली	50.00	70.00
	(छ) चारे की मशीन हांथ की	80.00	100.00
	(ज) चारे की मशीन पावर की	100.00	125.00
	(झ) गोदनी मशीन	50.00	70.00
46	विभिन्न प्रकार के कृषि यन्त्र (राजकीय के अलावा)	3,500.00	4,000.00
47	हाथों द्वारा चलाये जाने वाले (झूला) फिक्स लकड़ी का	400.00	450.00
48	हाथों द्वारा चलाये जाने वाले झूला (चलता फिरता हो)	200.00	250.00
49	हवाई झूला 40 फीट ऊंचा	5,000.00 के स्थान पर	
		(अ) 40 फीट ऊंचा	6,500
		6,500.00 के स्थान पर	
		(ब) 40 फीट से अधिक ऊंचा	8,000.00

1	2	3	4
		रु0 प्रति फुट	रु0 प्रति फुट
50	हवाई झूला 30 फीट ऊंचा	4,000.00	5,500.00
51	हवाई झूला 20 फीट ऊंचा	3,000.00	4,000.00
52	कुर्सी घोड़ा आदि वाला चलित	1,000.00 प्रति झूला	1,250.00 प्रति झूला
53	बच्चे की रेलगाड़ी अन्य चलित	2,200.00 प्रति झूला	2,500.00 प्रति झूला
54	सिनेमा स्थान 40 फीट x 100 फीट तक	7,500.00 प्रति	8,500.00 प्रति
55	आडियो-वीडियो स्थान उपरोक्तानुसार	4,500.00 प्रति	5,000.00 प्रति
56	नौटंकी (स्थान 40 फीट x 100 फीट)	3,000.00 प्रति	4,000.00 प्रति
57	डांस पार्टी (स्थान उपरोक्तानुसार)	4,000.00 प्रति	5,000.00 प्रति
58	अन्य शो वर्ग फुट की दर से	1.50.00 पैसा वर्ग फुट	2.25.00 प्रति वर्ग फुट
59	विज्ञापन एवं प्रचार शुल्क		
	(क) मोटर, कार, जीप द्वारा	1,000.00 प्रति वाहन	1,250.00 प्रति वाहन
	(ख) टैम्पो, ऑटो, रिक्शा ट्रैक्टर	450.00 प्रति वाहन	500.00 प्रति वाहन
	(ग) रिक्शा, साईकिल, तांगा, इक्का	350.00 प्रति वाहन	400.00 प्रति वाहन
	(घ) साईकिल हाथ का ठेला द्वारा	300.00 प्रति वाहन	3.50.00 प्रति वाहन
	(ङ) दीवार लिखना, स्टैन्सिल छापना, हैण्डबिल बांटना, पोस्टर चिपकाना (राजकीय के अलावा)	400 प्रति	450.00 प्रति

दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 249 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, आगरा यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा, उसको उक्त नियम के अन्तर्गत अर्थदण्ड दिया जायेगा और यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जायेगा तो कारावास का दण्ड दिया जायेगा, जो तीन माह तक हो सकेगा।

अनिल कुमार,
आयुक्त,
आगरा मण्डल, आगरा।

पी0एस0यू0पी0–23 हिन्दी गजट–भाग 3–2020 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 5 सितम्बर, 2020 ई० (भाद्रपद 14, 1942 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन, मथुरा

07 अगस्त, 2020 ई0

सं0 758/रा0वि0/न0नि0म0वृ0, मथुरा/2020–नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा द्वारा नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 401, 438, 451, 452 व 541 (20) (41) व (49) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन टावर स्थापना नियंत्रण एवं विनियमन उपविधि बनायी गयी है। जिसे मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 एवं मा0 सदन ने अपने प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 15 नवम्बर, 2019 द्वारा संशोधन करते हुऐ सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार करते हुये पारित किया गया है। तद्नुसार उपविधि में संशोधन करते हुऐ कार्यालय-पत्र संख्या 571/रा0वि0/न0नि0म0वृ0, मथुरा/2019 दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को तीन दैनिक समाचार-पत्रों 'अमर उजाला', 'दैनिक जागरण', एवं 'हिन्दुस्तान' में 15 दिवस में आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन कराते हुऐ नगर निगम की वेबसाईट **nnmvonline.in** पर अपलोड करा दिया गया, किन्तु निर्धारित अवधि तक कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुये। तत्क्रम में उपविधि का गजट कराये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसे मा0 कार्यकारिणी समिति बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2020 प्रस्ताव संख्या 06 द्वारा उक्त उपविधि के गजट कराये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। उपविधि गजट प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

''टावर स्थापना नियंत्रण एवं विनियमन उपविधि, 2018''

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) यह उपविधि नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन (टावर स्थापना नियंत्रण एवं विनियमन) उपविधि, 2018 कही जायेगी।

(2) यह नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन की सीमा मे लागू होगी।

(3) यह गजट मे प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत होगी।

2–परिभाषाएं–

(1) जब तक विषय या संदर्भ मे कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि मे–

(एक) ''अधिनियम'' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है,

(दो) ''टावर'' से तात्पर्य रेडियो, दूरदर्शन मोबाईल फोन या अन्य फोन या दूरसंचार सम्बन्धी अन्य माध्यमों के संकेतक या रश्मियां भेजने और संयोजन तथा संवाहकता स्थापित रखने हेतु निर्मित ऊंची संरचना से है,

(तीन) ''सेवा प्रदाता'' का तात्पर्य किसी कम्पनी, उसके कर्मचारी अभिकर्ता, अनापत्ति, संविदा कर्ता या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से है जिसके द्वारा अथवा पर्यवेक्षण में टावर लगाया जाना प्रस्तावित हो या लगाया गया हो,

(चार) ''भवन'' के अर्न्तगत मकान घर के बाहर के कक्ष छादक झोपड़ी या अन्य घिरा हुआ स्थान या ढांचा है चाहे वह पत्थर, ईंट, लकड़ी, मिट्टी धातु या अन्य किसी वस्तु से बना हो और चाहे वह मनुष्यों को रहने के लिये या अन्यथा प्रयुक्त होता हो और इसके अर्न्तगत बरामदे, चबूतरे, मकानो की कुर्सियों, दरवाजे की सीढियों, दीवालें तथा हाते की दीवालें और मेड़ तथा ऐसे ही अन्य निर्माण भी हैं,

(पाँच) ''भूमि'' के अर्न्तगत ऐसी भूमि है जिस पर कोई निर्माण हो अथवा निर्माण हो चुका है अथवा जो पानी से ढकी हो, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, भूमि से संलग्न अथवा भूमि से संलग्न किसी वस्तु से स्थाई सूत्र से बांधी हुई वस्तुयें, और वे अधिकार हैं जो किसी सड़क के सम्बन्ध में विधायन द्वारा सृजित हुये हों,

(छः) ''निगम'' से तात्पर्य नगर निगम मथुरा वृन्दावन से है।

(2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम से परिभाषित शब्दों और पदों, के वही अर्थ होगें जो अधिनियम मे उनके लिये समनुदेशित हों।

3–प्रतिषेध–

(1) नगर आयुक्त से पूर्व में लिखित अनापत्ति प्राप्त किये बिना कोई सेवा प्रदाता कम्पनी, कर्मचारी अभिकर्ता, अनापत्ति या संविदाकर्ता या कोई व्यक्ति निगम की सीमा के भीतर किसी भूमि या भवन या वाहन पर कोई टावर या इसी प्रकार की अन्य संरचना जिससे किसी सामान्य प्रज्ञावले व्यक्ति को टावर होने का आभास हो न तो प्रतिष्ठापित करेगा न परिनिर्मित करेगा, न खड़ा करेगा, न गाड़ेगा।

(2) निगम की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्य अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित पूर्व अनापत्ति के बिना ऐसे भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई टावर न प्रतिष्ठापित करेगा, न परिनिर्मित करेगा, न खड़ा करेगा, न गाड़ेगा, और न ही किसी व्यक्ति कम्पनी संस्था या उसके कर्मचारी अभिकर्ता या अनापत्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई टावर प्रष्ठिापित करने देगा न परिनिर्मित करेगा, न खड़ा करेगा, न गाड़ेगा।

(3) कोई टावर इस रीति से स्थापित नहीं किया जायेगा जिससे यातायात अथवा समीपस्थ भवनों तथा उनके अध्यासियों को नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता अथवा लोक सुरक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान हो।

4–अनापत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया–

(1) अनापत्ति प्राप्त करने के लिये प्रत्येक आवेदन विनिर्दिष्ट प्रपत्र में किया जायेगा जिसे रु0 1,000.00 भुगतान करके नगर निगम के कार्यालय से या निगम वेबसाइट से डाउन लोड कर प्राप्त किया जा सकता है। नगर निगम कार्यालय से प्राप्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के साथ रसीद संलग्न करनी होगी और वेबसाइट से डाउन लोड किया गया आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय उसके साथ आवेदन-पत्र के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) आवेदक द्वारा भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा जारी अपेक्षित लाइसेन्स अथवा पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न किया जायेगा।

(3) प्रत्येक आवेदन-पत्र मे ऐसी भूमि, भवन या स्थान के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना निहित होगी जहां ऐसी भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित टावर प्रतिष्ठापित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना खड़ा किया जाना, गाड़ा जाना, चिपकाया जाना या लटकाया जाना वांछित हो।

(4) आवेदन-पत्र के साथ टावर की प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित, संरचना, अभियन्ता से सुदृढता सम्बन्धी रिपोर्ट, आवश्यक चित्र तथा संगणना प्रस्तुत की जायेगी।

(5) आवेदक द्वारा भूमि अथवा भवन का स्वामित्व प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। यदि आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन-पत्र के साथ ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुमति एवं उसके स्वामित्व प्रमाण-पत्र साथ संलग्न करनी होगी।

(6) भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को यह लिखित समझौता करना होगा कि किसी व्यतिक्रम की स्थिति मे यह टावर हेतु देय प्रत्येक प्रकार के शुल्क का भुगतान करने के लिये दायी होगा।

(7) टावर से सम्बन्धि विवरण जैसे ऊॅचाई, भार, भूतल पर स्थापित या छत पर एन्टिना की संख्या तथा अन्य अपेक्षित सूचनायें और विशिष्टयां अंकित की जायेगी।

(8) आटोमोटिव रिसर्च एसोसियेशन ऑफ इण्डिया (ARAI) द्वारा डीजी जनरेटर सेट के निर्माता को जारी टाइप टेस्ट सर्टीफिकेट (type teast certificate) की प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित होगा।

(9) ऊँचे भवनो की दशा में विभाग की अनापत्ति के क्लियरेन्स प्राप्त किया जायेगा।

(10) संरक्षित वन क्षेत्र मे विभाग की अनापत्ति वांछित होगी।

(11) सेवा प्रदाता कम्पनी अथवा उसके प्रतिनिधि से किये गये अनुबन्ध मे दी गयी शर्तो अथवा किसी ऐसे प्राविधान जो शासन/प्रशासन अथवा नगर निगम स्तर से किसी नीति अथवा मानक मे कोई परिवर्तन होता है, तो वह अनापत्ति सेवा प्रदाता कम्पनी को मान्य होगा।

5– अनापत्ति प्रदान किये जाने की शर्त–

(1) किसी टावर को प्रतिष्ठपित करने, परिनिर्मित करने, खड़ा करने या गाड़ने की अनापत्ति निम्नलिखित निबन्धनों एवं शर्तो के अधीन प्रदान की जायेगी–

(क) अनापत्ति केवल उसी अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी हो, बशर्ते शुल्क इस उपविधि के अधीन संदत्त और जमा किया गया हो।

(ख) टावर को समुचित स्थितियों और दशाओं मे रखा और अनुरक्षित किया जायेगा।

(ग) प्रदान की गई अनापत्ति अन्तरणीय नही होगी।

(घ) सेवा प्रदाता कम्पनी या व्यक्ति ऐसी अवधि जिसके लिये अनापत्ति दी गई थी, की समाप्ति के एक सप्ताह के पूर्व अनापत्ति नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क जमा करेगा। शुल्क न जमा करने की स्थिति में एक सप्ताह मे टावर हटा दिया जायेगा।

(ङ) टावर अनापत्तित स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे परिनिर्मित किये जायेंगे। टावर किसी हैरिटेज/संरक्षित स्मारकों/भवनों पर स्थापित नही किये जायेंगे।

(च) टावर से समीपस्थ भवनों के आवागमन, प्रकाश और वातायन में किसी भी रूप मे व्यवधान नही डाला जायेगा और न ही लोक बाधा अथवा यातायात मे बाधा उत्पन्न की जायेंगी।

(छ) लोकहित मे नगर आयुक्त या उसके इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अनापत्ति अवधि समाप्त होने से पूर्व भी अनापत्ति-पत्र को निलम्बित कर दें।

(ज) ढांचो, अवलम्बों और पट्टियों सहित टावर की अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किये जायेंगे। समस्त धात्विक पूर्जो के वैद्युत भू-आच्छादन की व्यवस्था की जायेगी और सभी वायरिंग सुरक्षित और रोधित रखी जायेंगी।

(झ) भूमि अथवा छत पर लगाने वाले बेस द्वारा रिसीविंग सिस्टम (बी0टी0एस0) के सम्बन्ध में भवन के ढांचे की डिजायन तथा टावर के स्थायित्व और सुदृढ़ता के प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में स्थानीय निकाय या राज्य सरकार का सी0बी0आर0आई0, रुड़की या आई0आई0टी0, एन0आई0आई0टी0 या किसी अन्य संस्था के अधिकृत संरचना, अभियन्ता द्वारा की गयी लिखित आख्या अपेक्षित होगा।

(ञ) किसी भवन के छत पर कोई टावर इस प्रकार प्रतिष्ठापित नही किया जायेगा जिससे छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश में व्यवधान हो।

(ट) कोई टावर किसी छत पर तब तक प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा जब तक सम्पूर्ण छत अज्वलनशील सामग्री का न हो।

(ठ) कोई टावर विद्यमान भवन एलाइनमेन्ट से बाहर किसी भी दशा में नही बढ़ेगा।

(ड) प्रत्येक टावर को पूर्णतया सुरक्षित रखा जायेगा। ऐसे भवन या संरचना जिस पर प्रतिष्ठापित या परिनिर्मित हो, का सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक मार्गों में सुरक्षित रूप से सवितरित होंगे।

(ढ) विमान पत्तनों के समीप टावर स्थापना हेतु विमान पत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(ण) टावर के स्थापना हेतु प्रथम वरीयता वन क्षेत्र एवं द्वितीय वरीयता आबादी से दूर खुले या सार्वजनिक क्षेत्र को दिया जायेगा। टावर आवासीय क्षेत्रों में लगाने से बचा जाय किन्तु जहां यह सम्भव न हो वहां यथासम्भव खुली भूमि पर उसे स्थापित किया जाय।

(त) टावर पर लगा एन्टिना समीपस्थ भवन से न्यूनतम 03 मी0 दूर और उसका निम्न धरातल अथवा छत से न्यूनतम 03 मी0 की ऊँचाई पर होगा।

(थ) टावर की स्थापना किसी शैक्षिक संस्थान अस्पताल परिसर अथवा सकरी गलियॉ (जिनकी चौ0 5 मी0 से कम हो) मे नही की जायेगी। टावर किसी अस्पताल अथवा शैक्षिक संस्था के 100 मी0 त्रिज्या मे स्थापित नही किये जायेगे।

(द) टावरों की स्थापना हेतु (भूमिगत या छत पर) एन्टीना के ठीक सामने कोई बिल्डिंग इत्यादि होने की स्थिति मे टावर/बिल्डिंग की न्यूनतम दूरी निम्नवत होगी–

क्रमांक	गुणज एन्टीना की संख्या	एन्टीना से बिल्डिंग/संरचना की दूरी (सुरक्षित दूरी) (मी0 में)
1	2	35
2	4	45
3	6	55
4	8	65
5	10	70
6	12	75

(ध) क्षेत्र विशेष मे कई कम्पनियों द्वारा ट्रांसमिशन स्थल वांछित होने पर उन्हें यथा सम्भव एक ही टावर पर स्थापित कराना होगा।

(न) टावर अथवा उस पर स्थापित एंटिना तक सामान्य जन के पहुंच को समुचित तरीके जैसे कटीले तार, छत पर जाने के दरवाजे अथवा बाउण्ड्री वाल बनाकर गेट पर ताला आदि लगा कर प्रतिबन्धित किया जायेगा। अनुरक्षण कर्मियों को भी यथासम्भव कम से कम अवधि के लिये टावर तक पहुंचने की अनुमति दी जायेगी।

(प) टायर स्थल पर साइन बोर्ड उपलब्ध कराया जायेगा जो स्पष्ट दृष्टव्य होगा और चेतावनी चिन्ह स्थल के प्रवेश द्वार पर लगाना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप मे अंकित किया जाये–

1–विकिरण का खतरा, कृपया अन्दर प्रवेश न करें।

2–प्रतिबन्धित क्षेत्र।

(फ) सेवा/अवस्थापना प्रदाता कम्पनियों द्वारा भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (डॉट) के टर्म सेल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार रेडिएशन के सभी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ब) प्रत्येक सेवा/अवस्थापन प्रदाता कम्पनी, उसके अभिकर्ता, अनापत्ति, कर्मचारी या स्वामी द्वारा टावर स्थापना के समय स्थल के चारों ओर बेरीकटिंग, टिन आदि लगाकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(भ) ऐसे स्थलों जहाँ यातायात हेतु दृष्यता मे बाधा और व्यवधान उत्पन्न हो वहां टावर लगाने की अनापत्ति नहीं दी जायेगी।

(म) जहां इससे स्थानीय नगरीय सुविधाये प्रभावित हो वहां अनुमति देय नहीं होगी।

(य) आवेदक द्वारा विभिन्न सम्बन्धित विभागों और प्राधिकारियों से आवश्यकतानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(र) टावर की स्थापना मरम्मत या सम्बन्धित अन्य कार्यों के सम्पादन के समय या पश्चात् जन सुविधा का पूर्ण दायित्व आवेदक अथवा सेवा प्रदाता का होगा। किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति और उसके परिणामों के लिये आवेदक या सेवा प्रदाता उत्तरदायी होगा।

(ल) टावर पर किसी प्रकार का विज्ञापन सम्प्रदर्शित नही किया जा सकेगा।

(ब) भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध मे समय-समय पर निर्धारित अन्य नियम और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

6–**क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र–**

(क) प्रत्येक सेवा प्रदाता कम्पनी उसके अभिकर्ता, अनापत्ति, कर्मचारी या स्वामी द्वारा टावर या टावर की स्थापना से हुई दुर्घटना या किसी हानि के लिये क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) प्रत्येक स्थापित टावर की वजह से किसी प्रकार की जन हानि होती है। तो प्रत्येक सेवा प्रदाता कम्पनी, अनापत्ति, कर्मचारी या समस्त प्रकार की क्षतिपूर्ति हेतु पूर्णतया जिम्मेदार होगा।

7–**सम्पत्ति कर का आरोपण–**

टावर के पास निर्मित जनरेटर कक्ष, उपकरण कक्ष, चौकीदार कक्ष या अन्य कक्षों पर अधिनियम के सुंसगत प्राविधानो के अधीन सम्पत्ति कर का आरोपण किया जायेगा साथ ही अनावासीय भवनों हेतु शासन द्वारा बनायी गयी गृहकर/जलकर नियमावली के अनुसार निर्धारित किये गये गृहकर/जलकर की धनराशि अनापत्ति शुल्क के अतिरिक्त वसूली जायेगी, जिसका सम्बन्ध अनापत्ति शुल्क से नहीं होगा।

8–**अनापत्ति की अवधि और नवीनीकरण–**

नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन के सम्पत्ति विभाग द्वारा टावर स्थापना की अनापत्ति एवं नवीनीकरण आदि की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। किसी टावर की अनापत्ति अधिकतम 02 वर्ष के लिये दी जायेगी, 02 वर्ष पश्चात पुनः टावर स्थापना की नवीनीकरण कराना होगा। अनापत्ति शुल्क 02 वर्ष के लिये अग्रिम रूप से जमा किया जा सकता है।

9–**टावर को हटाने की शक्ति तथा स्थान परिवर्तन–**

(क) यदि कोई टावर उपविधि के उल्लंघन मे प्रतिष्ठापित किया जाता है, परिनिर्मित किया जाता है, खड़ा किया जाता है, या गाड़ा जाता है, या लोक सुरक्षा के लिये परिसंकटमय या खतरनाक हो या सुरक्षित यातायात संचालन हेतु बाधा और अशान्ति का कारण हो, तो नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकता है और जमा प्रतिभूति से अधिक धनराशि व्यय होती है, तो नियमानुसार उसका आंकलन कर नोटिस के माध्यम से वसूली की कार्यवाही सम्बन्धित सेवा प्रदाता कम्पनी अथवा प्रतिनिधि से की जायेगी।

(ख) किन्हीं कारणों से यदि टावर के स्थान मे परिवर्तन किया जाता है, तो उस पर आने वाले समस्त क्षतिपूर्ति/व्यय का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अनापत्तिपी/सेवा प्रदाता कम्पनी का होगा

10–**टावर पर निर्बन्धन–**

किसी संविदा या अनुबन्ध में अन्तर्विष्ट किसीबात के प्रतिकूल होते हुये भी किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने, परिनिर्मित करने खडा करने, या गाड़ने की अनापत्ति निम्नलिखित स्थिति मे नही दी जायेगी–

(क) टावर संस्थापक कम्पनी को टावर के शीर्ष पर लाल बल्ब लगाना अनिवार्य होगा।

(ख) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानो पर जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो।

(ग) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग, यान मार्ग के छोर से 20 मी0 के भीतर।

(घ) अन्य मार्गो के यानमार्ग के छोर से 10 मी0 के भीतर।

(ङ) ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवनों, चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के ऊपर।

(च) जब इससे स्थानीय, नागरिक सुविधायें प्रभावित और बाधित हो।

(छ) किसी परिसर के बाहर क्षेपित हो।

(ज) दो टावरों के बीच की दूरी कम से कम 100 मी0 से कम न हो।

(झ) विद्यालय/चिकित्सालय /सार्वजनिक कार्यालय आदि के आस-पास अनापत्ति नहीं दी जायेगी।

(ञ) विवाद की स्थिति में सुनवाई/निर्णय लेने के अधिकार मा0 कार्यकारिणी समिति को होगा''

(ट) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित निषिद्ध क्षेत्र के भीतर हो।

(ठ) उपरोक्त अनापत्ति शुल्क एवं प्रतिभूत धनराशि जमा कराते हुये नगर निगम मथुरा-वृन्दावन द्वारा एन0ओ0सी0 जारी की जायेगी। तदोपरान्त मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण मथुरा द्वारा नगरीय क्षेत्र में टावर लगाये जाने हेतु अनुमति/अनापत्ति प्रदान की जायेगी।

11–**निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा–**

नगर निगम राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी स्थान या स्थानों, क्षेत्र या क्षेत्रों को टावर प्रतिष्ठापित करने परिनिर्मित करने, खड़ा करने, या गाड़ने के लिये निषिद्ध घोषित कर सकती है।

12–**अनुरक्षण–**

(1) सभी टावर जिनके लिये अनापत्ति अपेक्षित है, अवलम्बों बधनी, रस्सा औरस्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे, जो कि ढांचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी और यदि चमकीले अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नही है तो उन पर मोर्चा आदि से रोकने हेतु रंग रोगन किया जायेगा।

(2) प्रत्येक सेवा प्रदाता कम्पनी, उसके कर्मचारी, अभिकर्ता, अनापत्ति या व्यक्ति का यह कर्तव्य और दायित्व होगा कि वह टावर से आच्छादित परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

13–**प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति–**

नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोजमाप या जॉच करने के प्रयोजन के लिये या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिये जो इस उपविधि के अधीन हो, किसी उपबन्ध के अनुसरण के सहायकों या श्रमिकों के साथ या उसके बिना किसी परिसर या उसमें प्रवेश कर सकता है।

14–**शुल्क का निर्धारण तथा भुगतान की रीति–**

(1) नगर निगम मथुरा वृन्दावन सीमा क्षेत्र में स्थापित टावरों हेतु **वार्षिक शुल्क रू0 50,000.00 प्रति टावर और प्रतिभूति (धरोहर धनराशि) धनराशि रू0 30,000.00 प्रति टावर होगी,** वार्षिक शुल्क आगामी वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के पूर्व देय होगी तथा प्रतिभूति धनराशि टावर स्थापित किये जाने की अनुमति लिये जाने के पूर्व नगर निगम मथुरा वृन्दावन के पक्ष मे देय होगी। उक्त देय धनराशि का भवन/भूमि पर आरोपित गृहकर/जलकर से कोई सम्बन्ध नही होगा।

(2) वार्षिक शुल्क एकल किस्त मे संदेय होगा। जब तक पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाय तब तक किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने, परिनिर्मित करने, खडा करने गाडने की अनुमति नही दी जायेगी।

(3) किसी कटौती के न होने पर प्रतिभूति की पूरी धनराशि और कटौती अथवा, समायोजन होने पर अवशेष धनराशि अनापत्ति समाप्त होने की तिथि से एक सप्ताह मे बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

15– शा**स्ति और अपराधों की प्रशमन–**

(1) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार से उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो रू0 पांच हजार तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा मे प्रथम उल्लंघन तिथि की सिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा, ऐसे जुर्माने, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा।

(2) इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराधी के लिये निर्धारित के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनाधिक धनराशि वसूल करने पर नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

अनुसूची
कार्यालय नगर निगम मथुरा वृन्दावन
टावर स्थापना हेतु आवेदन-पत्र
[नियम 4 (1) देखें]

मूल्य रु0 1,000.00

1–आवेदक का नाम .....

2–(1) अभिकरण, प्रतिष्ठान कम्पनी या संस्था का नाम.....

3–(2) बेबसाइट (यदि कोई हो,)

4–पता (1) अभिकरण, प्रतिष्ठान कम्पनी या संस्था का नाम.....

.....

(2) आवेदक का नाम.....

(3) दूरभाष संख्या .....

(4) ई-मेल .....

5–आवेदित टावर का प्रकार.....

6–टावर का आकार (ऊंचाई सहित) .....

7–स्थल मानचित्र सहित स्थल की अवस्थिति .....

8–भूमि, भवन या स्थान के स्वामी का नाम .....

9–(एक) स्वामित्व प्रमाण-पत्र के साथ स्वामी की लिखित अनुमति संलग्न की जाय।

(दो) स्वामी द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र कि चूक की दशा में टावर स्थापना हेतु देय समस्त शुल्कों के भुगतान का दायी होगा–संलग्न किया जाये।

(तीन) नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्धारित।

10–वार्षिक शुल्क–रु0 .....

11–निर्धारित प्रतिभूति शुल्क–रु0 .....

(दो) किस्त की धनराशि

12–अन्य विवरण .....

संलग्नक .....

स्थान .....

दिनांक .....

रवीन्द्र कुमार मांदड़,
आई0ए0एस0,
नगर आयुक्त,
नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन,
मथुरा।

कार्यालय, नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन, मथुरा

07 अगस्त, 2020 ई0

सं0 756/रा0वि0/न0नि0म0वृ0, मथुरा/2020–उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधि0 सं0 02 सन् 1959) की धारा 172 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) धारा 114 की उपधारा 3 (9-क) तथा धारा 541 के खण्ड (3) के अधीन पार्किंग शुल्क उपविधि बनायी गयी है जिसे मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 एवं मा0 सदन ने अपने विशेष प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 15 नवम्बर, 2019 द्वारा संशोधनों के साथ सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार करते हुऐ पारित किया गया है। तद्नुसार उपविधि में संशोधन करते हुये कार्यालय पत्र संख्या 572/रा0वि0/न0नि0म0वृ0, मथुरा/2019, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को तीन दैनिक समाचार-पत्रों 'अमर उजाला', 'दैनिक जागरण' एवं 'हिन्दुस्तान' में 15 दिवस में आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन कराते हुऐ नगर निगम की वेबसाईट **nnmvonline.in** पर अपलोड करा दिया गया, किन्तु निर्धारित अवधि तक कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुये। तत्क्रम में उपविधि का गजट कराये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसे मा0 कार्यकारिणी समिति बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2020 प्रस्ताव संख्या 04 द्वारा उक्त उपविधि के गजट कराये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। उपविधि गजट प्रकाशन होने की दिनांक से लागू होगी।

पार्किंग उपविधि, 2019

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–यह उपविधि नगर निगम मथुरा वृन्दावन ''पार्किंग उपविधि, 2019-20'' कही जायेगी।

2–यह नगर निगम मथुरा वृन्दावन की सीमा में लागू होगी।

3–यह गजट मे प्रकाशित होने की दिनांक से प्रवृत होगी।

2–परिभाषाएं–

(1) जब तक विषय संदर्भ मे कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में–

(एक) ''अधिनियम'' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है।

(दो) ''निगम'' से तात्पर्य नगर निगम, मथुरा वृन्दावन से है।

(तीन) ''नगर आयुक्त'' से तात्पर्य नगर निगम, मथुरा वृन्दावन के नगर आयुक्त से है।

(चार) ''पार्किंग स्थल'' का तात्पर्य नगर निगम मथुरा वृन्दावन हेतु गठित समिति द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार चिहिन्त किये जाने वाले पार्किंग स्थलों/स्टैण्डों से है, जहां पर चलने वाले सवारी वाहनों का ठहराव, सवारी उतारने/चढ़ाने तथा माल लोड/अनलोड किया जाता है, जिनका अनुमोदन नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा वृन्दावन द्वारा किया गया हो।

(पाँच) प्राईवेट/व्यवसायिक पार्किंग का तात्पर्य ऐसे पार्किंग स्थल से है जो निजी भूमि पर व्यावसायिक उद्देश्य से वाहनों की पार्किंग/वसूली की जाती है।

(छः) प्राईवेट पार्किंग का तात्पर्य व चिन्हित स्थल जहाँ पर दिन/रात में हल्के चार पहिया वाहन जो व्यक्तिगत प्रयोग मे लाये जाते है, जैसे कार, जीप, स्पोर्टस यूटीलिटी व्हीकल इत्यादि पार्क किये जायेंगे, समझा जायेगा।

(सात) व्यावसायिक पार्किंग का तात्पर्य व चिन्हित स्थल जहाँ पर भारी/वाणिज्यिक वाहन जो लघु/विस्तृत औद्योगिक इकाईयां के प्रयोग में लाये जाते है, जैसे व्यवसायिक तीन पहिया वाहन, ट्रक, मिनी ट्रक, ट्राली इत्यादि पार्क किये जायेंगे, समझा जायेगा।

(आठ) सार्वजनिक वाहन का तात्पर्य नगर निगम, मथुरा वृन्दावन सीमा क्षेत्र में चलने वाले सवारी वाहनों तथा माल लोड/अनलोड करने वाले वाहन से है।

(2) इन उपविधि मे प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों, के वही अर्थ होगे जो अधिनियम मे उनके लिये समनुदेशित हों।

3–प्रतिषेध–

(1) नगर आयुक्त द्वारा घोषित किये गये पार्किंग स्थलों/स्टैण्डों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर कोई सार्वजनिक वाहन नही खड़े किये जायेगे। निर्धारित पार्किंग स्थल/स्टैण्ड के अतिरिक्त अन्य किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन खड़े कर सवारी भरना उपविधि का उल्लंघन माना जायेगा।

(2) नगर निगम, मथुरा वृन्दावन द्वारा चिन्हित पार्किंग स्थल/स्टैण्ड के 500 मीटर की परिधि के क्षेत्र मे कोई भी प्राईवेट/व्यवसायिक वाहन पार्किंग स्थल/स्टैण्ड नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी प्राईवेट/व्यवसायिक वाहन खड़े पाये जायेंगे, उन्हें चैन माउन्टेड क्रेन वाहन द्वारा उठाकर पार्किंग स्थल/स्टैण्ड पर खड़ा कर दिया जायेगा। पार्किंग स्थल/स्टैण्ड पर ले जाने एवं खड़ा करने के दौरान आने वाले खर्च और यदि वाहन में कोई टूट फूट अथवा क्षति होती है तो उसके लिये नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

(3) चैन माउन्टेड क्रेन वाहन या अन्य किसी विधि से उठाये गये वाहनों पर उपविधि मे उल्लिखित समिति द्वारा निर्धारित किये गये दण्ड शुल्क एवं हर्जे खर्चे की धनराशि जमा करने के उपरान्त ही चेतावनी के साथ वाहन को छोड़ा जायेगा।

(4) वाहन जब्त किये जाने से 8-8 घण्टे के अन्तराल पर जुर्माने की धनराशि में वृद्धि होती जायेगी, जिसके लिये वाहन स्वामी स्वयं उत्तरदायी होगा। दण्ड शुल्क एवं हर्जे खर्चे की वसूली पार्किंग शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, जिसकी वसूली पार्किंग वसूली पार्किंग प्रभारी द्वारा की जायेगी, जिसका पार्किंग स्थल के ठेकेदार से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

(5) निर्धारित पार्किंग स्थल/स्टैण्ड के अतिरिक्त नियत परिधि में खड़े पाये जाने वाले वाहनों से समिति द्वारा निर्धारित किये गये दण्ड शुल्क या उपविधि में नियमानुसार निर्धारित जुर्माने की वसूली पार्किंग प्रभारी द्वारा वसूल की जायेगी।

(6) निर्धारित पार्किंग स्थल/स्टैण्ड की परिधि में आने वाले क्षेत्र में वाहनों के पार्किंग के अतिरिक्त अन्य कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा। पार्किंग स्थल/स्टैण्ड की परिधि मे किसी प्रकार का अतिक्रमण या निर्माण पाये जाने की दशा में पार्किंग का ठेका निरस्त करते हुये नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

4–प्राईवेट पार्किंग के लिये उपबन्ध–

(1) निगम की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्य अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसे भूमि या भवन के किसी भाग पर वाहनों की पार्किंग नहीं करायेगा और न ही बिना नगर निगम से अनुबन्धित कराये कोई वसूली करेगा।

(2) अनुबन्ध हेतु निर्धारित प्रतिवर्ष शुल्क की दरें निम्नानुसार हैं–

1–50 वाहन खड़े करने की क्षमता वाले पार्किंग स्थल–रु0 20,000.00

2–50 से 100 तक वाहन खड़े करने की क्षमता वाले पार्किंग स्थल–रु0 35,000.00

3–100 से 200 तक वाहन खड़े करने की क्षमता वाले पार्किंग स्थल–रु0 50,000.00

4–200 से ऊपर वाहन खड़े करने की क्षमता वाले पार्किंग स्थल–रु0 1,00,000.00

वाहन की क्षमता अनुसार नगर निगम द्वारा निर्धारित पार्किंग शुल्क जमा करते हुये अनुबन्धित कराना आवश्यक होगा।

(3) प्राईवेट पार्किंग संचालक नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रति वाहन पार्किंग शुल्क की दरों से अधिक वसूली नहीं करेगा।

(4) प्राईवेट पार्किंग संचालक को पार्किंग स्थल पर जनसुविधाओं यथा शौचालय, पेयजल व्यवस्था तथा बैठने के लिये टीन शेड एवं कुर्सी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

(5) ठेकेदार के पार्किंग कर्मचारियों का ड्रैस निर्धारित हो।

(6) पार्किंग रसीदों पर पार्किंग स्वामी का नाम, पता व मोबाईल नं0 अंकित होना चाहिये।

(7) पार्किंग करने वाले वाहन स्वामी का नाम, वाहन नं0, व समय रसीदों पर अंकित किया जाये।

(8) पार्किंग स्थल पर निर्धारित रेट लिस्ट का बोर्ड लगाया जाये।

(9) पार्किंग स्थल पर गाड़ी चोरी आदि की जिम्मेदारी पार्किगं स्वामी की होगी।

(10) पार्किंग स्वामी व निगम के बीच विवाद की होने की स्थिति में कार्यकारिणी समिति द्वारा विवाद निस्तारित किया जायेगा।

5–पार्किंग शुल्क दरें–

नगर निगम, मथुरा वृन्दावन सीमा क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग शुल्क (सवारी भरने या माल उतारने एवं चढ़ाने हेतु) की प्रतिदिन दरें निम्नवत् होंगी–

वाहन का नाम	पार्किंग शुल्क
1–ट्रक व बस मिनी बस, मेटाडोर,	रु0 100.00
2–कार, जीप, टैक्सी-सूमो आदि	रु0 50.00
3–टैम्पा, थ्री-व्हीलर, ई रिक्शा	रु0 30.00
4–मोटर साइकिल, स्कूटर	रु0 10.00
5–साईकिल	रु0 02.00

6–(क) पार्किंग स्थल/स्टैण्ड का चयन–

(1) पार्किंग स्थलों/स्टैण्डों के चयन हेतु अपर नगर आयुक्त, अधिशासी अभियन्ता, पार्किंग प्रभारी, जिला प्रशासन/पुलिस अधीक्षक (यातायात) द्वारा नामित अधिकारी एवं कम से कम एक जनप्रतिनिधि की गठित समिति द्वारा नगर क्षेत्र के सभी पार्किंग स्थलों/स्टैण्डों का स्थलीय सत्यापन कर सूची नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा वृन्दावन के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

(2) पार्किंग स्थल के चयन के अतिरिक्त निविदा/अनुबन्ध की शर्तों एवं दण्ड शुल्क आदि निर्धारित करने का अधिकार धारा 4 (1) के अर्न्तगत नियुक्त समिति को होगा, जो तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक समिति द्वारा कोई नया निर्णय न किया जाये।

(3) समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी पार्किंग स्थलों/स्टैण्डों की सूची, निविदा/अनुबन्ध की शर्तों एवं दण्ड शुल्क आदि पर अन्तिम रूप से निर्णय लेने का सर्वाधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा वृन्दावन में निहित होगा।

7–नियम व शर्तें–

(क) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व धर्मार्थ कार्य में लगे वाहन तथा संस्थानों/विद्यालयों के ऐसे वाहन जो छात्र-छात्राओं को ले जाने मे प्रयुक्त होते है, पार्किंग शुल्क से मुक्त होंगे।

(ख) नगर निगम सीमान्तर्गत चलने वाले सवारी वाहनों एवं माल वाहनों जो नगर निगम सीमा में सवारी उतारने एवं माल लोड/अपलोड करने वाले वाहनों पर पार्किंग/स्टैण्ड शुल्क देना अनिवार्य होगा।

(ग) समस्त सार्वजनिक वाहन (सवारी वाहन) नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा वृन्दावन द्वारा निर्धारित किये गये पार्किंग स्थल/स्टैण्ड पर ही खड़े होंगे। पार्किंग स्थलों/स्टैण्डों का चयन तथा स्थान परिवर्तन करने का अधिकार उपविधि की धारा 4 (क) के अर्न्तगत नियुक्त समिति में निहित होगा।

(घ) निर्धारित पार्किंग स्थल/स्टैण्ड के अतिरिक्त वाहनों को खड़ा कर सवारी भरते पाये जाने पर नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा वृन्दावन द्वारा निर्धारित की गयी धनराशि दण्ड स्वरूप उनके द्वारा वसूली की जायेगी।

(ङ) पार्किंग शुल्क का ठेका नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त पार्किंग स्थलों/स्टैण्डों का एक साथ या अलग-अलग उपविधि की धारा 4 (क) के अर्न्तगत नगर आयुक्त द्वारा नियुक्त समिति द्वारा लिये गये निर्णय एवं निर्धारित किये गये शर्तों के अनुसार प्रत्येक वर्ष तब तक किया जाता रहेगा जब तक समिति द्वारा कोई नया निर्णय न किया गया हो, किन्हीं परिस्थितियों मे यदि समिति द्वारा लिये गये निर्णय में कोई विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है तो उक्त परिस्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा वृन्दावन द्वारा लिये गये निर्णयों को अन्तिम माना जायेगा। आगामी वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के पूर्व समस्त ठेके निविदा या खुली बोली के माध्यम से सम्पादित कर लिये जायेंगे। किन्हीं कारणों से यदि ठेका दिनांक 31 मार्च के पश्चात् किया जाता है तो प्रत्येक दशा में ठेका सम्बन्धित वित्तीय वर्ष तक (31 मार्च तक) ही मान्य होंगे। ठेका ने होने की स्थिति में निर्धारित दर पर नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा निर्धारित शुल्क पर वसूली की जायेगी।

(च) नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा वृन्दावन द्वारा स्वीकृति ठेके की आधी धनराशि तत्काल नगर निगम कोष मे जमा करनी होगी। पूर्ण ठेके की अवशेष धनराशि 01 अक्टूबर से पूर्व जमा करनी होगी। स्टाम्प अधिनियम के अर्न्तगत निर्धारित स्टाम्प पर नियमानुसार अनुबन्ध की कार्यवाही सम्पादित करानी होगी। ठेके के समय निविदा में दर्शायी गयी समस्त औपचारिकताओं के पूर्ण किये जाने के पश्चात् ही स्वीकृत ठेके की वसूली हेतु ठेकेदार को अधिकार-पत्र दिया जायेगा। ठेका स्वीकृत होने पर वसूली में प्रयुक्त की जानी वाली रसीदों पर अंकित क्रमांको की प्रविष्टि नगर निगम कार्यालय से प्रमाणित कराना आवश्यक होगा। नियमानुसार निष्पादित किये गये अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की दशा में ठेका निरस्त करने का सर्वधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा वृन्दावन में निहित होगा।

(छ) जिला प्रशासन अथवा पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित पार्किंग स्थलों/स्टैण्डों के अतिरिक्त नगर क्षेत्र के किन्हीं स्थानों पर वाहन खड़े किये जाने को प्रतिबन्धित करने या किसी दैवी आपदा आदि के कारण कोई भी छूट प्रदान नही की जायेगी।

8–शास्ति और अपराधों का प्रशमन –

(1) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो रु0 पांच हजार तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में प्रथम उल्लंघन तिथि की सिद्धि के पश्चात् ऐसे दिन के लिये जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा, ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिये निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अधिक धनराशि वसूल करने पर नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

रवीन्द्र कुमार मांदड़,
आई0ए0एस0,
नगर आयुक्त,
नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन,
मथुरा।

कार्यालय, नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन, मथुरा

10 अगस्त, 2018 ई0

सं0 422/क0वि0/न0नि0म0वृ0, मथुरा/2020–उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207 से धारा 213 के अनुसरण में नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन द्वारा कर निर्धारण सूची में परिवर्तन हेतु निम्नानुसार उपविधि बनायी जाती है।

नाम परिवर्तन (नामान्तरण) उपविधि

नियम व शर्तें–

1–**नाम**–यह उपविधि नामान्तरण उपविधि, नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन, 2018 के नाम से जानी जायेगी।

2–**अर्थ**–नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत अवस्थित भवन स्वामी/अध्यासी कर निर्धारण रजिस्टर हेतु स्वामित्व/अध्यासी के स्तम्भ में कर अदायगी हेतु अपने नाम परिवर्तन के लिये आवश्यक प्रपत्र/दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत कर नियमावली में उल्लिखित दरों के आधार पर नाम परिवर्तन करा सकेगा।

3–**परिभाषा**–(1) ''नगर निगम'' से तात्पर्य नगर निगम, मथुरा वृन्दावन से है

(2) ''अधिनियम'' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है।

(3) ''नगर आयुक्त'' से तात्पर्य नगर निगम, मथुरा वृन्दावन नगर आयुक्त से है।

4–''भवन/भूमि'' से तात्पर्य नगर निगम मथुरा वृन्दावन की सीमा में स्थित भवन/भूमि से हैं।

5–अचल सम्पत्ति/मकानों के हस्तान्तरण पश्चात् अभिलेखों के आधार पर कर निर्धारण सूची में परिवर्तन का आधार एवं शुल्क का निर्धारण–

अधिनियम की धारा 207 से 213 के अन्तर्गत तैयार की गयी कर निर्धारण सूची में आवश्यक संशोधन के आधार–

- कोई भी संशोधन पंजीकृत अभिलेखों के आधार पर ही किये जायेगें यथा रजिस्टर्ड बैनामा, रजिस्टर्ड वसीयत, रजिस्टर्ड बंटवारा, मा0 न्यायालय के आदेशों की सत्यापित छायाप्रति, भवन स्वामी की मृत्यु की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र, रजिस्टर्ड दान-पत्र के साथ साथ आवेदक को प्रार्थना-पत्र एवं शपथ-पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करना होगा जो निम्नानुसार हैः–

1	भवन स्वामी की मृत्यु की दशा में नामांतरण शुल्क–	नाम परिवर्तन शुल्क – रु0 500.00 3 माह पश्चात् विलम्ब शुल्क – रु0 10.00 प्रतिमाह
2	पंजीकृत विलेख आधारित नामांतरण शुल्क–	● पंजीकृत विलेख के आधार पर यदि कोई सम्पत्ति क्रय की गयी है तो उक्त सम्पत्ति पर नाम परिवर्तन पंजीकृत विलेख के आधार पर नामान्तरण शुल्क निम्नानुसार लिया जाना उचित होगा– 1–पंजीकृत विलेख रु0 10,00,000.00 तक नामांतरण शुल्क–रु0 2,000.00, 2–रु0 10,00,001.00 से रु0 25,00,000.00 तक नामांतरण शुल्क–रु0 5,000.00, 3–रु0 25,00,001.00 से रु0 50,00,000.00 तक नामांतरण शुल्क–रु0 10,000.00, 4–रु0 50,00,001.00 से अधिक पर नामांतरण शुल्क–रु0 20,000.00 3 माह पश्चात् आवेदन करने पर विलम्ब शुल्क–रु0 10.00 प्रति माह की दर से देय होगा
3	पंजीकृत पारिवारिक सहमति के आधार पर नामांतरण शुल्क–	नाम परिवर्तन शुल्क–रु0 500.00 3 माह पश्चात् आवेदन करने पर विलम्ब शुल्क–रु0 10.00 प्रति माह की दर से देय होगा
5	न्यायालय के आदेश के आधार पर नामांतरण शुल्क–	नाम परिवर्तन शुल्क–रु0 500.00 3 माह पश्चात् आवेदन करने पर विलम्ब शुल्क–रु0 10.00 प्रति माह की दर से देय होगा
6	महन्ताई, शपथ पत्र, उत्तराधिकार के अधार पर नामान्तरण शुल्क	नाम परिवर्तन शुल्क–रु0 500.00 3 माह पश्चात् आवेदन करने पर विलम्ब शुल्क–रु0 10.00 प्रति माह की दर से देय होगा
7	नामान्तरण पर विज्ञापन शुल्क के मद में	रु0 1,000.00 अथवा वास्तविक व्यय

6–नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन द्वारा किसी भी प्रकार के अपंजीकृत विलेख/दस्तावेज पर उ0प्र0 शासन के कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 संख्या क0नि0-5-177/11-2001-500(20)/2001 के क्रम में कर निर्धारण सूची में नाम परिवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही नहीं की जायेगी।

7–अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही मा0 न्यायालय से प्रोवेट प्राप्त करने के उपरान्त ही नियमानुसार की जायेगी।

8–नामान्तरण हेतु आवेदक प्रार्थना-पत्र के साथ निर्धारित शुल्क जमा करेगा साथ ही कर निर्धारण सूची में अपना नाम दर्ज कराने हेतु आवश्यक प्रपत्र/दस्तावेज/शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा।

9–आवेदक द्वारा पुष्ट साक्ष्यों सहित प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों पर नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 213 के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचनार्थ एक माह का नोटिस एवं दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञप्ति का प्रकाशन इस आशय से जारी करेगा कि, यदि किसी को सन्दर्भित भवन स्वामी/अध्यासी के नाम परिवर्तन पर कोई आपत्ति है तो वह लिखित रूप से नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

10–नियत अवधि के अन्दर यदि कोई आपत्ति नाम परिवर्तन हेतु नगर निगम को प्राप्त होती है तो नगर आयुक्त/या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुये सुनवाई के दौरान उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों/दस्तावेजों का गुण दोष के अधार पर परीक्षण कर प्रकरण का निस्तारण करेगा।

11–कर निर्धारण सूची में संशोधन हेतु जारी आपत्ति नोटिस की समयावधि समाप्त होने के पश्चात् नगर आयुक्त/या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नाम परिवर्तन की कार्यवाही करते हुये कर निर्धारण सूची में आवश्यक संशोधन करेगा।

रवीन्द्र कुमार मांदड़,
आई0ए0एस0,
नगर आयुक्त,नगर निगम,
मथुरा-वृन्दावन, मथुरा।

कार्यालय, नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन, मथुरा

07 अगस्त, 2020 ई0

सं0 757/रा0वि0/न0नि0म0वृ0, मथुरा/2020–वाणिज्य नियन्त्रण लाइसेंस उपविधि, 2019 :

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) यह उपविधि नगर निगम, मथुरा वृन्दावन, वाणिज्य नियन्त्रण लाइसेंस उपविधि कही जायेगी।

(2) यह नगर निगम, मथुरा वृन्दावन की सीमा में लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रवृत होगी।

2–परिभाषाएं–(1) जब तक विषय संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में–

(एक) ''अधिनियम'' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है।

(दो) ''निगम'' से तात्पर्य नगर निगम, मथुरा वृन्दावन से है।

(तीन) ''नगर आयुक्त'' से तात्पर्य नगर निगम, मथुरा वृन्दावन के नगर आयुक्त से है।

(चार) ''शुल्क'' का तात्पर्य नगर निगम में वर्णित मदों पर लगाये शुल्क से है।

(पांच) ''निरीक्षणकर्ता'' से तात्पर्य नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से है, जो कर निरीक्षक से न्यून न हो। उपविधि में दी गयी सारणी में वर्णित मदों पर निर्धारित धनराशि को नगर निगम मथुरा-वृन्दावन की सीमा में व्यवसाय करने पर वार्षिक शुल्क के रूप में देना होगा।

3–उपविधि में दी गयी सारणी में वर्णित मदों पर शुल्क लिये जाने की सूची तैयार करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम मथुरा-वृन्दावन को होगा।

4–लाइसेंस शुल्क वित्तीय वर्ष के प्रथम माह अप्रैल में देय होगा।

5–यदि शुल्कदाता अपना सम्बन्धित व्यवसाय बंद करता है तो उसे 15 दिवस में लिखित सूचना नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन को देना होगा। नगर आयुक्त स्वयं अथवा प्राधिकृत अधिकारी से जाँच कराकर संतुष्टि पश्चात् भविष्य के लिये अवधारित शुल्क की समाप्ती कर सकता है।

6–अवधारित शुल्क की धनराशि यदि शुल्कदाता द्वारा माह अप्रैल तक जमा की जाती है तो कोई विलम्ब शुल्क देय नहीं होगा। तत्पश्चात रु0 50.00 विलम्ब शुल्क देय होगा।

सारणी

क्र0सं0	विवरण	प्रस्तावित दर	
1	2	3	
		रु0	
क–होटल रेस्टोरेन्ट–			
1	रेस्टोरेन्ट	400.00	प्रतिवर्ष
2	होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 10 शैय्या तक	1,000.00	प्रतिवर्ष
3	होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 11 शैय्या से 20 शैय्या तक	2,000.00	प्रतिवर्ष
4	तीन सितारा होटल	9,000.00	प्रतिवर्ष
5	पांच सितारा होटल	12,000.00	प्रतिवर्ष
ख–नर्सिंग होम–			
1	नर्सिंग होम–20 बैड तक	2,000.00	प्रतिवर्ष
2	नर्सिंग होम–20 बैड से ऊपर	5,000.00	प्रतिवर्ष
3	प्रसूति गृह–20 बैड तक	4,000.00	प्रतिवर्ष
4	प्रसूति गृह–20 बैड के ऊपर	5,000.00	प्रतिवर्ष
5	प्राइवेट अस्पताल	5,000.00	प्रतिवर्ष
6	पैथोलोजी सेन्टर	1,000.00	प्रतिवर्ष
7	एक्सरे क्लीनिक–	2,000.00	प्रतिवर्ष
8	डेंटल क्लीनिक–प्राईवेट	2,000.00-4,000.00	प्रतिवर्ष
9	प्राइवेट क्लीनिक	1,000.00-3,000.00	प्रतिवर्ष
ग–परिवहन–			
1	ऑटो रिक्शा–2 सीटर	360.00	प्रतिवर्ष
2	ऑटो रिक्शा–7 सीटर टैम्पो	720.00	प्रतिवर्ष
3	ऑटो रिक्शा–4 सीटर ई-रिक्शा	500.00	प्रतिवर्ष
4	मिनी बस	1,500.00	प्रतिवर्ष
5	बस	2,500.00	प्रतिवर्ष
6	तांगा	50.00	प्रतिवर्ष
7	रिक्शा किराये पर	150.00	प्रतिवर्ष
8	रिक्शा निजी चालित	75.00	प्रतिवर्ष
9	ठेला/ठेली	100.00	प्रतिवर्ष
10	हाथ ठेला	25.00	प्रतिवर्ष
11	बैल गाड़ी/भैंसा गाड़ी	25.00	प्रतिवर्ष
12	ट्राली	150.00	प्रतिवर्ष
13	अन्य चार पहियों के वाहन व्यापारिक प्रयोग हेतु सभी वाहन	1,000.00	प्रतिवर्ष

1	2	3	
		रु0	
अन्य व्यवसाय–			
1	धुलाई गृह (लान्ड्री)	500.00	प्रतिवर्ष
2	ड्राईक्लीनर	1,000-2,500.00	प्रतिवर्ष
3	फाइनेंस कम्पनी, चिट फंड	6,000.00	प्रतिवर्ष
4	इन्श्योरेंस कम्पनी, प्रति शाखा	12,000.00	प्रतिवर्ष
5	फाउन्डिंग इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल	1,200.00	प्रतिवर्ष
6	पशुवध (स्लाटर हाउस)	10.00	प्रतिपशु
7	हड्डी खाल गोदाम	1,000.00	प्रतिवर्ष
8	बार / बियर	6,000.00	प्रतिवर्ष
9	आइस फैक्ट्री	1,000.00	प्रतिवर्ष
10	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	5,000.00	प्रतिवर्ष
11	देशी शराब (प्रति दुकान)	6,000.00	प्रतिवर्ष
12	विदेशी शराब (प्रति दुकान)	12,000.00	प्रतिवर्ष
13	भैंसा मांस की दुकान	300.00	प्रतिवर्ष
14	बकरा मांस की दुकान	600.00	प्रतिवर्ष
पशुपालन–			
1	प्रति पशु–बड़ा	500.00	प्रतिवर्ष
2	प्रतिपशु–छोटा	250.00	प्रतिवर्ष
3	काजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना–		
	क–छोटा जानवर	100.00	प्रतिदिन
	ख–बड़ा जानवर	200.00	प्रतिदिन
4	प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर बकरी आदि	20.00	प्रतिदिन
5	प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवर गाय, भैंस, घोड़े आदि	30.00	प्रतिदिन

शास्ति और अपराधों का प्रशमन–

(1) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो पांच हजार तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा मे प्रथम उल्लंघन तिथि की सिद्धि के पश्चात् ऐसे दिन के लिये जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा, ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिये निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

(3) यदि प्रयास करने के पश्चात् भी उपरोक्त धनराशि वसूल नहीं हो पाती है अथवा बकायेदार द्वारा अदा करने से इंकार कर दिया जाता है तो उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 503 से 514 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बकाया धनराशि की वसूली की जायेगी।

रवीन्द्र कुमार मांदड़,
आई0ए0एस0,
नगर आयुक्त,
नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन,
मथुरा।

कार्यालय, नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन, मथुरा

07 अगस्त, 2020 ई0

सं0 759/रा0वि0/न0नि0म0वृ0, मथुरा/2020—उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1959) की धारा 305, 306 एवं 452 में प्रदत्त अधिकारो के अन्तर्गत नगर निगम सीमा क्षेत्र में लगे आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क वसूली हेतु नगर निगम अधिनियम की धारा 541(48) के अंतर्गत नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन, मथुरा (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण और वसूली) उपविधि, 2019 बनायी गयी है जिसे मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 04, दिनांक 13 नवम्बर, 2019 एवं मा0 सदन ने अपने प्रस्ताव संख्या 07, दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 द्वारा उपविधि में प्रस्तावित प्रीमियम धनराशि में 20 प्रतिशत एवं अनुज्ञा शुल्क की धनराशि में 25 प्रतिशत कम करते हुये सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार करते हुये पारित किया गया है।

तद्नुसार उपविधि में संशोधन करते हुये 15 दिवस में आपत्ति आमंत्रित किये जाने हेतु उपविधि को नगर निगम की वेबसाईट **nnmvonline.in** पर अपलोड एवं उक्त की सूचना दिनांक 22 जनवरी, 2020 को दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करायी गयी। प्रकाशन उपरान्त नियत अवधि में कुल 06 आपत्तियां प्राप्त हुईं। जिसके क्रम में दिनांक 10 फरवरी, 2020 को आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई हेतु आमंत्रित किया गया। सुनवाई के पश्चात् दिनांक 17 मार्च, 2020 को नगर आयुक्त महोदय द्वारा आपत्ति निस्तारित की गयी। कोविड-19 के कारण चल रहे लॉकडाउन के दृष्टिगत व राजस्व हित में उपविधि को मा0 कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में मा0 महापौर महोदय द्वारा दिनांक 02 जून, 2020 को स्वीकृति प्रदान की गयी है। उपविधि गजट प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

नगर निगम, मथुरा.वृन्दावन, मथुरा (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण और वसूली) उपविधि, 2019

1—संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ—

(1) यह उपविधि नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन, मथुरा (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण और वसूली) उपविधि, 2019 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2—परिभाषायें—

(1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में—

(एक) 'अधिनियम' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है।

(दो) ''विज्ञापनकर्ता'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे इस उपविधि के अधीन कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो, और ऐसे व्यक्ति में उसका अभिकर्ता प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है।

(तीन) ''विज्ञापन प्रतीक'' का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिये या तत्सम्बन्ध में सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिए किसी सतह या संरचना से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टांत अनुप्रयुक्त हों, और जो द्वारों के बाहर किसी भी रीति जो भी हो, से संप्रदर्शित हो, और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो, या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भों, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापन पटट् से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो।

(चार) ''गुब्बारा'' का तात्पर्य गैस से भरे हुए ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी बिन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी फरहरे से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो।

(पांच) ''पताका'' (बैनर) का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य आधार से है जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते हैं।

(छः) ''पताका विज्ञापन'' का तात्पर्य किसी ऐसे प्रतीक से है जो अपने संप्रदर्शन की सतह के रूप में किसी पताका का उपयोग कर रहा हो।

(सात) ''चिन्हित स्थल'' का तात्पर्य नगर आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात् तैयार किये गये ब्लू प्रिन्ट से है।

(आठ) ''निगम'' का तात्पर्य नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा से है।

(नौ) ''विद्युतीय प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसमें विद्युतीय साज-सज्जे, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग है, प्रयुक्त किये जाते हैं।

(दस) ''गैन्ट्री विज्ञापन'' का तात्पर्य सड़क के दोनों ओर लोहे का मजबूत पिलर गाड़कर उसके ऊपर न्यूनतम निर्दिष्ट ऊँचाई पर आयताकार विज्ञापन प्रतीक से है।

(ग्यारह) ''भू-विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो और जो भूमि पर या किसी खम्भें, स्क्रीन, बाडा या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिये दृश्य हो।

(बारह) ''प्रदीप्त प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और किसी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो।

(तेरह) ''शामियाना विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शामियाना वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन से बाहर निकला हुआ हो और उससे अवलम्बित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो और अस्थायी रूप से संप्रदर्शित किया गया हो।

(चौदह) ''प्रक्षेपित प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो।

(पन्द्रह) ''मार्ग अधिकार'' का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है।

(सोलह) ''छत विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर निर्मित हो या रखा गया है जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित है।

(सत्रह) ''अनुसूची'' का तात्पर्य इस उपविधि में संलग्न अनुसूची से है।

(अठ्ठारह) ''बस सायबानों (शेल्टर) पर विज्ञापन'' का तात्पर्य किसी बस संचालन के अधीन बस सायबान के ऊपर अथवा भीतर की ओर से प्रकाशित किये गये, टागें गये, अथवा चित्रित किये गये विज्ञापन प्रतीक से है।

(उन्नीस) ''पुष्प पात्र (फ्लावर पॉट) स्टैण्ड विज्ञापन'' का तात्पर्य शहर के अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अन्तिम छोर पर पर्यावरण की दृष्टिकोण से अनुकूल मौसमी पौधे फ्लावर पॉट स्टैण्ड पर अनुमन्य/विहित आकार का विज्ञापन पट्ट लगाने के पश्चात् लगाये जाने से है।

(बीस) ''जनसुविधा स्थान पर विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी जनसुविधा स्थान के ऊपर/पास अथवा उसके भीतर किसी भी रीति से लगाये गये विज्ञापन से है।

(इक्कीस) ''ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक लाईलैण्ड पर विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड के ऊपर अथवा उसके चारों ओर लगाया/लटकाया/चित्रित किया जाए।

(बाइस) ''प्रतीक संरचना'' का तात्पर्य किसी ऐस संरचना से है जिसमें कोई प्रतीक अवलम्बित हो।

(तेइस) ''अस्थायी विज्ञापन'' का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनों हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिये वांछित किसी विज्ञापन प्रतीक, झण्डा या वस्त्र, कैनवेस, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढांचा से या उसके बिना किसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है।

(चौबीस) ''अनुज्ञा शुल्क'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा-541 की उपधारा-48 के निर्दिष्ट विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क से है।

(पच्चीस) 'ट्री गार्ड विज्ञापन'' का तात्पर्य अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अन्तिम छोर पर पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल पौधे लगाने के पश्चात् ट्री गार्ड पर अनुमन्य/विहित आकार के संप्रदर्शित विज्ञापन प्रतीक से है।

(छब्बीस) ''बरांडा प्रतीक'' का तात्पर्य किसी बरांडा से सम्बद्ध, उससे संयोजित या उससे टांगे गये विज्ञापन से है।

(2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित है।

3–प्रतिषेध–

(1) नगर आयुक्त से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति निगम की सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी सेतु या उससे संलग्न भूमि या ट्री गार्ड, नगर प्राचीर, बाउन्ड्रीवाल, नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा।

(2) नगर की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी, अध्यासी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न सम्प्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा, न लटकायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने या लटकाने देगा, यदि ऐसा किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो।

(3) कोई विज्ञापन पट्ट इस रीति से प्रतिष्ठापित नही किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो।

4–अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया–

(1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रत्येक आवेदन अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में किया जाएगा, जिसे रु0 1,000.00 का भुगतान करके नगर निगम के कार्यालय से प्राप्त किया जाएगा। आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के संबंध में विस्तृत सूचना, ऐसी भूमि के स्थल नक्शा सहित निहित होगी जहां ऐसी भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, सम्प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, या लटकाया जाना वांछित हो और उसमें निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी–

(क) प्रत्येक भू-विज्ञापन पट्ट की भूमितल से ऊँचाई, अवस्थिति, ढांचे की बनावट आदि की विशिष्टियों को उपविधि में निर्धारित मानक के अनुरूप आवश्यक अभिकल्प संगणना आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) पूर्ववर्ती विज्ञापनों के अतिरिक्त छत-विज्ञापनों, प्रक्षिप्त विज्ञापनों या भू-प्रतीकों के मामले में सहायक क्रिया विधियों और स्थिरक-स्थानों के समस्त घटक और यदि नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो तो आवश्यक अभिकल्प संगणनाएं आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(ग) कोई अन्य विशिष्टियां, जो नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो।

(घ) गुब्बारा विज्ञापन के मामले में नगर आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित आवश्यक सूचना विज्ञापनकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के पार्श्व भाग पर या किसी निजी परिसर में कोई संरचना लगाकर प्रदर्शित किया जाना या संप्रदर्शित किया जाना वांछित हो तो ऐसे आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किये जायेंगे–

(क) विज्ञापन और प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण।

(ख) नगर आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता से सम्बन्धित भवन की सुदृढ़ता सम्बन्धी रिपोर्ट।

(ग) भू/भवन स्वामी की सहमति का अनुबन्ध-पत्र।

आवेदन, आवश्यक चित्रों और संरचना-संगणनाओं सहित नगर आयुक्त द्वारा सम्यक्, रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता के माध्यम से किया जायेगा। अभिकल्प संगणनाओं में लिया गया ''वायुभार राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के संरचना अभिकल्प, धारा-1 भार बल और प्रभाव'' के भाग-4 के अनुसार होगा।

(घ) विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद् का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

(4) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी निजी भूमि या भवन या उसके किसी भाग पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना, चित्रित किया जाना या लटकाया जाना वांछित हो और आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुज्ञा/निष्पादित अनुबन्ध की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को लिखित रूप में वचन देना होगा कि किसी व्यतिक्रम की स्थिति में वह विज्ञापनकर्ता हेतु देय अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करने के लिये स्वयं दायी होगा। नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विज्ञापन पट्ट हटाने हेतु परिसर में प्रवेश का अधिकार होगा।

(6) यदि भूमि का कोई स्वामी अपनी निजी भूमि पर विज्ञापन संप्रदर्शित करना चाहे तो उसे आवेदन-पत्र के साथ विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी होगी और इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा लेनी होगी।

(7) यदि कोई व्यक्ति किसी ट्रीगार्ड/फ्लावर पॉट को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे ट्रीगार्डों/फ्लावर पॉट पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या संप्रदर्शित करता है तो वह इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा शुल्क के भुगतान करने का दायी होगा।

(8) अनुज्ञा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये प्रदान की जायेगी जो नगर आयुक्त द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जाय।

(9) प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित सम्पूर्ण प्रीमियम अथवा नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रथम किश्त की धनराशि जमा करने की रसीद संलग्न करनी होगी, परन्तु यह कि प्रीमियम की अवशेष धनराशि नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर जमा करनी होगी।

5–अनुज्ञा प्राप्त करने की शर्तें–

(1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, या लटकाने की अनुज्ञा निम्नलिखित निर्बन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जायेगी, यह कि–

(क) अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिये प्रभावी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी हो, परन्तु यह कि अनुज्ञा शुल्क या प्रीमियम सहित अनुज्ञा शुल्क, इस उपविधि के अनुसार नगर निगम निधि में संदत्त और जमा किया गया हो।

(ख) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर ऐसे रंगों और आकारों में लिखा जाएगा, चिपकाया जाएगा, समुद्धृत किया जाएगा, चित्रित किया जाएगा जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाए और विज्ञापन पट्ट चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठापित किया गया हो, की ऊँचाई 6.2 मीटर व चौड़ाई 12.4 मीटर से अधिक नहीं होगी। दो सन्निकट विज्ञापनों पट्टों के मध्य की दूरी 10 मीटर से कम नहीं होगी। यूनीपोल लगाये जाने की दशा में दो यूनीपोल के मध्य की दूरी 25 मीटर से कम नहीं होगी।

(ग) विज्ञापन या विज्ञापन पट को समुचित दशा में रखा एवं अनुरक्षित किया जाएगा।

(घ) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नही होगी।

(ङ) विज्ञापन या विज्ञापन पट की विषय वस्तु या उसके विवरण में नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(च) विज्ञापनकर्ता ऐसी अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देंगे या उसे मिटा देंगे।

(छ) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे।

(ज) मार्ग/फुटपाथ के लिए खुली छोड़ी गयी भूमि पैदल चलने वालों, साईकिल वालों आदि के लिए सुरक्षित रूप में चलने के लिये उपलब्ध रहेगी।

(झ) भवनों, यदि कोई हो, जो प्रतीकों और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हो, के प्रकाश और वातायन में किसी भी रूप में बाधित नही होंगे।

(ञ) लोकहित में नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञा-पत्र को निलम्बित कर दें, जिसके पश्चात् विज्ञापनकर्ता विज्ञापन को हटा देगा।

(ट) विज्ञापनकर्ता को इस उपविधि में उल्लिखित सभी शर्तों और नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करना होगा।

(ठ) विज्ञापनों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार के विज्ञापन हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक का प्रयोग निषिद्ध होगा।

(ड) भवन से सम्बन्धित विज्ञापन पट्टों से भिन्न विज्ञापन पट्ट ऐसे भवनों यथा चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, न्यायालयों, सार्वजनिक कार्यालयों, संग्रहालायों, धार्मिक पूजा के निमित्त अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष प्रदर्शित करने की अनुज्ञा नही होगी।

(ढ) विज्ञापन पट्टों का अनुरक्षण तथा निरीक्षण उनके अवलम्ब नियम-24 के अनुसार होंगे।

(ण) समस्त विज्ञापन नियम-16 ''समस्त विज्ञापनों के लिये सामान्य अपेक्षाएं'' में दी गयी सामान्य अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

(त) विज्ञापनों को वृक्षों या काष्ठमय पेड़-पौधों में गाड़ा, बांधा नहीं जायेगा।

(2) नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा तत्काल समाप्त हो जायेगी–

(क) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किन्हीं अन्य कारण से गिर जाता है।

(ख) यदि विज्ञापन पट में कोई परिवर्द्धन, उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर किया जाता है अथवा नगर आयुक्त की अनुमति के बिना किया जाता है।

(ग) यदि विज्ञापन पट या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है।

(घ) यदि उस भवन या सरंचनाओं में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या उसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित किया गया हो, और यदि ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन में विज्ञापन पट या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित है।

(ङ) यदि ऐसा भवन या संरचना, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित, नियत या अवरुद्ध हो, भंजित या नष्ट हो जाती है।

6–प्रीमियम–

(1) नगर आयुक्त प्रत्येक स्थल के लिए स्थल के महत्व के अनुसार न्यूनतम प्रीमियम की धनराशि नियत करेगा।

(2) मुहरबंद लिफाफे में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम सात दिन का समय दिया जायेगा।

(3) प्रस्ताव के साथ उसमें उल्लिखित पूर्ण धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक संलग्न होनी चाहिए। प्रीमियम की शेष धनराशि प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात् नगर आयुक्त द्वारा यथा निर्दिष्ट अवधि के अन्दर जमा करनी होगी।

7–आवेदन-पत्रों की अस्वीकृति के आधार–

नियम-4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र निम्नलिखित किसी या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है, यह कि–

(क) आवेदन-पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विष्ट न हो या वह इस उपविधि के अनुरूप न हो।

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स या आपत्तिजनक प्रकृति का या नगर निगम पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने वाली प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्तता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

(ग) तम्बाकू, से निर्मित पदार्थ सिगरेट इत्यादि के सेवन को प्रोत्साहित करने वाला हो।

(घ) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शांति या प्रशांति भंग होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो।

(ङ) प्रस्तावित विज्ञापन पट से तूफान या अंधड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(च) प्रस्तावित विज्ञापन पट से यातायात में अशांति या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(छ) प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों से असंगत हो।

(ज) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के संबंध में धारा-172 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के दिनांक को असंदत्त हो।

(झ) अन्य कोई कारण जिसे नगर आयुक्त नगर निगम के हित व जनहित में उचित समझें।

8–अनुज्ञा प्रदान करने की रीति–

किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सम्प्रदर्शित करने, लगाने, या लटकाने हेतु चिन्हित/नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित स्थ्ल पर निम्नलिखित या उससे अधिक रीति से नगर आयुक्त की अनुमति से किया जाना विधि संगत होगा–

(एक) सार्वजनिक नीलामी द्वारा।

(दो) निविदा आमंत्रित करने द्वारा।

(तीन) निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन पूर्व में प्रदान की गई अनुज्ञा का नवीनीकरण किया जा सकता है, किन्तु अनुज्ञा किसी भी दशा में नही दी जाएगी, यदि यातायात एवं फुटपाथ पर पैदल चलने में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो रहा हो।

(चार) निजी स्थल/भवन पर विज्ञापन की अनुमति परिसर के मालिक की लिखित सहमति पर इस उपविधि में दिये गये उपबंधों के अधीन दी जा सकती है।

(पांच) विज्ञापन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों पर अनुज्ञा और नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्रों को अधिकतम 15 दिनों के अन्दर निर्णय लेकर विज्ञापनकर्ता को सूचित किया जाएगा। यदि नीलामी/निविदा के माध्यम से अनुज्ञा प्रदान किया जाना है तो नीलामी/निविदा की तिथि से 15 दिनों के अन्दर निर्णय लेकर नीलामी/निविदा में भाग लेने वाले विज्ञापनकर्ताओं को सूचित किया जायेगा।

9–अनुज्ञा की अवधि–

अनुज्ञा की अवधि वही होगी जो अनुज्ञा-पत्र में विनिर्दिष्ट हो। वार्षिक अनुज्ञा, अनुज्ञा के दिनांक से एक वर्ष की अधिकतम अवधि या उस वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक, जिसमें अनुज्ञा स्वीकार की गयी, इनमें जो भी पहले हो, होगी।

10–अनुज्ञा का नवीनीकरण–

नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रीमियम/सम्पूर्ण विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क जमा करने के पश्चात् अनुज्ञा का नवीकरण नियम 6(3) के अधीन किया जा सकता है। इसके लिए विज्ञापनकर्ता को अनुसूची-1 के रूप में संलग्न विहित प्रारूप पर आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण होने के पश्चात् देय प्रीमियम/विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा।

11–विज्ञापन या विज्ञापन पट हटाने की शक्ति–

(1) यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट इस उपविधि के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, संप्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशांति का कारण हो तो नगर आयुक्त या नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकता या मिटवा सकता है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकता है–

(एक) इस प्रकार हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय, और

(दो) ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट ऐसे उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, संप्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, या लटकाया गया था, के लिए क्षतियों की धनराशि।

(2) जब कभी कोई विज्ञापन नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत विज्ञापन प्रभारी के किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणामस्वरूप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन संप्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को नगर आयुक्त के समाधान पर्यन्त ठीक किया जाएगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग/सड़क/फुटपाथ/यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवायें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित किया जायेगा।

12–विज्ञापन पर निर्बन्धन–

(1) किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नहीं किया जाएगा, प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा, चिपकाया नहीं जायेगा, लिखा नहीं जायेगा, चित्रित नहीं किया जायेगा या लटकाया नहीं जायेगा :

(एक) यदि विज्ञापन पट आकार में 12.2 मीटर × 6.2 मीटर से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 02 मीटर से कम हो।

(दो) यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुए मार्ग से नापे गये 30 मीटर के भीतर किसी स्थान पर अवस्थित हो।

(तीन) यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे स्थानीय या पैदल चलने वाले नागरिकों के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(चार) नगर आयुक्त की राय में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए अनुपयुक्त हो।

(पांच) यह मार्ग के आस-पास एवं मार्ग पटरी/पगडंडी पर रखा गया हो।

(छः) यह किसी निजी परिसर के बाहर क्षेपित हो जिस पर यह इस प्रकार परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित हो।

(सात) यह ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवनों और दीवारों चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, न्यायालयों, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के चारों और अवस्थित हो।

(आठ) स्थल नियम-22 के अधीन इस प्रयोजनार्थ निगम या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर पड़ता हो।

(नौ) जर्जर स्थिति में हो जिसके आंधी-पानी (बरसात) में गिरने की सम्भावना हो।

(2) विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों को निम्नलिखित रूप में अनुज्ञा नही दी जायेगी :

(एक) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिसमें कि यातायात के पहुँचने, या संविलीन होने, प्रतिच्छेदित होने की दृश्यता में बाधा व्यवधान उत्पन्न होता है।

(दो) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के दांयी ओर के भीतर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के पड़ने वाले मोड़ के 10 मीटर के भीतर एवं समस्त प्रमुख चौराहे के मध्य की दूरी के 30 मीटर के भीतर।

(तीन) किसी लोक प्राधिकरण यथा यातायात प्राधिकरण, लोक परिवहन प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेशों के अधीन मार्ग से होते हुये यातायात के विनियमन के लिए परिनिर्मित किसी लाइन बोर्ड के 50 मीटर के भीतर।

(चार) ऐसे रूप में जिसमें लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियंत्रण के लिए परिनिर्मित किसी चिन्ह, संकेतन या अन्य युक्ति के निर्वचन में विघ्न व्यवधान उत्पन्न हो।

(पांच) किसी मार्ग के पार लटकाए गये पट्टों, भित्त पत्रकों, वस्त्र-झण्डियां या पत्रक पर जिनसे चालक का ध्यान विचलित होता हो और इसलिए परिसंकटमय हो।

(छः) ऐसे रूप में जिसमें पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो और चौराहे पर उनकी दृश्यता बाधित हो।

(सात) जब इनसे स्थानीय सुविधायें प्रभावित हों।

(3) (एक) निजी भवनों पर पोस्टर चिपकाने अथवा वॉल राइटिंग के साथ-साथ सार्वजनिक भवनों, दिशा-सूचकों और महत्वपूर्ण सूचनाओं/नोटिस वाले विज्ञापन-पटों पर पोस्टर लगाना अथवा कुछ लिखना पूर्णतः प्रतिबन्धित एवं दण्डनीय अपराध होगा।

(दो) सड़क पर क्रास बैनर पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।

(तीन) गैन्ट्री प्रतीक के लिए यह आवश्यक होगा कि गैन्ट्री के दोनो छोरों पर स्थान बोधक, दिशा सूचक शब्द एवं दूरी का उल्लेख किया जाय, जो विज्ञापन के कुल आकार का न्यूनतम 30 प्रतिशत से कम नही होगा। गैन्ट्री की सड़क से न्यूनतम ऊँचाई इस प्रकार रखी जाएगी कि सामान लदा हुआ भारी ट्रक नीचे से आसानी से गुजर सके।

(चार) फ्लावर पॉट में मौसमी पुष्पों वाले पौधे ही लगाए जा सकेंगे। कैक्टस वाले फ्लावर पॉट अनुमन्य नही होंगे।

(पांच) सड़क के किनारे अथवा डिवाईडर पर लगे किसी भी बड़े वृक्ष जो स्वावलम्बी हो चुके हैं एवं बड़े वृक्ष के नीचे ट्री-गार्ड/फ्लावर पॉट लगाकर विज्ञापन प्रदर्शित किया जाना निषिद्ध होगा।

(छः) किसी भी पोल पर अधिकतम दो कियॉस्क जिनके पार्श्व भाग आपस में इस प्रकार सटे होंगे जिसमें एक दिशा से एक ही कियॉस्क दृश्य होगा, अनुमन्य होंगे।

(4) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा नहीं होगी :

(एक) ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिसमें चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो या जिससें चालन की किसी क्रिया में विघ्न पड़ता हो।

(दो) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जो इस रूप में प्रदीप्त हो जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट्ट युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।

13–छत के ऊपर के विज्ञापन पटों के सम्बन्ध में निर्बन्धन–

(1) किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों के मामले में केवल प्लास्टिक की विनायल या वस्त्र पत्रक ही अनुमन्य है।

(2) नियम-6 और नियम-13 के अधीन रहते हुये किसी भवन की छत पर विज्ञापन पट्ट की ऊँचाई अधिकतम 6.2 मीटर व चौड़ाई 12.4 मीटर से अधिक नहीं होगी और चौड़ाई किसी भी दशा में भवन की क्षेतिज चौड़ाई से अधिक नही होगी।

14–विज्ञापन पटों के प्रकार–

(क) वैद्युत और प्रदीप्त विज्ञापन/वैद्युत, डिजिटल विज्ञापन ;

(ख) एल0ई0डी0 स्क्रीन ;

(ग) भू-विज्ञापन (यूनीपोल/एक स्तम्भ विज्ञापन पट/कैन्टीलीवर/गेट ऐन्ट्री) ;

(घ) छत विज्ञापन (रूफ टॉप) ;

(ङ) बरामदा/दुकान विज्ञापन ;

(च) शामियाना विज्ञापन ;

(छ) आकाशीय विज्ञापन ;

(ज) अस्थायी एवं विविध विज्ञापन ;

(झ) ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड विज्ञापन ;

(ञ) जन सुविधा स्थान पर विज्ञापन ;

(ट) विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन ;

(ठ) द्वार विज्ञापन, गुब्बारा विज्ञापन ;

(ड) ट्री गार्ड/फ्लावर पॉट डिस्पले ;

(ढ) गैन्ट्री विज्ञापन ;

(ण) बिल्डिंग ग्लास, फसाड वॉलरैप, वाटर टैंक विज्ञापन ;

(त) फुट ओवर ब्रिज ;

(थ) प्रचार वाहन ;

(द) रैन बसेरा पर विज्ञापन ;

(ध) पानी की टंकी पर विज्ञापन ;

(न) विद्युत पोल पर क्योस्क ;

(प) सांकेतिक पट।

(क) वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन–

क–1 वैद्युत विज्ञापन की सामग्री–जहाँ प्रतीक पूर्णतः पुंज प्रकाश युक्त विज्ञापन हो, उसे छोड़कर प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा।

क–2 वैद्युत विज्ञापनों और प्रदीप्त विज्ञानों का स्थापन :

प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन को राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005, भाग-8 भवन सेवायें धारा-2, विद्युत एवं समवर्गीय स्थापना के अनुसार स्थापित किया जायेगा।

क–3 लाल, तृणमणि जैया या हरे रंग में कोई प्रदीप्त विज्ञापन, किसी प्रदीप्त यातायात विज्ञापन के 10 मीटर की क्षैतिज दूरी के भीतर परिनिर्मित या अनुरक्षित नही किया जायेगा।

क–4 दो मंजिल से कम की ऊँचाई पर या पगडण्डी से 6.2 मीटर ऊपर जो भी अधिक हो, पर सफेद प्रकाश से भिन्न प्रकाश द्वारा प्रदीप्त समस्त विज्ञापन पट्ट समुचित रूप से प्रदर्शित किये जायेंगे जिससे कि यातायात के नियंत्रण में विज्ञापन पट्ट या संकेतक से होने वाले किसी प्रकार के व्यवधान को संतोषजनक रूप से रोका जा सके।

क–5 **गहन प्रदीप्ति** : कोई व्यक्ति ऐसा कोई विज्ञापन परिनिर्मित नहीं करेगा जो ऐसे गहन प्रदीप्ति का हो जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो। ऐसे परिनिर्माण के लिए दी गयी किसी अनुज्ञा के होते हुये भी किसी ऐसे विज्ञापन, जो परिनिर्माण के पश्चात् नगर आयुक्त की राय में ऐसी गहन प्रदीप्ति का हो, जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो, को नगर आयुक्त के आदेश के आधार पर सम्बन्धित स्थल के स्वामी द्वारा ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जैसा कि नगर आयुक्त विनिर्दिष्ट करें, के भीतर समुचित रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा या उसे हटा दिया जायेगा।

क–6 **परिचालन अवधि :** नगर आयुक्त की राय में जन सुख सुविधा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में आवश्यक विज्ञापन से भिन्न कोई वैद्युत विज्ञापन, मध्यरात्रि और सूर्योदय के मध्य प्रचालित नही किया जायेगा।

क–7 **चौंधने वाला, ओझल करने वाला और जीवंतता प्रदान करने वाली :** विज्ञापन पट्टिका जिसकी बारम्बारता प्रति मिनट 30 चौंध से अधिक हो, इस प्रकार परिनिर्मित की जाएगी कि ऐसे विज्ञापन पट्टों का न्यूनतम छोर भूतल से 9 मीटर ऊपर से कम न हो।

क–8 विमानपत्तनों के निकट प्रदीप्त विज्ञापनों के लिए विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र किया जाना चाहिये।

(ख) भू-विज्ञापन–

ख–1 **सामग्री :** ढांचों, अवलम्बों और पट्टी सहित 6 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला प्रत्येक भू-विज्ञापन नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी सामग्री को छोड़कर अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा।

ख–2 **आयाम :** कोई भी भू-विज्ञापन भूमि के ऊपर 6 मीटर से अधिक की ऊंचाई में परिनिर्मित नही किया जायेगा। प्रकाश परावर्तन विज्ञापन के अग्रभाग या मुख भाग के ऊपर जा सकता है।

ख–3 **अवलम्ब और स्थिरक स्थान :** प्रत्येक भू-विज्ञापन को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जायेगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित काष्ठ के होगें या संक्षारण रोध या चिनाई या कंक्रीट हेतु संसाधित धातु के होंगे।

ख–4 **स्थल सफाई :** किसी स्थल जिस पर कोई भू-विज्ञापन परिनिर्मित हो, का स्वामी नगर आयुक्त के अनुमोदन हेतु स्थल के ऐसे भाग जो मार्ग से दृश्य हो, को स्वच्छ, साफ, निर्मल और समस्त गन्दे पदार्थो तथा कुरूप स्थितियों से मुक्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

ख–5 **यातायात में अवरोध :** ऐसा कोई भू-विज्ञापन परिनिर्मित नही किया जायेगा जिससे कि किसी भवन के मुक्त प्रवेश में या उसके निकास में व्यवधान उत्पन्न हो।

ख–6 **तल निर्बाधन :** सभी भू-विज्ञापनों का तल आधार भूमि में कम से कम 2 मीटर ऊपर होगा किन्तु अंतरावर्ती स्थान को जालदार कार्य या पटल सजावटी व्यवस्था से पूरा किया जा सकता है।

(ग) छत विज्ञापन–

ग–1 **सामग्री :** नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर ढांचे, अवलम्बों और पटिट्यों सहित प्रत्येक छत विज्ञापन पटिट्का को अज्जवलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा। समस्त धात्विक पुर्जो के वैद्युत भू-आच्छादन की व्यवस्था की जायेगी और जहां ज्वलनशील सामग्रियां अक्षरों या अन्य साज-सज्जों में अनुज्ञात हो वहॉ समस्त लेख और नलिकाएं उसमें मुक्त और रोधित रखी जायेगी।

ग–2 **अवस्थिति :**

(क) किसी भवन के छत पर कोई छत विज्ञापन, इस प्रकार नही रखा जायेगा जिससे कि छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश में व्यवधान उत्पन्न हो।

(ख) कोई छत विज्ञापन किसी भवन के छत पर या उसके ऊपर तब तक नही रखा जायेगा तब तक सम्पूर्ण छत का निर्माण अज्जवलनशील सामग्री का न हो।

ग–3 **क्षेपण (प्रोजेक्शन) :** कोई क्षेपण विज्ञापन भवन की विद्यमान भवन लाईन जिस पर यह परिनिर्मित हो के परे/प्रक्षेपित नहीं होगा अथवा वह छत के ऊपर किसी भी दिशा में नहीं बढ़ेगा।

ग–4 **अवलम्ब और स्थिरक :** प्रत्येक छत विज्ञापन को पूर्णतया सुरक्षित रखा जायेगा और उसे ऐसे भवन, जिस पर या जिसके ऊपर यह परिनिर्मित हो, पर स्थिर किया जायेगा। सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में सुरक्षित रूप में संवितरित होंगे।

ग–5 विमानपत्तनों के समीप छत विज्ञापनों हेतु विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिये।

ग–7 विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

(घ) बरामदा विज्ञापन–

घ–1 **सामग्री** : प्रत्येक बरामदा विज्ञापन नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर पूर्णतः अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा।

घ–2 **आयाम** : कोई बरामदा विज्ञापन 01 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिये। किसी बरामदा से लटकाया जाने वाला कोई बरामदा विज्ञापन लम्बाई में 2.5 मीटर और मोटाई में 50 मिलीमीटर से अधिक नही होगा, इसके सिवाय विज्ञापन के प्रमुख अग्रभागों के मध्य मापित और पूर्णतया धातुगत तार युक्त शीशे से निर्मित मोटाई में 200 मीटर से अनधिक मापवाला बरामदा बाक्स विज्ञापन, परिनिर्मित किया जा सकता है।

घ–3 **संरेखण :** प्रत्येक बरामदा विज्ञापन, भवन, लाइन, के समान्तर स्थापित किया जायेगा, सिवाय इसके कि किसी बरामदा से लटकने वाले ऐसे किसी विज्ञापन को भवन लाइन के समकोण पर स्थापित किया जायेगा।

घ–4 **स्थान :** बरामदा पट्टिका को, जो लटकाने वाले विज्ञापन पट्ट से भिन्न हो, निम्नलिखित स्थानों पर लगाया जायेगा–

(एक) बरामदा छत की ओरी के ठीक ऊपर इस तरह से कि वह छत के गाटर से पिछले भाग से वहिर्निष्ट न हो।

(दो) बरामदा मुंडेर या आलंब के सामने किन्तु उसके ऊपर या नीचे नही, परन्तु ऐसी मुंडेर या आलंब ठोस हो और विज्ञापन पट्टिका ऐसी मुंडेर आलंब के बाहरी अग्रभाग से 20 से0मी0 से अधिक वहिर्निष्ट न हो।

(तीन) पेन्ट किये हुए विज्ञापन पट्टिकाओं की दशा में बरामदा धरनों या मुडेरों पर।

घ–5 **लटकते हुए बरामदा विज्ञापन पट्टिकाओं की ऊँचाई :** किसी बरामदें से लटकता हुआ प्रत्येक बरामदा विज्ञापन पट्टिका इस प्रकार से लगायी जाएगी कि ऐसी पट्टिका का सबसे निचला भाग खड़जा से कम से कम 2.5 मीटर ऊंचाई पर हो।

घ–6 **प्रक्षेपण :** घ-4 में यथा उपबन्धित के सिवाय कोई भी बरामदा विज्ञापन पट्टिका उस लाइन से, जिससे वह लगी हो, बाहर निकली हुई नही होगी।

(ड.) दीवार विज्ञापन–

प्रत्येक दीवार विज्ञापन पट्ट 3 × 3 मीटर को एक यूनिट मानते हुए बिना किसी ज्वलनशील पदार्थ के परिनिर्मित किया जायेगा।

(क) प्रतिबन्धित क्षेत्रों/सार्वजनिक कार्यालयों, न्यायालयों, धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थाओं, राष्ट्रीय स्मारकों आदि की दीवारों पर विज्ञापन प्रतिषिद्व रहेगा।

(ख) नगर/स्थल के कलात्मक सौंदर्य, व अन्य विशिष्टियों के दीवार विज्ञापन के सम्बन्ध में मामले में नगर आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(च) प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकायें–

च–1 **सामग्री** : प्रत्येक प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका और उसका अवम्लब एवं चौखट पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होगा।

च–2 **प्रक्षेपण एवं ऊंचाई** : कोई भी प्रक्षेपण पटिट्का अपने अवलम्ब या चौखट की किसी भाग में भवन के बाहर 02 मीटर से अधिक प्रक्षिप्त नही होगी, किन्तु यह मार्ग के सामने भूखण्ड लाइन के बाहर प्रक्षिप्त नही होगी, जब यह मार्ग में प्रक्षिप्त होती हो तो यह सड़क के 2.5 मीटर की स्पष्ट ऊंचाई पर होगी।

(क) समस्त प्रक्षेपण पट्टिकाओं के अक्ष भवन के मुख्य अग्रभाग के दाहिने कोण पर होंगे। जहां अग्रभाग के लिए वी-निर्माण किया गया हो, वहां भवन के सामने विज्ञापन पट्टिका का आधार कुल प्रक्षेपण की सीमा से अधिक नही होगा।

(ख) कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका छत की ओर के ऊपर या भवन आकृति के उस भाग, जिससे वह लगी हो, के ऊपर नही निकली होगी।

(ग) किसी प्रक्षेपण पट्टिका की अधिकतम उंचाई 06 मीटर होगी।

च–3 **अवलम्ब एवं संलग्नक :** प्रत्येक प्रक्षेपण पट्टिका किसी भवन से सुरक्षित रूप से लगी होगी जिससे किसी भी दिशा में उसके संचलन को संरक्षण रोधी धातु दीवारगीर, रॉड्स ऐंकर्स, अवलम्ब, चेन्स या वायररोप्स, जो इस प्रयोजन के लिए निर्मित हो, द्वारा रोका जा सके और इस प्रकार व्यवस्थित की जा सकें कि इस प्रकार लगाये जाने की आधी युक्तियां परिस्थितिवश विज्ञापन पट्टिका को थाम सकें। स्टैपल्स या कीलों का प्रयोग किसी भवन के किसी प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका को कसने के लिए नही किया जायेगा।

च–4 **अतिरिक्त भार :** ऐसी प्रक्षेपण संबंधी संरचनाएं जो किसी सीढी पर या अन्य सेवाई युक्ति में, चाहें वह सेवाई युक्ति के लिए विशेष रूप से बनायी गयी हों या न हो, किसी व्यक्ति को थामने के लिए प्रयोग में लायी जा सकती हो, पूर्वानुमानित अतिरिक्त भार को थामने के लिए सक्षम होगी किन्तु किसी भी दशा में कल्पित रूप से भार डालने के बिन्दु पर या अत्यधिक उत्केन्द्रीय भार डालने के बिन्दु पर डाला गया केन्द्रित क्षैतिज भार 500 किलोग्राम से और ऊर्ध्वधर केन्द्रित भार 1500 किलोग्राम के कम के लिए सक्षम नही होगी। भवन संघटक, जिससे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका लगाई जाय इस प्रकार निर्मित होगा कि अतिरिक्त भार को थाम सकें।

(छ) शामियाना विज्ञापन पट्टिका–

छ–1 **समग्री :** शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएं पूर्ण रूप से धातु या अन्य अनुमोदित अज्वलनशील पदार्थो से निर्मित होंगी।

छ–2 **ऊँचाई :** ऐसी विज्ञापन पट्टिकाएं 02 मीटर से ऊंची नही होगी और न तो वे शामियाना की पट्टी से नीचें और न पगडंडी से ऊपर 2.5 मीटर से नीचे होगी।

छ–3 **लम्बाई :** शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएं पूरी लम्बाई से अधिक हो सकती है किन्तु वे किसी भी दशा में शामियाना के छोर से बाहर प्रक्षिप्त नहीं होगी।

(ज) आकाश विज्ञापन पट्टिका–

[ज] **आकाश विज्ञापन पट्टिका :** आकाश विज्ञापन पट्टिकाओं के मामले में ऐसी आकाश विज्ञापन पट्टिका की ऊंचाई 30 मीटर से अधिक नही होगी। न्यूनतम ऊंचाई ऐसी होनी चाहिये कि उससे वाहन या पैदल सम्बन्धी आवागमन में अवरोध या वाधा उत्पन्न न हो।

(झ) अस्थायी विज्ञापन पट्टिका–

[झ] **अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं :** सचन सर्कस विज्ञापन पट्टिकाएं मेला विज्ञापन पट्टिकाएं एवं सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट।

झ–1 **प्रकार :** झ-2 के अनुसार यथा परिनिर्मित अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं से भिन्न निम्नलिखित विज्ञापन पट्टिकाओं में से कोई विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित नही की जायेगी :

(क) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो बरामदा के स्तम्भों पर या उनके बीच पेंट की या लगायी गयी हो।

(ख) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो किसी बरामदा या बालकनी की किसी पट्टी बेयर, बीम या आलम्ब के ऊपर या नीचे प्रक्षिप्त हो।

(ग) कोई विज्ञापन पट्टिका जो प्रदीप्त या प्रकाशमान हो और जो किसी बरामदा या बालकनी के किसी ढाल या गोल किनारे के पट्टी, बेयरर, बीम या आलम्ब पर लगायी गयी हो।

(घ) किसी सड़क के आर-पार परिनिर्मित कोई पताका विज्ञापन पट्टिका।

(ङ) विज्ञापन पट्टिका को एक दिशा से दूसरी दिशा में लटकने से रोकने के लिए कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो सुरक्षित रूप से न लगी हो।

(च) कपड़े पेपर मैच या समान या सदृश सामग्री से निर्मित कोई विज्ञापन पट्टिका किन्तु उनके अन्तर्गत होर्डिंग या घरों के लाईसेन्स प्राप्त पेपर विज्ञापन पट्टिकाएं नही है।

(छ) अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किये गये या प्रयोग किये जाने के लिए आशायित किसी भूखण्ड पर कोई विज्ञापन पट्टिकाएं जो किसी ब्रास प्लेट या बोर्ड से भिन्न हो और आकार में अधिमानतः 600 मिलीमीटर गुणे 450 मिलीमीटर से अधिक न हो व किसी आवास की दीवार या प्रवेश द्वार या दरवाजे या गेट पर लगी हो और फ्लैट के किसी ब्लाक के मामले में प्रवेश हाल के दीवार या किसी फ्लैट के किसी प्रवेश द्वार पर लगी हो,

(ज) पेड़ों चट्टानों या पहाड़ियों या तत्समान प्राकृतिक स्थलों पर कोई विज्ञापन पट्टिका।

झ–2 **अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाओं की आवश्यकता :**

(एक) सार्वजनिक समारोहों के दौरान सभी अस्थायी विज्ञापन, सचल सर्कस और मेला चिन्ह और पट्टिकाएं सजावट नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार होंगे और इस प्रकार परिनिर्मित होंगे कि उससे किसी रास्ते में अवरोध न पहुंचे और आग के जोखिम को कम करने में बाधा न पहुंचे।

(दो) ऐसी किसी विज्ञापन पट्टिका पर अंकित विज्ञापन केवल कारोबार, उद्योग या किसी ऐसे अन्य व्यवसाय से सम्बन्धित होगा जो उस परिसर में या उसके भीतर किया जा रहा हो जिस पर विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित या लगायी गयी हो। अस्थायी विज्ञापन पट्टिका को जैसे ही वह फट जाय या क्षतिग्रस्त हो जाय यथाशीघ्र और किसी भी दशा में, परिनिर्माण के पश्चात् जब तक विस्तारित न किया जाय, 14 दिन के भीतर हटा दिया जायेगा।

(तीन) नगर आयुक्त किसी अस्थायी विज्ञापन पट्टिका या सजावट को तत्काल हटाने के आदेश यदि उसकी राय में सार्वजनिक सुविधा व सुरक्षा के हित में आवश्यक हो, देने के लिए सशक्त होगा।

(चार) **पोल विज्ञापन पट्टिका :** पोल विज्ञापन पट्टिकाएं पूर्णतया अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होगी और यथास्थिति, भूमि या छत की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। ऐसी विज्ञापन पट्टिकाएं स्ट्रीट लाइन के बाहर तक बढ़ाई जा सकती है, यदि वे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाओं के उपबन्धों के अनुकूल हों।

(पांच) **अधिकतम आकार :** अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं क्षेत्रफल में 10 वर्गमीटर से अधिक नही होगी।

(छः) **प्रक्षेपण :** कपड़े की अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं और तत्समान ज्वलनशील निर्माण किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान के ऊपर या उसके अन्दर 300 मिलीमीटर से अधिक नही बढ़ेगी सिवाय उस दशा के जब ऐसी चिन्ह पट्टिकाएं बिना फ्रेम के निर्मित होने पर किसी सायबान या शमियाना के सामने अवलम्ब के रूप में लगाई जा सकती है या उसकी निचली पट्टी से लटकाई जा सकती है किन्तु वे फुटपाथ के 2.5 मीटर से अधिक निकट तक नही बढ़ी होनी चाहिये।

(सात) **विशेष अनुमति :** भवन से लटकती हुई या पोल पर लटकती हुई सभी ऐसी अस्थाई झण्डियां जो मार्ग या सार्वजनिक स्थलों के आर-पार बढ़ जायें, नगर आयुक्त के अनुमोदन के अधीन होंगी।

टिप्पणी–मनोरंजन और अन्य कार्यक्रमों में संबंधित इश्तहार को इश्तहार फलक से भिन्न भवन की दीवारों पर नही लगाया जायेगा। ऐसे इश्तहारों और पोस्टरों के लिये उत्तरदायी संगठन ऐसे विरूपण और विज्ञापन पट्टिकाओं को न हटाने के लिये उत्तरदायी माने जायेंगे।

15– सभी विज्ञापन पटों/पट्टिकाओं के लिए सामान्य अपेक्षायें–

(1) **भार :** विज्ञापन पट्टिकाएं इस प्रकार निर्मित होंगी कि वे भाग-6 संरचनात्मक अभिकल्प खण्ड-1, राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भार बल और प्रभाव में दिये गये आंधी डेड से सिस्मिक और अन्य लोड को सुरक्षित रूप से सहन कर सकें।

(2) **प्रदीप्ति :** कोई भी विज्ञापन पट्टिका जो विद्युत साधनों और विद्युत युक्तियों या वायरिंग से भिन्न हो, राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के भाग-8 भवन सेवाएं खण्ड-2 विद्युत और सम्बद्व संस्थापन की अपेक्षाओं के अनुसार संस्थापित या प्रकाशित नही की जायेगी। किसी भी दशा में कोई खुली चिंगारी या दीप्ति प्रदर्शन के उद्देश्यों के लिए तब तक नही इस्तेमाल की जायेगी, जब तक वह नगर आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित न हो।

(3) विज्ञापन पट्टिकाओं की डिजाइन और स्थान :

(क) किसी भी विज्ञापन पट्टिका से पदयात्रियों के आवागमन, अग्नि से बचाव, निकास, या अग्नि शमन प्रायोजनों के साधन के रूप में प्रयुक्त दरवाजे या खिड़की या द्वार में रूकावट नहीं आयेगी।

(ख) किसी भी पट्टिका से प्रकाश व संवातन के द्वार में किसी प्रकार या ढंग से रूकावट नहीं होगी।

(ग) यदि संभव हो, विज्ञापन पट्टिकाओं को एक साथ सम्मिलित रूप में एकल की जानी चाहिये। भू-दृश्य में अव्यवस्थित विज्ञापन पट्टिका से बचना चाहिये।

(घ) अनावश्यक खंभों को कम करने और विज्ञापन पट्टिकाओं को प्रकाशित करने को सुगम बनाने के लिए पट्टिकाएं लाइटिंग फिक्स्चर से युक्त होनी चाहिये।

(ङ) सूचना विज्ञापन पट्टिकाएं स्वाभाविक सभा स्थलों पर लगाई जानी चाहिए और उन्हें दर्शनीय फर्नीचर के अभिकल्प में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

(च) जहॉ विज्ञापन पट्टिकाओं से पैदल आवागमन में बाधा पहुंचे वहां विज्ञापन पट्टिका को लगाये जाने से बचना चाहिये।

(छ) विज्ञापन पट्टिका इस प्रकार लगानी चाहिए जिससे कि सामने से और पीछे से पदयात्रियों का आवागमन संभव हो सकें।

(ज) दृष्टिहीनों और आंशिक रूप से दृष्टिहीनों के लिए पठनीय बनाने के उभरे हुए अक्षरों का प्रयोग किया जाना चाहिये।

(झ) कोई भी विज्ञापन पट्टिका किसी भी वृक्ष या झाड़ी में नही लगायी जायेगी।

(4) दहनशील पदार्थो का प्रयोग :

(एक) **सजावटी विशिष्टता :** ढलाई, ढक्कन लगाने, ब्लाक्स, अक्षरों व जाली के लिए जहॉ अनुमति हो और पूर्णतः सजावटी विशिष्टता वाले विज्ञापन पट्टिकाओं के लिए प्रयोग किये जा सकने वाले लकडी के सदृश दहनशील विशेषता वाले लकडी या प्लास्टिक या अन्य पदार्थ।

(दो) **विज्ञापन पट्टिका का फलक :** विज्ञापन पट्टिका का अग्रभाग अनुमोदित दहनशील पदार्थ से बना होना चाहिए, परन्तु प्रत्येक अग्रभाग का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर से अधिक नही होना चाहिये और विद्युत लाइटिंग की वायरिंग धातु की नाली में बन्द होनी चाहिये और फलक से 05 सेन्टीमीटर से अन्यून के निकास के साथ संस्थापित होनी चाहिये।

(5) **विज्ञापन पट्टिकाओं को हटाये जाने से नुकसान या विरूपण :** जब भी कोई विज्ञापन पट्टिका हटाई जाये चाहे यह कार्य नगर आयुक्त की नोटिस या उसके आदेश के कारण हो या अन्यथा हो, ऐसे भवन या स्थल जिस पर या जिससे ऐसी विज्ञापन पट्टिका, प्रदर्शित की गयी थी, में किसी नुकसान या विरूपण की क्षतिपूर्ति विज्ञापनकर्ता से की जायेगी। यदि विज्ञापन पट्टिका के हटाये जाने के दौरान सड़क की सतह/फुटपाथ/यातायात सिग्नल या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवा को क्षति पहुॅचायी है तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि से निगम द्वारा तत्काल मरम्मत करा देना चाहिए।

(6) **अनुज्ञा-पत्र के ब्योरे का प्रदर्शन :** अनुज्ञा-पत्र का ब्यौरा और अनुज्ञा की सम्पत्ति का दिनांक प्रत्येक विज्ञापन पट्टिका पर इस प्रकार लगाया जायेगा कि इसे नग्न नेत्रों से देखा व पढ़ा जा सकें।

16–दुकानों पर विज्ञापन–

किसी दुकान पर कोई भी विज्ञापन नगर आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर और अनुज्ञा शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना दफ्ती लटकाकर, स्टीकर चस्पा करके, पेंटिग, लेखन द्वारा या किसी अन्य विधि से संप्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित नही किया जायेगा।

स्पष्टीकरण : (एक) यदि सामग्री बेचे जाने वाली दुकान का नाम अथवा उसके बिना भी, फलक लटकाकर, पेंन्टिंग द्वारा या किसी भी अन्य विधि से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किया जाय, तो प्रत्येक दुकान के लिए केवल एक ऐसे विज्ञापन पट्ट को विज्ञापन नही माना जायेगा और वह इस उपविधि के अधीन विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क देय नही होगा।

(दो) परन्तु यदि कोई विज्ञापन लटकाकर, चिपकाकर अथवा किसी अन्य रीति से इस प्रकार संप्रदर्शित किया जाय कि उसमें विक्रय की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख हो और गुण आदि का विवरण हो तथा वह सामान्य जनता का ध्यान विज्ञापन के रूप में स्वतन्त्र रूप से आकर्षित कर रहा हो तो वह इस उपविधि के अधीन विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

17– मार्गाधिकार (राष्ट्रीय राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर) के भीतर अनुज्ञा प्राप्त विज्ञापन–

सम्बन्धित मार्ग की क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौंदर्यबोध और सार्वजनिक सुरक्षा पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित विज्ञापनों को मार्गाधिकार के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर, अनुज्ञा प्रदान की जायेगी–

(1) मार्ग प्रकाश के खम्भों पर विज्ञापन–

(एक) अभिकल्प : विज्ञापन फलक का आकार चौड़ाई 0.79 मीटर गुणे 1.2 मीटर से अधिक नही रखी जायेगी और विज्ञापन के निचले तल की भूतल से ऊॅचाई 2.5 मीटर से कम नही रखी जायेगी। किसी भी दशा में विज्ञापन फलक वाहन मार्ग में प्रक्षिप्त नही होगा।

(2) **बस सायबानों पर विज्ञापन :**

अभिकल्प : बस सायबानों (बस शेल्टर) के विज्ञापन फलक पर क्षेत्र व मार्ग नम्बर को देखने के लिए 1.5 मीटर फलक की लम्बाई को छोड़ते हुए विज्ञापन की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी। बस सायबान पर विज्ञापन पट की लम्बाई सायबान की कुल लम्बाई से अधिक न होगी तथा अधिकतम ऊंचाई 0.90 मीटर रखी जायेगी। प्रत्येक बस सायबान निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी डिजाइन के अनुसार ही निर्मित कराया जायेगा तथा उस पर नगरीय परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किराया सूची, सिटी बसों का रूट नम्बर एवं उसके निर्धारित मार्ग का विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित विज्ञापनकर्ता, जिसे बस सायबान पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुज्ञा प्रदान की गयी हो, उसे बस सायबान का अनुरक्षण स्वयं के व्यय पर समय-समय पर कराना अनिवार्य होगा।

(3) **स्थानों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञापन :** नियम-13 में विहित यातायात सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने को सुगम बनाने के लिए नगर आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण मार्ग जंक्शनों पर 2 मीटर × 0.35 मीटर आकार की पट्टी से युक्त मानक रूप में फलक लगाये जा सकते है। विज्ञापनकर्ता को नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार फलक की पट्टियों पर संस्तुत रंग व आकार में नामों, दूरी व दिशा आदि पेन्ट करने की अनुज्ञा होगी।

(4) **यातायात रोटरी/सड़क :** नगर आयुक्त यातायात विभाग (राजपत्रित अधिकारी/यातायात प्रभारी) के परामर्श से यातायात रोटरी/सड़क/यातायात बूथ के विकास व रख-रखाव की अनुज्ञा दे सकते है। यातायात रोटरी/आईलैण्ड/यातायात/पुलिस बूथ पर उसकी कुल चौड़ाई एवं ऊँचाई से अधिक का विज्ञापन प्रदर्शित नही किया जायेगा तथा विज्ञापन की ऊंचाई अधिकतम 0.90 मीटर रखी जायेगी। इसके लिए विज्ञापनकर्ता को उपविधि में विहित दरों पर विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क तथा निर्धारित न्यूनतम प्रीमियम जमा करना होगा।

(5) **मैदानों, पगडंडियों के किनारे रक्षक पट्टियां :** नगर आयुक्त अभिकरण को मैदान/पगडंडी के किनारे रक्षक पट्टियों की व्यवस्था करने एवं उनका रखरखाव करने के साथ-साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथाअनुमोदित पट्टियों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते है। अभिकरण रक्षक पट्टी के अभिकल्प के लिए नगर आयुक्त को अनुमोदन प्राप्त करने और नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप में समय-समय पर रक्षक पट्टी/विभाजक का रख-रखाव करने और मुख्यतः पेन्ट करने के लिए आबद्धकर होगा। इस पर लगने वाले विज्ञापन पट का अधिकतम आकार 0.45 मीटर गुणे 0.75 मीटर होगा तथा सड़क से न्यूनतम ऊंचाई 2.5 मी0 होगी।

(6) **वृक्ष रक्षक (ट्री गार्ड) :** नगर आयुक्त अभिकरण को पौधों के चारों तरफ अनुमोदित अभिकल्प के वृक्ष रक्षक की व्यवस्था एवं रख रखाव करने के साथ-साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित वृक्ष रक्षकों पर नाम/उत्पाद का संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा दे सकता है परन्तु 0.90 मीटर से कम चौड़े डिवाईडरों पर ट्री-गार्ड लगाये जाने की अनुमति नही होगी।

(7) **पुष्प पात्र स्टैण्ड (फ्लावर पॉट स्टैण्ड) :** नगर आयुक्त किसी अभिकरण को सड़क विभाजक पर अनुमोदित अभिकल्प के पुष्प पात्र स्टैण्ड की व्यवस्था एवं रख-रखाव करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते है। दो पुष्प पात्र स्टैण्डों के मध्य कम से कम 05 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अधिकतम 0.45 गुणे 0.75 मीटर माप के विज्ञापन पट्ट अपने दोनों और संप्रदर्शित किये जा सकते है, परन्तु सड़क सतह से ऊपर विज्ञापन पट्ट के निचले भाग का उर्ध्व निकास 2.5 मीटर से कम नही होना चाहिए। परन्तु यह कि विज्ञापन पट्ट की चौड़ाई दोनों ओर के विभाजकों की चौड़ाई से 0.25 मीटर कम होगी और पुष्प पात्र को उसके संरेखण (विभाजक के दिशा के समानान्तर) में रखा जायेगा।

18–छूट–

(1) इस उपविधि की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टों पर लागू नही होगी–

(एक) यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो।

(दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जायें।

(तीन) किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(चार) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट, संकेतन, यातयात चेतावनी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिसें, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट, परन्तु उनकी माप 0.6 मीटर गुणे 0.6 मीटर से अधिक न हो।

(पांच) यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जाय, किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।

(छः) यदि यह ऐसी भूमि या भवन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय मनोरंजन या बैक या अक्षरांकन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार, ओमनीबस या अन्य वाहन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से संबंधित हो, परन्तु यह 0.90 वर्गमीटर से अधिक न हो।

(सात) इसके अतिरिक्त नियम 19 के उप नियम (2) से (5) के अधीन आच्छादित विज्ञापन पट्टों के लिए किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नही है। फिर भी ऐसी छूट से यह अर्थ नही लगाया जायेगा कि विज्ञापन पट्ट का स्वामी इस उपविधि के अनुपालन में परिनिर्माण या रख-रखाव के उत्तरादायित्व से निर्मुक्त है।

(2) **दीवार विज्ञापन पट्ट :** नीचे सूचीबद्ध दीवारों के लिये किसी अनुज्ञा-पत्र की आवश्यकता नही होगी।

(एक) **भण्डारण विज्ञापन पट्ट :** किसी प्रदर्शिन खिड़की के ऊपर किसी भण्डारण या कारबार अधिष्ठान के दरवाजे के ऊपर परिनिर्मित या अप्रकाशित विज्ञापन पट्ट जो मालिक के नाम और उसमें संचालित कारबार की प्रकृति को घोषित करते हों, विज्ञापन पट्ट 01 मीटर से ऊंचे और कारबार अधिष्ठान की चौड़ाई से अधिक नही होने चाहिए।

(दो) **सरकारी भवन विज्ञापन पट्ट :** किसी नगर पालिका राज्य या केन्द्रीय सरकार के भवन पर परिनिर्मित ऐसे विज्ञापन पट्ट जो अध्यासन के नाम प्रकृति या सूचना घोषित करते हो।

(तीन) **नाम पट्ट :** किसी भवन या संरचना पर परिनिर्मित कोई ऐसा विज्ञापन पट्ट जो भवन के अध्यासी के नाम कां इंगित करता हो और जो क्षेत्रफल में 0.5 वर्गमीटर से अधिक न हो।

(चार) ऐसे विज्ञापन पट्ट जो किसी यात्रा मार्ग, स्टेशन या सार्वजनिक सुविधा के स्थानों की ओर इंगित करते हों।

(3) **अस्थाई विज्ञापन पट्ट :**

(एक) **निर्माण स्थल संकेत :** निर्माण संकेत, इंजीनियर एवं वस्तुविद के संकेत, और अन्य समान संकेत जो निर्माण अभियान के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किये जायें।

(दो) **विशेष संप्रदर्शिन संकेत :** अवकाशों, सार्वजनिक प्रदर्शनियों या नागरिक कल्याण की प्रोन्नति या धमार्थ प्रयोजन के लिए प्रयोग किये जाने वाले विशेष सजावटी संप्रदर्शन, जिस पर, कोई वाणिज्यिक विज्ञापन न हो, परन्तु यह कि नगर आयुक्त किसी परिणामिक नुकसान के लिये उत्तरादायी नही हो। [नियम-15झ(2) अस्थाई विज्ञापन पट्ट के लिए आवश्यकता' देखिए]

19–विशेष विज्ञापन–

(1) यदि अनुसूची–2, जिसके अन्तर्गत प्रतिषिद्व क्षेत्र भी है, द्वारा कोई विशेष या सार्वजनिक हित का विज्ञापन आच्छादित नही है तो नगर आयुक्त उसे ऐसे अनुबन्ध एवं शर्तो पर और इस उपविधि द्वारा निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के दो गुना, अनुज्ञा शुल्क के भुगतान पर परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चस्पा करने, लिखने, रेखाकंन करने या लटकाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते है।

(2) प्रत्येक ऐसे अनुज्ञा, अनुज्ञा के दिनांक से एक माह तक के लिए विधिमान्य होगी। ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा को अग्रेतर एक माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि अनुज्ञा की आवश्यकता किसी अग्रेतर अवधि के लिए हो तो नगर आयुक्त के समक्ष स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

20– विशेष नियंत्रण क्षेत्र–

(1) जब कभी नगर आयुक्त की राय में इस उपविधि में निर्बन्धनों के अनुसार अन्यथा अनुमति विज्ञापन युक्ति से निगम के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र को क्षति पहुॅचने या उसके विरूपित होने की सम्भावना हो, तो वह ऐसे क्षेत्र को विशेष नियन्त्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। सार्वजनिक उपयोग के पार्को और भूमि को भी विशेष नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

(2) उपनियम (1) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये, ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी विज्ञापन का परिनिर्माण और प्रदर्शन निषिद्व किया जायेगा या किसी प्रकार से जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा आवश्यक समझा जाय सीमित किया जायेगा। नगर आयुक्त निगम की अधिकारिता वाले क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले किसी एक या अधिक समाचार पत्रों में, ऐसे क्षेत्र की घोषणा करने के सम्बन्ध में अपने आशय को प्रकाशित करेगा। ऐसे क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति का कोई स्वामी, जो ऐसी घोषणा से व्यथित अनुभव करें, ऐसे क्षेत्र की घोषणा के विरूद्व ऐसे प्रकाशन से एक माह के भीतर नगर आयुक्त को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) किसी बरामदा/दुकान विज्ञापन की शब्दावल, विशेष नियंत्रण के किसी क्षेत्र में नगर आयुक्त द्वारा अनुमत हो, स्वामी या फर्म के नाम, जो उस परिसर के अध्यासी हो, तक सीमित होगी। भवन या संस्था का नाम, चलाये जा रहे साधारण व्यवसाय या व्यापार का नाम यथा '' ज्वैलर्स'' 'कैफे' ''डांसिग'' या भवन के प्रवेश की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना हो सकती है या सिनेमा या नाटक कार्यक्रम के सम्बन्ध में या इसी प्रकार की कोई सूचना हो सकती है। किसी भी बरामदे के विज्ञापन में विशेष नियन्त्रण के किसी क्षेत्र में व्यापार की किसी विशिष्ट वस्तु का विज्ञापन नही होगा और न ही मूल्य या मूल्य में कमी से सम्बन्धित ऐसा कोई विज्ञापन होगा।

(4) विशेष नियंत्रण के क्षेत्र से तीस मीटर दूरी के भीतर उप नियम (3) के अधीन दी गयी अनुज्ञा के सिवाय समान्यतः कोई अन्य विज्ञापन पट्ट नही प्रदर्शित होगा।

21–निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा–

निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापनपटों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन, लगाना, चिपकाना, लेखन, आरेखण या लटकाने के लिए निषिद्व घोषित करें। इस प्रकार के आदेश के विरूद्व घोषणा की तिथि से एक माह के भीतर अपील आयुक्त, आगरा मण्डल के समक्ष की जा सकती है।

22–झण्डियों पर रोक–

(1) कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी का प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन या लटकाने की क्रिया नही करेगा।

(2) कोई भी अनुज्ञा निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्व क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में इस उपविधि के अधीन प्रदान नही की जायेगी।

(3) इस उपविधि का उल्लघंन कोई भी व्यक्ति ऐसे शास्ति का दायी होगा, जो नगर आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाय और वह प्रति झण्डी दो सौ रूपये से कम नहीं होगी।

(4) नगर आयुक्त इस नियम में निर्दिष्ट झण्डी को हटा सकता है और उसे समाप्त या विनष्ट कर सकता है।

23–अनुरक्षण और निरीक्षण–

(1) **अनुरक्षण :** सभी विज्ञापन जिनके लिए अनुज्ञा अपेक्षित है, उन्हें अवलम्बों, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेगे, जो कि ढांचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी और जब चमकीले या अनुमोदित अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नही होंगे तो उन पर मोर्चा लगने से रोकने के लिए रंग–रोगन समय–समय पर किया जायेगा।

(2) **सुव्यवस्था ':** प्रत्येक विज्ञापन, के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तरादायित्व होगा कि वह विज्ञापन हेतु छेके गये परिसर में सफाई, स्वच्छता, आवश्यक मरम्मत और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(3) **निरीक्षण :** प्रत्येक विज्ञापन, जिसके लिए परमिट जारी किया गया हो और प्रत्येक विद्यमान विज्ञापन जिसके लिए कोई परमिट अपेक्षित हो, का निरीक्षण प्रत्येक पंचाग वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा।

24–प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति–

नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई निगम अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, माप या जांच करने के प्रयोजन के लिए या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिए जो इस उपविधि द्वारा तद्धीन प्राधिकृत हो या जो किसी प्रयोजन के लिए आवश्यक हो या इस उपविधि के किसी उपबंध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है, परन्तु–

(एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय, अन्य किसी समय, अध्यासी को नोटिस दिये बिना अथवा भूमि या भवन के स्वामी/अध्यासी के न होने पर भूमि/भवन में प्रवेश नही किया जायेगा।

(दो) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो तो, हट सकने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

(तीन) जहॉ तक ऐसे प्रयोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप हो जिसके लिए प्रवेश किया गया है। प्रविष्ट की गयी भूमि या भवन के अध्यासियों के सामाजिक और धार्मिक उपयोगिताओं की ओर सम्यक्, ध्यान दिया जायेगा।

25–क्षेत्रों का वर्गीकरण–

विज्ञापनों पर अनुज्ञा शुल्क के प्रयोजनार्थ प्रतिषिद्व क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों के वर्गीकरण का विनिश्चय नगर आयुक्त द्वारा निम्नलिखित वर्गो में किया जायेगा–

(एक) निषिद्व क्षेणी क्षेत्र ;

(दो) प्रवर श्रेणी क्षेत्र ;

(तीन) 'अ' श्रेणी क्षेत्र ;

(चार) 'ब' श्रेणी क्षेत्र ;

(पांच) 'स' श्रेणी क्षेत्र।

(एक) (क) निजी भूमि भवन एवं सार्वजनिक स्थल विज्ञापन के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रचार हेतु निषिद्व क्षेत्र : प्रत्यके चौराहे/तिराहे से 50 मीटर तक

(एक) निषिद्व क्षेणी क्षेत्र :

(1) होलीगेट से गांधी आश्रम-भरतपुर गेट-नगर निगम तिराहा से 50 मीटर छोड़कर, दीनदयाल पार्क, अहिल्या बाई पार्क, मसानी चौराहा, सलैक्शन गोल पार्क डेम्पीयर नगर, जन्मभूमि क्षेत्र, जिलाधिकारी कार्यालय से जिलाधिकारी आवास तक, तहसील से राजीव भवन तक, एवं इस्कान मन्दिर, बिहारी जी मन्दिर एवं रंगजी मन्दिर के बाहर, नीधिवन लोई बाजार।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के स्वामित्व वाले मार्ग।

(दो) प्रवर श्रेणी क्षेत्र :

स्टेट बैंक चोराहे से मसानी तक, बिहारी जी मार्ग, स्कॉन मंदिर मार्ग, गॉधी मार्ग, विद्यापीठ, भूतेश्वर से कृष्णा नगर मार्ग।

(तीन) 'अ' श्रेणी क्षेत्र :

सोंख अड्डे से डेम्पीयर होते हुये विकास बाजार तक, पुराने बस अड्डे से टाउन शिप तक, मसानी से पागल बाबा आश्रम तक, बॉके बिहारी कम्पलेक्स, परिक्रमा मार्ग, अटल्ला चुॅगी चौकी चौराहा, हरमिलाप पार्क, कालीदह मार्ग,रतन छतरी मार्ग, स्टेट बैक चौराहा से धौली प्याऊ गोवर्धन होटल तक, महोली रोड से बजरंग धर्मकांटा, स्टेट बैंक से मुर्गा फाटक बी0एस0ए0 इन्जिनियरिंग कालेज मार्ग।

(चार) 'ब' श्रेणी क्षेत्र :

महोली रोड से एन0एच0टू0 तक, भूतेश्वर से कृष्णा नगर तक–गोवर्धन रोड, सौंख रोड, भरतपुर रोड, कृष्णापुरी (तिराहे से 50 मीटर छोड़कर) से यमुना पार लक्ष्मी नगर, राया मार्ग, सौंख अड्डे से भतरपुर गेट तक, सौख अडडे से स्टेट बैक चौराहा गोविन्द नगर, लक्ष्मी नगर, गणेशरा मार्ग, मसानी चौराहे से गोकुल रेस्टोरेंट तक,

(पांच) 'स' श्रेणी क्षेत्र :

- प्रवर वर्ग, अ श्रेणी तथा ब श्रेणी में जो क्षेत्र उल्लिखित है, उनके अतिरिक्त नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा की सीमा में आने वाले समस्त क्षेत्र।

26–हटाये जाने की लागत–

नियम 12 के उप नियम (1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को हटाये या साफ किये जाने की लागत निम्नवत् होगी–

(क) 6.1 × 3.05 मीटर या उससे कम के प्रति विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के हटाने की वास्तविक आय।

(ख) ऊपर खण्ड (क) में निर्दिष्ट विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों से बडे प्रति विज्ञापन एवं विज्ञापन पट्ट को हटाने की लागत।

(ग) निजी भवन पर (छत के ऊपर) किसी विज्ञापन अथवा सम्पूर्ण विज्ञापन पट को हटाने की लागत।

(घ) किसी सार्वजनिक अथवा निजी दीवारों पर की गयी पेंन्टिग के माध्यम से किये गये प्रचार को साफ करने लागत।

[क]	6.1 × 3.05 मीटर या उससे कम के प्रति विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के हटाने की वास्तविक आय–	रु0 5,000.00
[ख]	ऊपर खण्ड (क) में निर्दिष्ट विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों से बड़े प्रति विज्ञापन एवं विज्ञापन पट्ट को हटाने की लागत–	रु0 10,000.00
[ग]	निजी भवन पर (छत के ऊपर) किसी विज्ञापन अथवा सम्पूर्ण विज्ञापन पट को हटाने की लागत–	रु0 20,000.00 प्रति विज्ञापन पट
[घ]	किसी सार्वजनिक अथवा निजी दीवारों पर की गयी पेंन्टिग के माध्यम से किये गये प्रचार को साफ करने लागत–	रु0 100.00 प्रति वर्गफिट

27– अपराधों के लिए दण्ड और उनका प्रशमन–

(1) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो रु0 10,000.00 (दस हजार रुपये) तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में, प्रथम उल्लंघन की दोषसिद्धि के पश्चात्, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा हो, ऐसे जुर्माने से, जो रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रतिदिन तक एंव प्राथमिकी दर्ज कराये जाने तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिए निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

प्रपत्र सं0 .....
मूल्य रु0 1,000.00

अनुसूची-1

[नियम 6(1) देखें]

विज्ञापन चिन्ह स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन-पत्र

आवेदक/विज्ञापनकर्ता का नाम.....	विज्ञापनकर्ता का पासपोर्ट आकार का रंगीन चित्र
1–अभिकरण, प्रतिष्ठान, कम्पनी या संस्था का नाम.....	
.....	
पता.....	
.....	

2–आवेदित विज्ञापन या विज्ञापन पट का प्रकार.....

3–विज्ञापन या विज्ञापन पट का आकार (लम्बाई × चौड़ाई मीटर में).....

4–स्थल नक्शा सहित स्थल की अवस्थिति.....

5–भूमि, भवन या स्थान के स्वामी या निवासी का नाम .....

.....

6–क्या यह सार्वजनिक स्थल है या व्यक्तिगत भूमि या भवन है ? .....

7–(एक) यदि निजी स्थल या भवन है तो स्वामित्व प्रमाण-पत्र के साथ भू/भवन स्वामी की लिखित अनुमति, विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद् का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

(दो) भू/भवन स्वामी द्वारा इस आशय का वचन-पत्र, कि विज्ञापनकर्ता की चूक की दशा में वह देय अनुज्ञा शुल्क के भुगतान का दायी होगा, संलग्न करें।

(तीन) नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित संरचना अभियन्ता (Structure Engineer) द्वारा दिया गया भवन के भार वहन क्षमता सम्बन्धी रिपोर्ट।

8–(एक) अनुसूची-2 के अनुसार वार्षिक अनुज्ञा शुल्क.....

(दो) किश्त की धनराशि.....

9–देय प्रीमियम/नवीनीकरण अनुज्ञा शुल्क.....

10–कोई अन्य विवरण .....

संलग्नक :

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :

दूरभाष नं0

मोबाईल नं0

अनुसूची-2

(नियम 26 देखें)

विज्ञापन और विज्ञापन पट पर अनुज्ञा शुल्क की दरें

निगम द्वारा स्वामित्वाधीन भूमि, दीवार और भवन, सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर विज्ञापन या विज्ञापन पट के निर्माण और प्रदर्शन के लिए–

क्र0सं0	विज्ञापन का प्रकार	साईज	प्रीमियम
1	एकस्तम्भ विज्ञापन पट	20 × 10 (फुट)	रु0 24,000.00
2	एकस्तम्भ (यूनीपोल) पर विज्ञापन पट	30 × 15 (फुट)	रु0 80,000.00
3	कैन्टीलीवर पर विज्ञापन	24 × 12 (फुट)	रु0 52,000.00
4	गेट एन्ट्री पर विज्ञापन	50 × 10 (फुट)/सड़क की चौड़ाई के आधार पर	रु0 1,20,000.00

अनुज्ञा शुल्क की दरें–

1–एकस्तम्भ विज्ञापन पट – 20 × 10 (फुट) :

(1) प्रवर श्रेणी क्षेत्र : रु0 1,875.00 (एक हजार आठ सौ पिचहत्तर) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(2) ''अ'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 1,500.00 (एक हजार पांच सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(3) ''ब'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 1,125.00 (एक हजार दो सौ पच्चीस) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(4) ''स'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 900.00 (नौ सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

2–एकस्तम्भ (यूनीपोल) पर विज्ञापन पट – 30 × 15 (फुट) :

(1) प्रवर श्रेणी क्षेत्र : रु0 2,250.00 (दो हजार दो सौ पचास) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(2) ''अ'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 2,025.00 (दो हजार पच्चीस) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(3) ''ब'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 1,875.00 (एक हजार आठ सौ पिचहत्तर) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(4) ''स'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 1,350.00 (एक हजार तीन सौ पचास) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

3–कैन्टीलीवर पर विज्ञापन – 24 × 12 (फुट) :

(1) प्रवर श्रेणी क्षेत्र : रु0 1,875.00 (एक हजार आठ सौ पिचहत्तर) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(2) ''अ'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 1,650.00 (एक हजार छः सौ पचास) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(3) ''ब'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 1,500.00 (एक हजार पांच सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(4) ''स'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 1,350.00 (एक हजार तीन सौ पचास) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

4–गेट एन्ट्री पर विज्ञापन – 50 × 10 (फुट)/सड़क की चौड़ाई के आधार पर :

(1) प्रवर श्रेणी क्षेत्र : रु0 2,625.00 (दो हजार छः सौ पच्चीस) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(2) ''अ'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 2,250.00 (दो हजार दो सौ पचास) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(3) ''ब'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 1,875.00 (एक हजार आठ सौ पिचहत्तर) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(4) ''स'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 1,500.00 (एक हजार पांच सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

5–विद्युत पोल/ट्री-गॉर्ड/फ्लॉवर पॉट/जन सुविधा पर विज्ञापन पट :

(1) प्रवर श्रेणी क्षेत्र : रु0 3,000.00 (तीन हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(2) ''अ'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 2,250.00 (दो हजार दो सौ पचास) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(3) ''ब'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 1,500.00 (एक हजार पांच सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(4) ''स'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 750.00 (सात सौ पचास) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

6–बस शेल्टर/पुलिस बूथ/ट्रैफिक आईलैण्ड :

(1) प्रवर श्रेणी क्षेत्र : रु0 4,500.00 (चार हजार पांच सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(2) ''अ'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 3,750.00 (तीन हजार सात सौ पचास) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(3) ''ब'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 3,000.00 (तीन हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

(4) ''स'' श्रेणी क्षेत्र : रु0 2,250.00 (दो हजार दो सौ पचास) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

7– (1) एल0ई0डी0 स्क्रीन के माध्यम से संचालित विज्ञापन हेतु उपरोक्त अनुज्ञा शुल्क के क्रम संख्या-1 से 4 तक निर्दिष्ट दरों पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

(2) ट्यूबलाइट, एल0ई0डी0 लाईट, सोडियम लाईट, बल्ब व अन्य माध्यम से प्रकाशित/संचालित विज्ञापन पट हेतु उपरोक्त अनुज्ञा शुल्क के क्रम संख्या-1 से 4 तक निर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

(3) निजी भूमि/भवनों पर प्रदर्शित विज्ञापनों हेतु उपरोक्त अनुज्ञा शुल्क के क्रम संख्या-1 से 2 की निर्दिष्ट दरों का 50 प्रतिशत अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

8– (1) शक्ति चालित चार पहिया वाहन पर विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)

(एक) हल्का वाहन : रु0 625.50.00 (छः सौ पच्चीस रु0 पचास पैसा) प्रतिमाह प्रति वाहन

(दो) भारी वाहन : रु0 2,500.00 (दो हजार पांच सौ) प्रतिमाह प्रति वाहन

(2) सड़क प्रदर्शन निम्नलिखित दर पर –

(एक) तीन पहिया : रु0 225.00 (दो सौ पच्चीस) प्रति दिन

(दो) चार पहिया : रु0 450.00 (चार सौ पचास) प्रति दिन

(तीन) छः पहिया : रु0 1,125.00 (एक हजार एक सौ पच्चीस) प्रति दिन

नोट : यदि वाहनों पर डिजिटल/इलेक्ट्रानिक माध्यमों से प्रदर्शन किया जाता है, तो उपरोक्त दरें 100 प्रतिशत वृद्धि के साथ देय होगा।

9–गुब्बारे : रु0 750.00 (सात सौ पचास) प्रतिदिन

10–छतरी (कैनोपी) : रु0 337.00 (तीन सौ सैंतीस) प्रतिदिन

11–ऑटो रिक्शा थ्री-व्हीलर : रु0 150.00 (एक सौ पचास) प्रतिमाह प्रति आटो

12–बसों पर : रु0 300.00 (तीन सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह

13–रेलवे की जमीन पर लगने वाली होर्डिंग जिसका भाग सड़क के सम्मुख होने की दशा में अनुसूची-2 में अंकित अनुज्ञा शुल्क की दरों के क्रमांक-1 के अनुसार 75 प्रतिशत देय होगा।

14–उत्सव, मेला, प्रदर्शनी, सर्कस तथा इस प्रकार जनता को आकर्षित करने वाले प्रदर्शन पर न्यूनतम 3 माह का अनुज्ञा शुल्क मद संख्या-1 के अनुसार लिया जायेगा।

15–ध्वनि विस्तारक यंत्र : रु0 150.00 प्रति बाक्स/स्पीकर प्रति दिन।

16–जिन मदों का उल्लेख ऊपर नही किया गया है उनका अनुज्ञा शुल्क क्रमांक-1 के अनुसार देय होगा।

17–निजी भूमि/भवन पर स्ट्रक्चर लागने से पूर्व भवन की मजबूती, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से भवन की गुणवत्ता सुदृढ़ीकरण का प्रमाण-पत्र, भवन स्वामी का अनुबंधनामा, विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद का अनापत्ति प्रमाण-पत्र सम्बन्धित को प्रस्तुत करना होगा। इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुज्ञा शुल्क की दरें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष जिसमें यह उपविधि प्रवृत्त हुई हो, के दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद दस प्रतिशत तक बढ़ी हुई समझी जायेगी। तत्पश्चात् इसी प्रकार की वृद्धि प्रत्येक दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होगी।

स्पष्टीकरण–

1–अनुज्ञा शुल्क अग्रिम रूप से संदेय योग्य होगा।

2–यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को 03 माह से अधिक अवधि के लिये प्रदर्शित करना चाहता है तो नगर आयुक्त निर्देश सकते हैं कि अनुज्ञा शुल्क मासिक आधार पर आंगणित होगा। सम्पूर्ण धनराशि एक बार में जमा करायी जायेगी।

3–अनुज्ञा शुल्क के सभी अवशेष अधिनियम के अध्याय इक्कीस के अनुसार वसूली योग्य होंगे।

रवीन्द्र कुमार मांदड़,
आई0ए0एस0,
नगर आयुक्त, नगर निगम,
मथुरा-वृन्दावन, मथुरा।

कार्यालय, नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन, मथुरा

07 अगस्त, 2020 ई0

सं0 225/लेखा/न0नि0म0वृ0/2019-20–नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन, मथुरा ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 548 की उपधारा (1) के खण्ड (च) और (छ) सपठित उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत अकेन्द्रीयित सेवाओं के सदस्यों की सेवा-निवृत्ति सुविधा तथा भविष्य निधि विनियमावली स्वीकृत की है।

अतः एतद्द्वारा अधिनियम की धारा 548 की उपधारा (1) सपठित उपधारा (3) के अन्तर्गत यह विनियमावली प्रकाशित की जाती है।

नगर निगम मथुरा-वृन्दावन (अकेन्द्रीयित) सेवा-निवृत्ति लाभ एवं भविष्य निधि विनियमावली, 2018

1–(अ) यह विनियमावली नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन (अकेन्द्रीयित) सेवा-निवृत्ति लाभ एवं भविष्य निधि विनियमावली, कही जायेगी।

(ब) यह विनियमावली नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन के गठन के दिनांक 12 मई, 2017 के पश्चात् सेवा-निवृत्त होने वाले अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों पर लागू होगी। नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के गठन से पूर्व सेवा-निवृत्त होने वाले कार्मिकों के सेवा-नैवृत्तिक देयकों तथा पेंशन उपादान आदि का निर्धारण पूर्ववर्ती व्यवस्था के अन्तर्गत होगा। दिनांक 12 मई, 2017 के पूर्व सेवा-निवृत्त होने वाले कार्मिकों का एक बार पेंशन का निर्धारण हो जाने के पश्चात् अन्य संशोधनों का लाभ दिनांक 12 मई, 2017 के पश्चात् सेवा-निवृत्त होने वाले कार्मिकों की भांति दिनांक 12 मई, 2017 से पूर्व सेवा-निवृत्त होने वाले कार्मिकों पर लागू होंगे।

(स) नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन, मथुरा से सेवानिवृत्त पेंशन धारकों पर नगरपालिका परिषद् के सेवा-निवृत्त विनियम तथा उसमें समय-समय पर उ0प्र0 शासन द्वारा किये गये संशोधन लागू होंगे। 1 जनवरी, 2005 से राज्य सरकार ने लागू नई अंशदायी पेंशन योजना को नगर विकास, उ0प्र0 शासन द्वारा लागू किये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय संज्ञान में नहीं हैं और न ही वर्तमान में किसी स्थानीय निकाय में नई पेंशन योजना से सम्बन्धित नियमों का अनुपालन संज्ञान में है। इस सम्बन्ध में जो निर्णय नगर विकास, उ0प्र0 शासन द्वारा समस्त स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में लिया जायेगा, तद्नुसार नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन में कार्यवाही की जायेगी।

(द) अप्रैल, 2005 (नई पेंशन, स्कीम) से पूर्व नियुक्त कार्मिकों के सेवानिवृत्ति देयों के सम्बन्ध में इस विनियमावली में नियमों की व्यवस्था है।

2–परिभाषायें–जब तक विषय व संदर्भ में कोई बात इन नियमों में प्रतिकूल न हो–

(1) 'अधिनियम' अथवा 'ऐक्ट' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है।

(2) ''औसत परिलब्धियाँ (average emoluments)'' से तात्पर्य है सेवा-निवृत्ति के मास से पूर्व दस माह में प्राप्त परिलब्धियों का औसत अथवा देय अंतिम मासिक परिलब्धियाँ, इनमें से जो अधिक हो, से है। यदि इन दस माहों में छुट्टी का समय सम्मिलित हो तो उस समय के लिये, यदि वह छुट्टी पर न रहा होता तो स्थायी नियुक्ति के लिये उसे जो परिलब्धियाँ प्राप्य होतीं, वे परिलब्धियां उस समय की परिलब्धियां समझी जायेंगी।

अधिनियम की धारा 577 (ड) में वर्णित किसी कार्मिक के विषय में, यदि नियत दिन के पूर्व स्थायी हो चुका हो तो औसत परिलब्धियाँ निकालने के नियत दिन के पहले तथा नियत दिन में उसके पश्चात् नगर निगम के अन्तर्गत की गयी सेवा के समय, स्थायी नियुक्ति का समय तथा इस समय में मिलने वाला वेतन स्थायी वेतन माना जायेगा।

3–'**परिलब्धियां'** (emoluments) से तात्पर्य–

(क) पेंशन एवं अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों (सेवानैवृत्तिक/मृत्यु ग्रेच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है, जैसा कि वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-2, मूलनियम-9(21)(1) में परिभाषित तथा समय-समय पर संशोधित परिभाषा के अनुसार हैं और जिसे कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

(ख) महंगाई भत्ता अथवा तत्समय अन्य भत्ता, यदि कोई हो, जो कर्मचारी/अधिकारी को प्रतिमाह उसकी सेवा-निवृत्ति अथवा मृत्यु, जैसी भी दशा हो, के समय उसे प्राप्य (admissible) हों।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई कर्मचारी/अधिकारी, सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु, जैसी भी दशा हो, के समय छुट्टी पर हो तो वे परिलब्धियां जो उसे प्राप्य होतीं, यदि वह उस समय अवकाश पर न होता, उपलब्धियां कही जायेंगी।

4–''**परिवार**'' में किसी अधिकारी/कर्मचारी के अधोलिखित सम्बन्धी सम्मिलित होंगे–

(क) पत्नी (पुरुष कार्मिक के सम्बन्ध में)।

(ख) पति (स्त्री कार्मिक के सम्बन्ध में)।

(ग) पुत्र।

(घ) अविवाहित अथवा विधवा पुत्रियां, (उसमें सौतेले बच्चे और गोद लिये बच्चे भी सम्मिलित होंगे)।

(ङ) भाई–18 वर्ष से कम आयु के तथा अविवाहित भाई-बहन और विधवा बहनें (जिनमें सौतेले भाई तथा सौतेली बहन सम्मिलित होंगी)।

(च) पिता।

(छ) माता।

(ज) विवाहित पुत्रियाँ, जिनमें सौतेली पुत्रियाँ सम्मिलित होंगी।

(झ) पूर्व मृत पुत्र की संतानें।

5–**मुख्य नगर लेखा परीक्षक**–मुख्य नगर लेखा परीक्षक का तात्पर्य नगर निगम में नियुक्त मुख्य नगर लेखा परीक्षक से है।

6–**लेखाधिकारी**–लेखाधिकारी का तात्पर्य नगर निगम में नियुक्त लेखाधिकारी से है।

7–**सेवानिवृत्ति वेतनीय पद** (Pensionable post) से तात्पर्य है–

(क) पूर्व नगरपालिका परिषद्, मथुरा एवं वृन्दावन का कोई स्थायी पद जिस पर भविष्य निधि की सुविधा प्राप्त हो और जो अधिनियम की धारा 577 (ड) के अन्तर्गत नगर निगम में बना रहे।

(ख) अधिनियम की धारा 106 के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा सृजित कोई स्थायी पद।

8–**अर्हकारी सेवा का** (Qualifying service) से तात्पर्य उस सेवा से है जो सिविल सर्विस रेगुलेशन के नियम 368 के अनुसार सेवानिवृत्ति पर पेंशन प्राप्ति के योग्य बनाती, यदि सम्बन्धित सेवा सरकार के अन्तर्गत होती तथा उस सेवा से भी है जिसका प्राविधान उस विनियम के अन्तर्गत समय-समय पर किया जाये।

उपबन्ध यह भी है कि तत्कालीन नगरपालिका परिषद् अथवा वर्तमान नगर निगम में किसी एक पद अथवा अन्य पद पर बिना व्याघात के सतत् अथवा स्थानापन्न सेवा, एक पद से दूसरे पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अवधि के सहित, अर्हकारी सेवा समझी जायेगी।

9–**सेवा-निवृत्ति** से तात्पर्य किसी कार्मिक का नगर निगम की सेवा-अवधि पूर्ण करने पर, बाध्य किये जाने पर, स्वेच्छा से, अथवा स्थायी नियुक्ति वाले स्थायी पद के टूटने पर उसकी नियुक्ति दूसरे स्थायी पद पर न हो सकने अथवा उसका उसके पूर्व स्थायी पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित न हो सकने की दशा में सेवानिवृत्ति होने से होगा।

10–यह विनियम जिन कर्मचारियों पर लागू होगा उनके मूल वेतन के उच्चतम तथा महंगाई भत्ते के योग का 12% के अनुसार गणना करके पेंशन अंशदान के रूप में नगर निगम द्वारा वेतन निधि में स्थानान्तरित किया जायेगा। यदि पेंशन अंशदान की धनराशि पेंशन एवं उपादान के लिये पूर्ण नहीं होती है तो नगर निगम अपने राज्य वित्त आयोग/निजी स्रोतों की धनराशि से कम पड़ रही धनराशि पेंशन निधि में स्थानान्तरित कर पेंशन एवं उपादान का भुगतान कर सकती है।

भाग–1

मृत्यु एवं सेवानिवृत्त उपादान (Death-Cum-Retirement Gratuity)–

4–(1) जिन कार्मिक पर यह विनियम लागू होंगे, उनको सेवानिवृत्ति पर नगर निगम से उपादान भी दिया जायेगा जो उनकी मासिक परिलब्धियों के 16 1/2 (साढ़े सोलह) गुना से अधिक न होकर वह धन होगा, जो उनकी

मासिक परिलब्धि के 1/4 को उनके द्वारा की गयी अर्हकारी सेवा के पूर्ण अर्द्ध वार्षिक काल की संख्या को गुणा करने से प्राप्त होगा।

उदाहरणार्थ–

यदि मूल नियम 9 (21) (1) वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग 2 से 4 में परिभाषित वेतन रु0 32,000 एवं पेंशन की अर्हकारी सेवा 30 वर्ष 6 माह है तो सेवानिवृत्ति उपादान रु0 32000×61/4=रु0 4,88,000.00 होगी।

(2) यदि किसी कार्मिक की सेवाकाल में ही मृत्यु हो जाये तो उसके द्वारा नामित किये गये व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को, जिन्हें उपादान प्राप्त करने का अधिकार विनियम संख्या 05 के उपनियम (1) से (8) तक के अनुसार दिया गया हो, उपादान दिया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति नामित न किया गया हो तो उसी विनियम के उप-विनियम (9) में विहित रीति के अनुसार उपादान का भुगतान किया जायेगा।

मृत्यु उपादान की दर सेवा अवधि के अनुसार निम्न प्रकार है–

(क) एक वर्ष से कम सेवा अवधि–परिलब्धियों का दो गुना

(ख) एक वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु पाँच वर्ष से कम–परिलब्धियों का छः गुना

(ग) पाँच वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम–परिलब्धियों बारह गुना

(घ) बीस वर्ष अथवा उससे अधिक-अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए परिलब्धियों 1/2 के बराबर होगी, जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर होगी। अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि उपादान की धनराशि किसी भी दशा में 20 लाख से अधिक नहीं होगी।

नामांकन (Nomination)–

5–(1) प्रत्येक नगर निगम कर्मचारी, जिस पर वह विनियम लागू हो, ज्यों ही वह किसी स्थायी सेवा-निवृत्त वेतनीय पद पर धारणाधिकार (Lian), प्राप्त करें, एक अथवा अधिक व्यक्तियों को उपादान (ग्रेच्युटी) जिसे इस विनियम के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाय अथवा वह उपादान जो इस विनियम के अन्तर्गत प्राप्त हो और उसे उसकी मृत्यु के पूर्व न दिया गया हों, प्राप्त करने के लिए नामांकित करेगा।

नामांकन करते समय कार्मिक का परिवार हो तो, नामांकन परिवार के किसी एक सदस्य को अथवा अधिक सदस्यों का कर सकता है लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि परिवार के सदस्यों के होते हुए परिवार के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–यदि कोई कार्मिक नामांकन में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो वह परिवर्तन उस कार्मिक द्वारा अपने सेवाकाल में ही कर सकता है किन्तु यदि आवश्यक हो तो सेवा-निवृत्ति के बाद भी नगर आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से पूर्व नामांकन-पत्र के नामांकन में परिवर्तन अथवा नया नामांकन प्रस्तुत करने दिया जा सकता है।

(2) यदि कोई कार्मिक ऊपर के उपविनियम के अन्तर्गत एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करता है तो उस नामांकन-पत्र में प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली धनराशि अथवा भाग को इस प्रकार स्पष्ट करना होगा जिससे उपादान का पूरा धन वितरित हो जाये।

(3) प्रत्येक कार्मिक नामांकन-पत्र में निम्नांकित व्यवस्था कर सकेगा–

[क] किसी निर्दिष्ट नामांकित व्यक्ति को, कार्मिक की मृत्यु के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उस नामांकित व्यक्ति का अधिकार नामांकन-पत्र में दिये हुए किसी अन्य निर्दिष्ट व्यक्ति को हो जावे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि नामांकन करते समय कार्मिक के परिवार में एक से अधिक सदस्य हों तो इस प्रकार निर्दिष्ट व्यक्ति उसके परिवार के किसी सदस्य के अतिरिक्त अन्य न होगा।

[ख] यह कि ऊपर कही हुई परिस्थिति के उत्पन्न होने पर नामांकन निरर्थक हो जायेगा।

(4) किसी कार्मिक द्वारा उस समय का किया हुआ नामांकन, जब उसके परिवार नहीं था, अथवा नामांकन में उपविनियम 5-(3) के खण्ड (क) के अन्तर्गत की गयी व्यवस्था, जब उसके परिवार में केवल एक ही व्यक्ति था, जैसी भी दशा हो, उस समय निरर्थक हो जायेगी, जब उसके परिवार हो जाय अथवा परिवार में कोई अतिरिक्त सदस्य हो जाय।

(5) [क] प्रत्येक नामांकन (क) से (घ) तक के किसी प्रपत्र में जो भी व्यक्ति विशेष की स्थिति में उचित हो, किया जायेगा।

[ख] कोई कार्मिक किसी समय अपने नामांकन को नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा मनोनीत किये गये अधिकारी को लिखित नोटिस भेजकर रद्द कर सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह कार्मिक उस नोटिस के बाद एक नया नामांकन-पत्र इन विनियमों के अनुसार उस नोटिस दिये जाने की तिथि से 15 दिन के अन्दर नगर आयुक्त को प्रेषित कर दें।

(6) किसी नामांकित व्यक्ति, जिसके अधिकार को उसकी मृत्यु के पश्चात् दूसरे नामांकित व्यक्ति को पाने की व्यवस्था नामांकन-पत्र में उप नियम 5-(3) के खण्ड (क) के अन्तर्गत की गयी हो अथवा किसी ऐसी घटना के हो जाने पर जिसके कारण उसका नामांकन उपविनियम 5-3 के खण्ड (ख) अथवा उप नियम 5-(4) के अन्तर्गत निरर्थक हो जाता हो तो सम्बन्धित कार्मिक नगर आयुक्त को पूर्व नामांकन को रद्द करते हुए इन विनियमों के अनुसार नामांकन-पत्र के साथ लिखित नोटिस भेजेगा।

(7) प्रत्येक कार्मिक द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत भरे गये अपने नामांकन-पत्र अथवा उसको रद्द करने का नोटिस सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा एतदर्थ मनोनीत किये गये अधिकारी को भेजी जानी चाहिये। नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी नामांकन-पत्र प्राप्त करने पर तुरन्त प्राप्ति का दिनांक लिखकर प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे तथा अपने संरक्षण में रखेंगे।

(8) किसी कार्मिक द्वारा किया गया पूर्व नामांकन अथवा उसको रद्द किये जाने की नोटिस जहाँ तक वह वैध (Valid) हो नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये दिनांक से प्रभावी होगा।

(9) यदि कोई कार्मिक जिसका परिवार हो, अपने परिवार के एक अथवा अधिक सदस्यों का मृत्यु-सह सेवा-निवृत्ति उपादान (Death cum retirerment gratuity) पाने के नामांकन-पत्र द्वारा अधिकार दिये बिना मृत हो जाये तो उपादान (Gratuity) विनियम (2) के उपनियम (4) में दी हुई श्रेणी के क्रम (क) से (झ) तक दिये सभी जीवित सदस्यों को, विधवा पुत्री केा छोड़कर समान भाग में वितरित कर दिया जायेगा। यदि इस प्रकार के जीवित सदस्य न हों, और एक अथवा अधिक विधवा पुत्रियां हो तथा कार्मिक के परिवार में उपर्युक्त उपनियम 2 (4) (श्रेणी के क्रम (ङ) से (झ) तक में वर्णित) एक से अधिक सदस्य हो तो उपादान (Gratuity) का धन उन सभी व्यक्तियों में बराबर भागों में बांट दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में नगर पालिका/नगर निगम के सदस्य, ग्राम सभापति, तहसीलदार, अन्य राजपत्रित अधिकारी का प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

भाग–2

परिवारिक पेंशन

6–पारिवारिक पेंशन–

अस्थाई कार्मिक को उसकी सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत्यु हो जाने पर किसी प्रकार की पारिवारिक पेंशन देय नहीं होगी, किन्तु स्थायी सेवकों की सेवाकाल में या उसके बाद मृत्यु होने पर यह पेंशन देय है।

पारिवारिक पेंशन की धनराशि सभी प्रकरणों में सेवानिवृत्त/मृत्यु के समय आहरित मूल वेतन का 30 प्रतिशत होगी। यह धनराशि छठें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार न्यूनतम रु0 3,500.00 प्रतिमाह तथा अधिकतम रु0 24,000.00 जबकि सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार रु0 9,000.00 प्रतिमाह होगी और अधिकतम राशि सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन का 30 प्रतिशत होगी। उसके अतिरिक्त समय-समय पर देय महंगाई राहत भी देय होगा।

पारिवारिक पेंशन परिवार के निम्नलिखित सदस्यों में से किसी एक को ही, एक समय में देय होगी। इस सम्बन्ध में परिवार को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा।–

वर्ग–I

(क) विधवा/विधुर, आजन्म, अथवा पुनर्विवाह, जो भी पहले हो,

(ख) पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह/पुनर्विवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि, जो भी पहले हो, तक।

वर्ग–II

(ग) अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो उपर्युक्त वर्ग **I** से आच्छादित नहीं है को विवाह/पुनर्विवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो,

(घ) ऐसे माता पिता जो सरकारी सेवक पर उसके जीवनकाल में पूर्णतः आश्रित रहें हों तथा मृत कर्मचारी ने अपने पीछे कोई विधवा/विधुर/अथवा बच्चे न छोड़े हों।

वर्ग II से आच्छादित अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री तथा आश्रित माता पिता को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के परिवार में ऐसी कोई संतान नहीं है जो विकलांग हो।

पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता बच्चों में उनकी जन्मतिथि के क्रम में होगी अर्थात पहले जन्म लिये बच्चे का अनुमन्यता पहले होगी और उसकी पात्रता समाप्त होने के उपरान्त बाद में जन्म लेने वाले बच्चे की पात्रता स्थापित होगी।

संतानहीन विधवा–

(ङ) पारिवारिक पेंशन का भुगतान सन्तानहीन विधवा को उसके पुनर्विवाह के उपरान्त भी किया जायेगा परन्तु शर्त यह है कि यदि विधवा की सभी स्रोतों से व्यक्तिगत आय, पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि की सीमा के बराबर अथवा उसके अधिक हो जायेगी, उस दशा में पारिवारिक पेंशन बन्द हो जायेगी।

इस प्रकार के प्रकरणों में विधवा को नगर निगम में प्रत्येक 6 माह पर एक प्रमाण-पत्र देना होगा जिसमें उसकी सभी स्रोतों से आय का उल्लेख होगा।

(च) विकलांग सन्तान–

यदि किसी मृतक कर्मचारी के परिवार में कोई विकलांग सन्तान है, तो उसको जीवन पर्यन्त पारिवारिक पेंशन देय होगी। विकलांग यदि सौ प्रतिशत है तो पूर्ण पारिवारिक पेंशन देय होगी। इस सम्बन्ध में अन्य व्यवस्थायें उ0प्र0 शासन के शासनादेशों के अनुसार होगी। उसको प्रत्येक तीसरे वर्ष, मुख्य चिकित्सा अधिकारी से परीक्षण कराकर, इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि विकलांगता बनी हुई है, तथा वह अपनी जिविका कमाने में समर्थ नहीं है।

(छ) षडयंत्र युक्त मृत्यु–

यदि, कार्मिक की मृत्यु में परिवार के किसी सदस्य का षडयंत्र पाया गया, तो वह समस्त लाभों से वंचित हो जायेगा। जब तक मुकदमा चलेगा, तब तक किसी को कोई भुगतान नहीं होगा। मुकदमें में निर्णय के अनुसार, अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(ज) वरिष्ठ पेंशनरों को सामान्य अनुमन्य पेंशन की धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी।

पेंशन/पारिवारिक पेंशनर की आयु	अतिरिक्त पेंशन की धनराशि
80 वर्ष की आयु परन्तु 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत/प्रतिमाह
85 वर्ष की आयु परन्तु 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत/प्रतिमाह
90 वर्ष की आयु परन्तु 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत/प्रतिमाह
95 वर्ष की आयु परन्तु 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत/प्रतिमाह
100 वर्ष या उससे अधिक	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत/प्रतिमाह

(झ) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारिवारिक पेंशन नियमों में संशोधन नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा के कर्मचारी सेवानिवृत्ति सुविधा पर भी लागू होंगे।

भाग-3

सेवा-निवृत्ति पेंशन

7–(1) अधिवर्षता निवृत्ति, अशक्तता या अन्य प्रकार से निवृत्ति वेतन, या उपादान की धनराशि उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों पर लागू प्रक्रिया और सूत्र के अनुसार संगणित समुचित धनराशि होगी और वह धनराशि पूर्ण रुपये में अभिव्यक्त की जायेगी तथा जहां भी नियमानुसार गणना करने पर मासिक निवृत्ति वेतन में रुपये से कम की धनराशि नियमानुसार परिवर्तित की जायेगी।

(2) उत्तर प्रदेश सरकार, द्वारा राज्य सेवा के पेंशनरों के लिये स्वीकृत महंगाई भत्ता या अन्य प्रकार की कोई राशि देय होगी, उसी के अनुसार नगर निगम के पेंशनरों को भी देय होगी जो नगर आयुक्त से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर दी जा सकेगी।

(3) कोई विशिष्ट या अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत नहीं की जायेगी।

पेंशन का आगणन–

पेंशन का गणना सिविल सर्विस रेग्युलेशन के अनुच्छेद 486 तथा 487 के अनुसार सेवानिवृत्त की तिथि से दस माह पूर्व के औसत वेतन के आधार पर की जाती थी। छठवें वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार शासनादेश सं0 सा-3-1508/दस, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 जो दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू है, में यह व्यवस्था दी गयी है कि यदि सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त बैण्ड-पे तथा ग्रेड-पे का योग, पिछले दस माह की परिलब्धियों अर्थात् बैण्ड-पे + ग्रेड-पे के औसत से अधिक हो तो अन्तिम तिथि के वेतन के आधार पर पेंशन की गणना की जायेगी। 10 माह की औसत परिलब्धियों तथा अन्तिम तिथि के वेतन में से जो भी कार्मिक को लाभप्रद होगा, वही देय होगा। पेंशन की दर समय-समय पर उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेशों के अनुरूप पुनरीक्षित की जा सकेगी।

उदाहरण–

यदि कोई कर्मचारी 31 जुलाई, 2012 को अपराह्न 60 वर्ष की आयु पूर्ण करके सेवानिवृत्त हुआ और उसका 31 जुलाई, 2012 को बैण्ड 15,600-39,100 पे में वेतन रु0 21,530.00 रुपये रहा तो–

बैण्ड वेतन रु0	21,530.00
ग्रेड वेतन रु0	5,400.00
योग . .	26,930.00

अतः योग का 50 प्रतिशत पेंशन रु0 13,465.00 प्रतिमाह यदि इन्होंने कम से कम 20 वर्ष की अर्हकारी (Qualifying) सेवा पूरी कर ली हो, देय होगी।

(स्थानीय निकायों हेतु निर्गत सातवें वेतन आयोग के शासनादेश संख्या 3409/9-1-2016, दिनांक 04 जनवरी, 2017 तथा शासनादेश संख्या 67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04 (एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 में निर्धारित वेतन बैण्ड, ग्रेड वेतन एवं लेवल में निर्धारित वेतन के आधार पर निर्धारण किया जायेगा)।

उल्लेखनीय है कि पहले पूर्ण पेंशन 50 प्रतिशत उन्हीं को देय होती थी जिनकी अर्हकारी (Qualifying) सेवा 33 वर्ष या अधिक होती थी। किन्तु छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर उपर्युक्त शासनादेश संख्या सा-3-1508/दस, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा इसे घटाकर 20 वर्ष कर दिया गया है। उपादान पूर्व की भांति 33 वर्ष या अधिक की सेवा में ही उसका आधा अर्थात् साढ़े सोलह गुना या रु0 20 लाख, अधिकतम देय होगा। 33 वर्ष से कम सेवा में उसी अनुपात में ग्रेच्युटी घटा दी जायेगी।

इस प्रकार पेंशन की धनराशि रु0 13,465.00 पर शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृति दरों पर महंगाई राहत का भुगतान भी किया जायेगा।

यदि अर्हकारी (Qualifying) सेवा 20 वर्ष से कम होगी तो उसी अनुपात में पेंशन भी कम देय होगी। यथा, यदि उपर्युक्त उदाहरण में सेवानिवृत्त होने वाले निकाय सेवक की अर्हकारी (Qualifying) सेवा 18 वर्ष हो, तो उसको–

रु0 13,465.00 का 18/20 = रु0 12,118.50 अर्थात् रु0 12,119.00 प्रतिमाह पेंशन देय होगी।

पेंशन की अर्हता हेतु कम से कम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक–

उल्लेखनीय है कि सी0एस0आर0 अनुच्छेद 474 के अनुसार पेंशन की अर्हता हेतु कम से कम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक है। यदि किसी की सेवा 10 वर्ष से कम हो, तो उसे कोई पेंशन देय नहीं होगी।

भाग-4

संराशिकरण (कम्यूटेशन)

नगर निगम मथुरा, वृन्दावन, मथुरा में संराशिकरण की सुविधा राज्य सरकार की भांति देय होगी।

भाग-5

विविध

नगर निगम पावतों की वसूली/बर्खास्तगी का प्रभाव–

8–इस सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन द्वारा अपनायी गयी नीति एवं शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

सेवा निवृत्ति वेतन (पेंशन) निधि तथा अंशदान–

9–इस विनियमों के अन्तर्गत, जिन पर यह विनियम लागू होंगे, उनके वेतनमान के उच्चतम तथा देय महंगाई भत्ते के योग के 12 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अथवा समय-समय पर शासन द्वारा संशोधित दरों पर पेंशन अंशदान प्रत्येक मास उस तिथि से जिससे उनका वेतन देय हो, निकालकर सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) निधि में जमा किया जायेगा। यह निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोली जायेगी। यदि किसी समय उपर्युक्त खाते में सेवा निवृत्ति वेतन (पेंशन) अथवा उपादान के भुगतान के लिये आवश्यकतानुसार धन न हो तो नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा, वृन्दावन राज्य वित्त आयोग अनुदान/निगम निधि से आवश्यक अग्रिम देंगे। पेंशन निधि में धन उपलब्ध होने पर उसे विनियोजित भी कराया जा सकता है।

सेवा निवृत्ति वेतन (पेंशन) उपादान की स्वीकृति विधि–

10 (क) प्रत्येक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद और प्रत्येक दशा में उसके एक महीने के भीतर उसके विभागीय अधिकारी/अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रविष्टियां सेवा पुस्तिका या सेवा रोल में उल्लिखित की जावेगी।

(ख-1) विभागीय अधिकारी द्वारा सारी जांच/अन्वेषण के पश्चात् परिणाम अभिलिखित कर दिये जाने चाहिये।

(ख-2) सेवा की अविच्छिन्नता समानान्तर प्रमाण-पत्र पर निर्धारित की जानी चाहिये। जहां तक सम्भव हो प्रथम वर्ष और अन्तिम तीन वर्षों की सेवा निश्चित रूप से प्रमाणित की जानी चाहिये। प्रथम वर्ष की सेवा, यदि वे मिल सके तो सेवा पुस्तिका, स्केल रजिस्टर, वेतन चिट्टा (Acquittance Roll) अथवा असली वेतन बिल से की जानी चाहिये। यदि इस प्रकार के लेखा 'अभिलेख' उपलब्ध न हो तो प्रथम वर्ष की सेवा के लिये उस अधिकारी जिस पर पेंशन सम्बन्धित पत्रावली तैयार करने का दायित्व हो, का अभिलेख स्वीकार किया जायेगा। विभागीय अधिकारी को प्रथम वर्ष की सेवा प्रमाणीकरण उपर्युक्त आधार पर ही करना चाहिये। यदि पेंशन का आधार समकालीन, सहवर्ती, प्रमाण-पत्र पर आधारित हो तो उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिये। अन्तिम 3 वर्ष की सेवा का प्रमाणीकरण उपर्युक्त आधार पर वास्तविक अभिलेखों द्वारा किया जाना चाहिये। इससे पूर्व की सेवाकाल को भी जो सहवर्ती प्रमाण उपलब्ध हो उनके आधार पर स्वीकार कर लेना चाहिये।

(ख-3) यदि किसी सेवाकाल का (ख-2) के अन्तर्गत स्वीकार किया जाता है और उस काल में उपलब्ध किये गये सवैतनिक अथवा अवैतनिक अवकाशों के प्रमाणित अभिलेखों के अनुसार गणना की जायेगी।

(ख-4) यदि सेवा पुस्तिका या सेवा रोल उपलब्ध है और उसकी प्रविष्टियों की पुष्टि या प्रमाणीकरण न हुआ हो तो उसमें दिये गये सेवाकाल को व्यक्तिगत पत्रावलियों आदि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रमाणित किया जाना

चाहिये। जहां इस प्रकार के अभिलेख उपलब्ध न हों तो उस काल के लिये अधिकारी से सादे कागज पर दो सहवर्ती अधिकारियों द्वारा प्रमाणित अभिलेख प्राप्त करके रखना चाहिये। यदि इस प्रकार का प्रमाण स्वीकार करने में कोई कठिनाई प्रतीत हो तो विभागीय अधिकारी द्वारा अपना अभिमत उल्लिखित कर देना चाहिये तथा उसी के अनुसार सेवाकाल स्वीकार किया जाना चाहिये।

(ख-5) पेंशन सम्बन्धी विवरण का आडिट निम्नांकित विधि से किया जायेगा, जब तक कोई विशेष आशंका न हो। साधारण तथा सारी सेवा के सम्बन्ध में की प्रविष्टियों की पुष्टि के लिये निम्नलिखित की विशेष जांच की जानी चाहिये।

[क] स्थायी नियुक्ति की प्रथम वर्ष की सेवा तथा पूर्व की अर्हकारी सेवा।

[ख] अन्तिम तीन वर्षों की अर्हकारी सेवा।

[ग] चुने गये किसी दो या तीन वर्षों की सेवा।

[घ] यदि सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि, परिवर्तन, बर्खास्तगी आदि की प्रविष्टियां हों तो उनकी जांच की जानी चाहिये।

[ङ] यदि किसी कार्मिक का सेवा काल 33 वर्ष से अधिक का हो तो उसकी स्थायी नियुक्ति के प्रथम वर्ष के पूर्व की प्रविष्टियों की जांच आवश्यक नहीं है। उसकी सेवा पुस्तिका तथा सम्बन्धित अन्य विवरणों की प्रपत्रों के साथ पूरा करके लेखाधिकारी को भेजेंगे। लेखाधिकारी सेवा निवृत्ति वेतन (पेंशन) के धनांक तथा अन्य विवरणों की जांच कर, मुख्य नगर लेखा परीक्षक की जांच के लिये सम्बन्धित कार्यालय भेजेंगे। उनकी जांच के बाद सेवा निवृत्ति वेतन (पेंशन) तथा उपादान का धनांक नगर आयुक्त अथवा मुख्य नगर लेखा परीक्षक द्वारा उनके अधीनस्थ कार्मिकों के विषय में स्वीकृत किया जायेगा तथा लेखाधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति भुगतान आदेश प्रपत्र (P.P.O.) संबंधित कार्मिक को भेजा जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नगर आयुक्त अथवा मुख्य नगर लेखा परीक्षक (अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सम्बन्ध में) को यह संतोष हो जावे कि किसी कार्मिक के उपादान तथा सेवा निवृत्ति वेतन (पेंशन) की स्वीकृति में अत्यधिक विलम्ब होगा तो वे सम्बन्धित कार्मिक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में घोषणा-पत्र देने पर प्रत्याशित मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान और सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) का भुगतान स्वीकृत कर सकते हैं। इस प्रकार के भुगतान का धन लेखाधिकारी द्वारा अत्यधिक सावधानीपूर्वक ऐसे संक्षिप्त परीक्षण जिसे वह अविलम्ब कर सके, निर्धारित किये गये मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान और मासिक सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) की धनराशि का 75 प्रतिशत से अधिक न होगा।

सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) तथा उपादान के भुगतान की विधि–

(1) सेवानिवृत्ति वेतन लेखाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा। भुगतान चेक द्वारा अथवा सीधे से0नि0 कर्मचारी/पारिवारिक पेंशनर के बैंक खाते में किया जायेगा। भुगतान के लिये सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) पाने वाले व्यक्तियों को अपनी सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) पुस्तिका तथा निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक विवरण भरकर लेखाधिकारी को देना होगा। निर्धारित प्रपत्र में सेवानिवृत्त भुगतान आदेश पाने पर लेखाधिकारी अथवा कोई विभागीय अधिकारी की उपस्थिति में जीवित होने के प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करेगा। तत्पश्चात् पेंशनर को भुगतान किया जायेगा। इन विनियमों के अन्तर्गत भुगतान होने वाले उपादान के भुगतान में भी सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) के भुगतान की रीति काम में लाई जावेगी।

(2) शासकीय नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) पाने वाले कार्मिक को अपना जीवित प्रमाण पत्र नगर निगम कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में उस कार्मिक का पेंशन रोकने की बाध्यता होगी।

सामान्य भविष्य निधि–

11–जिन कार्मिकों पर यह विनियम प्रभावी होंगे उन्हें नगर निगम के सामान्य भविष्य निधि का सदस्य होना पड़ेगा और उसे प्रतिमाह अपने वेतन का 10 प्रतिशत भविष्य निधि खाते में अंशदान देना होगा।

12–भविष्य निधि के अंशदान में काटा गया धन प्रतिमास वेतन के साथ ही सम्बन्धित कार्मिक के बैंक खाते में जमा कर दिया जायेगा।

13–नगर आयुक्त का यह अधिकार होगा कि वह कार्मिक की लिखित सहमति से सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धन में से बैंक एफ0डी0आर0/राष्ट्रीय बचत पत्रों में विनियोजित कर दें।

14–प्रत्येक कार्मिक को भविष्य निधि का सदस्य होने पर उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके खाते में जमा भविष्य निधि धन के भुगतान करने के लिये नामांकन पत्र निर्धारित प्रारूप पर देना होगा। यह नामांकन पत्र नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जायेंगे और प्राप्ति का दिनांक लिखकर तथा आवश्यक रजिस्टर में दर्ज करके अपने कार्यालय में रखे जायेंगे।

15–सामान्य भविष्य निधि में हुये धन में यदि कोई कार्मिक चाहे तो नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी अस्थाई ऋण स्वीकृत कर सकते हैं। इन ऋणों की स्वीकृति तथा उनकी वसूली की निम्नांकित विधि अपनाई जायेगी।

(1) साधारणतया ऋण का धनांक सम्बन्धित कार्मिक के तीन मास के वेतन अथवा उसकी निधि के आधे जो भी कम हो, अधिक न होगी। विशेष परिस्थितियों में नगर आयुक्त अथवा प्राधिकृत अधिकारी अपने स्वविवेक से अधिक धन भी दे सकते हैं। लेकिन वह धनराशि भविष्य निधि जमा धनराशि के आधे अथवा एक वर्ष के वेतन जो भी कम हो से अधिक नहीं होगी।

(2) यह ऋण कर्मचारियों को प्रायः ऐसे व्यय को वहन करने के लिये दिये जायेंगे, जिनका वहन करना उनके धार्मिक तथा सामाजिक बन्धनों के अन्तर्गत अनिवार्य हो। इन व्ययों में अपने तथा अपने परिवार को शिक्षा, उनके बीमारी विवाह अथवा, मृत्यु सम्बन्धी व्यय सम्मिलित होंगे।

(3) यह ऋण कार्मिक से 20 से लेकर 36 किस्तों में वसूल किये जायेंगे। इन ऋणों पर ब्याज के रूप में एक अतिरिक्त किस्त देय होगी।

(4) ऋण ब्याज सहित पूरा होने 12 महीने बाद दूसरा ऋण साधारणतया दिया जायेगा, परन्तु विशेष परिस्थितियों में दूसरा अग्रिम 12 माह के पूर्व भी दिया जा सकता है।

16–कोई भी कार्मिक अपनी जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम जमा करने हेतु अपने भविष्य निधि खाते से अग्रिम प्राप्त कर सकेगा।

17–किसी कार्मिक के खाते में सामान्य भविष्य निधि में जमा धन उसके नगर निगम की सेवा में निवृत्त होने पर लौटा दिया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि यदि कार्मिक चाहे तो सामान्य भविष्य निधि में अपने खाते में जमा धन को निम्नांकित कार्यों के लिये उल्लिखित प्रतिबन्धों के अनुसार नगर आयुक्त अथवा प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति से सेवानिवृत्ति होने से पूर्व भी निकाल सकता है।

(1) अपने निवास के लिये मकान बनाने, क्रय करने के लिये या इस सम्बन्ध में लिये गये ऋण को अदा करने के लिये अथवा लड़की/लड़के के विवाह करने के लिये–इन प्रयोजनों हेतु 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने या सेवा अवधि पूर्ण होने से 10 वर्ष से कम अवधि शेष रहने पर, छः माह का वेतन अथवा जमा धनराशि का अधिकतम 75 प्रतिशत तक निकाल सकता है।

(2) अपने आश्रित बच्चों की निम्नलिखित शिक्षा के लिये तीन महीने के वेतन या भविष्य निधि में जमा धन के आधे धन तक जो भी कम हो–

[क] विदेश में विद्या (Academic) औद्योगिक (Technical) कला सम्बन्धी (Professional) पाठ्यक्रमों के लिये, और ;

[ख] भारत में ऐसे चिकित्सा (Medical) अभियांत्रिक (Engineer) तथा अन्य औद्योगिक (Technical) अथवा विशिष्ट (Specialized) पाठ्यक्रमों के लिये जिनकी पढ़ाई का समय 3 वर्ष से अधिक हो और वह शिक्षा इण्टरमीडिएट के बाद ही हो, दोनों दशाओं में धन निकालने के लिये 6 माह के भीतर उसे नगर आयुक्त को संतोष दिलाना होगा कि धन उस कार्य में जिसके लिये वह निकाला गया था, प्रयोग कर लिया गया है।

ऐसे न करने पर अग्रिम लिया गया धन नगर आयुक्त को सामान्य निधि में उसके खाते में जमा करने के लिये लौटा देना होगा, जब तक कि नगर आयुक्त उस धन के प्रयोग का समय बढ़ा न दें। कार्मिक नगर आयुक्त को या तो व्यय के विषय में संतोष दिलाये अथवा बचा हुआ धन लौटाये अन्यथा नगर आयुक्त वह धन उसके वेतन से उचित किस्तों में वसूल करने के लिये सक्षम होंगे।

नोट–उक्त विनियम में यदि किसी बिन्दु पर अस्पष्टता की स्थिति बनती है तो उ0प्र0 राज्य सरकार के पेंशन उपादान तथा भविष्य निधि नियमों के अनुसार उक्त विनियम की व्याख्या की जा सकेगी। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पेंशन उपादान तथा भविष्य निधि नियमों में किये गये संशोधन नगर आयुक्त नगर निगम, मथुरा वृन्दावन, मथुरा के अनुमोदन के पश्चात् उसी तिथि से लागू किये जायेंगे।

रवीन्द्र कुमार मांदड़,
आई0ए0एस0,
नगर आयुक्त, नगर निगम,
मथुरा-वृन्दावन मथुरा।

सूचना

फर्म M/s. Ganpati Galaxy (Regd. No. VAR/0002125) गुरूबाग, वाराणसी से Mrs. Rekha M. Gabhawala का दिनांक 12 अगस्त, 2019 को Retirement हो गया है। तत्पश्चात् उसी दिन अर्थात् (12 अगस्त, 2019) को फर्म में एक नई साझेदार Mrs. Richa Kapoor शामिल हुई हैं तथा फर्म का नया पता बी-21/124-12-एस, सरजू नगर कालोनी, कमच्छा, वाराणसी, पिन कोड-221001, उ0प्र0 होगा।

इस सम्पूर्ण औपचारिकताओं का क्रियान्वयन साझेदारों की सर्वसम्मति से हुआ है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

SANJEEV KAPOOR,
Partner,
For-GANPATI GALAXY.

सूचना

मेसर्स चानन देवी एण्ड कम्पनी पता-111ए/6, अशोक नगर, कानपुर नगर की भागीदारी से स्व0 रंजीत सिंह पुत्र स्व0 ईश्वर सिंह, दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को फर्म की भागीदारी से अलग हो गये हैं। अतः इनका फर्म से किसी प्रकार का कोई लेना-देना नहीं है। दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से इस फर्म में रोमी सिंह, श्रीमती गुरमीत सिंह, समीर सिंह व करन सिंह साझेदार के रूप में हैं।

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण की गयी।

रोमी सिंह,
पार्टनर,
मेसर्स चानन देवी एण्ड कम्पनी,
111ए/6, अशोक नगर, कानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स अभी एसोसिएट्स, 56, फूलबाग कालोनी, गली नं0-03, एस0के0 रोड, मेरठ, उ0प्र0 पत्रावली संख्या 29730-एम की साझीदारीनामा दिनांक 15 जून, 2017 के अनुसार फर्म साझेदार 1–श्रीमती चन्द्रीका पत्नी श्री संजीव कुमार, निवासी-56, फूलबाग कालोनी, गली नं0-03, एस0के0 रोड, मेरठ, 2–अजय कुमार जैन पुत्र श्री कुन्दन लाल जैन, 121-मयूर विहार, फेस-1, ई-ब्लाक, शास्त्रीनगर, मेरठ एवं 3–श्रीमती शिवानी जैन पत्नी श्री अजय कुमार जैन, 121-मयूर विहार, ई-ब्लाक, शास्त्रीनगर, मेरठ थे। यह कि फर्म की संशोधित साझीदारीनाम दिनांक 01 जुलाई, 2020 के अनुसार साझीदार नं0-1 श्रीमती चन्द्रीका द्वारा अपनी पूर्ण सहमति व स्वेच्छा से फर्म भागेदारी समाप्त कर ली गयी है। फर्म में वर्तमान साझेदार नं0-1–श्री अजय कुमार जैन एवं 2–श्रीमती शिवानी जैन हैं।

यह कि फर्म की संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 01 जुलाई, 2020 द्वारा फर्म का मुख्य कार्यालय परिवर्तित कर 121-मयूर विहार, फेस-1, ई-ब्लाक, शास्त्रीनगर, मेरठ-250004, उ0प्र0, 201301 कर दिया गया है।

अजय कुमार जैन,
साझीदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 अनुभव इण्टरप्राईजेज, ग्राम–गरयाकोल, पो0–रियावं, तहसील–बांसगांव, जिला–गोरखपुर, उ0प्र0 नामक पंजीकृत संख्या जी-3943 फर्म में साझेदारी डीड, दिनांक 01 फरवरी, 2014 से श्री आशुतोष राठौर व श्री संजय कुमार सिंह, श्री प्रेम बहादुर, श्री यूगेश सिंह साझेदार थे। जिसमें से श्री प्रेम बहादुर की मृत्यु दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 को हो गयी है। उक्त फर्म में श्री प्रेम बहादुर की मृत्यु दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 के बाद से एवं साझेदारी डीड, दिनांक 26 फरवरी, 2016 से श्री संजय कुमार सिंह, श्री यूगेश सिंह व श्री आशुतोष राठौर साझेदार हैं। किसी का कोई लेन-देन बकाया नहीं है।

आशुतोष राठौर,
साझेदार,
मे0 अनुभव इण्टरप्राईजेज,
ग्राम–गरयाकोल, पो0–रियावं,
तहसील–बांसगांव, जिला–गोरखपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म सर्वश्री स्व0 मंगल सेठ एच0पी0 गैस ग्रामीण वितरक, जंगल पचरूखिया, जिला कुशीनगर, उ0प्र0 की साझेदारी, दिनांक 20 अगस्त, 2020 भंग हो गयी है। फर्म के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बकाया या विवाद नहीं है।

मारकण्डेय कुमार,
ग्राम पो0 जंगल पचरूखिया,
जिला–कुशीनगर।

सूचना

सूचित किया जाता है कि सर्वश्री फ्रेंड्स आटोमोबाइल्स, सर्राफ काम्प्लेक्स, सुमेर सागर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की साझीदार श्रीमती देवेंदर पॉल पत्नी स्व0 बलविंदर सिंह पॉल ने दिनांक 01 फरवरी, 2020 स्वयं साझीदारी से त्याग-पत्र दे दिया है इसके पश्चात् इनका इस फर्म से कोई लेना-देना नहीं है और न ही किसी प्रकार की क्रिया से कोई सम्बन्ध है।

विजय कुमार सिंह,
साझीदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स अरमामेन्ट सिक्योरिटी सर्विसेज, ए-117, सेक्टर-66, नोएडा, जिला–गौतमबुद्धनगर-201301 की साझीदारी में श्री राधेश्याम शर्मा, श्री सच्चिदानन्द एवं श्री नीरज कुमार शर्मा साझीदार थे। दिनांक 21 सितम्बर, 2011 को श्री नवीन कुमार शर्मा फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुए हैं। दिनांक 21 सितम्बर, 2011 को श्री राधेश्याम शर्मा फर्म की साझीदारी से अपना-अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गये। दिनांक 01 जुलाई, 2013 को श्री राधेश्याम शर्मा पूर्व साझीदार का स्वर्गवास हो चुका है। दिनांक 07 अगस्त, 2020 की संशोधित डीड के अनुसार फर्म का पता परिवर्तित "081जी0एफ0, सेक्टर-3, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर-201308" एवं साझीदारों के पते भी क्रमशः श्री नवीन कुमार शर्मा का "म0नं0-2, निकट दुर्गा मन्दिर, हिमायुंपुर, जेवर, थौरा, जिला-गौतमबुद्धनगर, श्री सच्चिदानन्द का "म0नं0-289, ब्लॉक डी, ऐस सिटी, नोएडा एक्सटेंशन, सेक्टर-3, ग्रेटर नोएडा जिला–गौतमबुद्धनगर" एवं श्री नीरज कुमार शर्मा का "म0नं0-37, निकट शिव मन्दिर, ग्राम औरगांबाद उर्फ हिमायुंपुर, पोस्ट थोरा, जेवर, जिला गौतमबुद्धनगर" परिवर्तित कर दिया गया है। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औरपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सच्चिदानन्द,
साझीदार,
मेसर्स अरमामेन्ट सिक्योरिटी सर्विसेज,
पूर्व पता–ए-117, सेक्टर-66, नोएडा,
जिला–गौतमबुद्धनगर-201301,
परिवर्तित पता–081जी0एफ0, सेक्टर-3,
ग्रेटर नोएडा, जिला–गौतमबुद्धनगर-201308।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि श्रीमंत गॉस्पेल प्रेस, सी-135, निरालानगर, लखनऊ-226020 की साझेदारी में श्री राजीव गोयल, श्रीमती उमारानी गोयल एवं श्रीमती अनुराधा रस्तोगी साझेदार थे। दिनांक 31 मार्च, 2019 को श्रीमती अनुराधा रस्तोगी ने साझेदारी के पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके स्थान पर श्री रोहन गोयल को साझेदार नामित किया गया है। अब वर्तमान में श्रीमंत गॉस्पेल प्रेस फर्म की साझेदारी में श्री राजीव गोयल, श्रीमती उमा रानी एवं श्री रोहन गोयल साझेदार हैं।

राजीव गोयल,
साझेदार, गॉस्पेल प्रेस,
सी-135, निरालानगर, लखनऊ।

सूचना

फर्म मेसर्स कानपुर ब्रेडिंग इण्डस्ट्रीज, 51/32-बी, फर्स्ट फ्लोर, रामगंज, कानपुर नगर में श्री अनुभव बाजपेई पुत्र श्री संजय बाजपेई, नि0 117/290 ब्लाक-एन, तुलसी नगर, काकादेव, कानपुर नगर, दिनांक 21 जनवरी, 2020 को रिटायर्ड हो गये हैं तथा दिनांक 22 जनवरी, 2020 से फर्म में मि0 वैभव तिवारी पुत्र श्री नन्द किशोर तिवारी, नि0 63/4 एन किंग्स मार्केट, दि माल, कानपुर नगर, मि0 शिवम पाण्डेय पुत्र श्री गया प्रसाद पाण्डेय, नि0 12, ख्यौरा, नवाबगंज, कानपुर नगर हैं।

वैभव तिवारी,
पार्टनर,
मेसर्स कानपुर ब्रेडिंग इण्डस्ट्रीज,
51/32-बी, फर्स्ट फ्लोर, रामगंज,
कानपुर नगर।

सूचना

फर्म मेसर्स–रनवीर सिंह ब्रदर्स आवास विकास, जी0टी0 रोड, छिबरामऊ, कन्नौज में दिनांक 20 जून, 2020 को श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री रनवीर सिंह, नि0 गढ़िया, मेरापुर, कन्नौज एवं श्री अनुराग गुप्ता पुत्र श्री दिनेश चन्द्र, नि0 नगरिया तालपार, सौरिख, कन्नौज एवं श्री अनुराग चतुर्वेदी पुत्र श्री हरिश चन्द्र चतुर्वेदी, नि0 इन्द्रा नगर, सौरिख कन्नौज सम्मिलित हो गये हैं तथा दिनांक 20 जून, 2020 को श्री अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री बनवारी लाल गुप्ता, नि0 ग्रा0पो0 खड़िनी, कन्नौज एवं श्री राम सनेही पुत्र श्री लल्लू लाल, नि0 नि0 ग्रा0पो0 खड़िनी, कन्नौज एवं श्री चन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री राम सिंह, नि0 नि0 ग्रा0 पो0 खड़िनी, कन्नौज एवं श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम स्वरूप गुप्ता नि0 नि0 ग्रा0पो0 खड़िनी, कन्नौज स्वेच्छा से हट गये हैं।

रनवीर सिंह,
पार्टनर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मै0 मन्त इन्फ्राबिल्ड स्थित जे0पी0 रोड निकट गहना ज्वैलर्स, पीलीभीत–262001 (पंजीकरण संख्या-बी-14517) फर्म में कुल 4 साझेदार अर्पित अग्रवाल, माधव गुप्ता, तरूनदीप सिंह सलूजा, नितेन्द्र नाथ मिश्रा थे। साझेदारों की रजामन्दी से दिनांक 01 अप्रैल, 2020 को फर्म में 2 साझेदार अर्पित अग्रवाल एवं नितेन्द्र नाथ मिश्रा अपनी स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करके अलग हो गये हैं एवं

साझेदारों का सारा हिसाब-किताब चुकता हो गया है। किसी प्रकार का साझेदार फर्म पर या फर्म का साझेदारों पर कोई लेन-देन बकाया नहीं रह गया है। अब फर्म में कुल 2 साझेदार (1) तरूनदीप सिंह सलूजा (2) माधव गुप्ता हैं तथा फर्म में एवं साझेदारों में किसी भी प्रकार का कोई वाद-विवाद नहीं है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें पूरी कर ली गयी है।

तरूनदीप सिंह सलूजा,
मै0 मन्त इन्फ्राविल्ड, जे0पी0 रोड,
पीलीभीत।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शिवम फास्टनरस, पता के0सी0-137, कवि नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की पार्टनशिप 28 सितम्बर, 2017 को हुई थी, इसमें क्रमशः दो साझेदार श्री पारस गोयल पुत्र श्री देवेन्द्र गोयल व श्री संजय बंसल पुत्र स्व0 राजेन्द्र प्रसाद बंसल थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2020 को नये साझेदार श्री अरविन्द बंसल पुत्र स्व0 राजेन्द्र प्रसाद बंसल स्वेच्छा से इस फर्म में नये साझेदार आये हैं तथा अब इस फर्म में क्रमशः तीन साझेदार हो गये हैं। 1–श्री पारस गोयल पुत्र श्री देवेन्द्र गोयल, 2–श्री संजय बंसल पुत्र स्व0 राजेन्द्र प्रसाद बंसल, 3–श्री अरविन्द बंसल पुत्र स्व0 राजेन्द्र प्रसाद बंसल साझेदार हो गये हैं तथा अगर इस विषय में किसी को कोई आपत्ति हो तो 15 दिनों के अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करें।

पारस गोयल,
साझेदार,
मेसर्स शिवम फास्टनरस,
के0सी0-137, कवि नगर,
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स शिवा स्कूटर एजेन्सी, पता ई-18-न्यू आर्य नगर, मेरठ रोड, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की पार्टनशिप 01 अप्रैल, 2003 को हुई थी, इसमें क्रमशः तीन साझेदार श्री अनिल कुमार गर्ग व श्रीमती वीना गर्ग व श्री अमित कुमार गर्ग थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2020 को साझेदार श्री अनिल कुमार गर्ग स्वेच्छा से इस फर्म से अलग हो गये हैं तथा इनका फर्म से कोई लेना-देना बकाया नहीं है तथा अब इस फर्म में श्रीमती वीना गर्ग पत्नी श्री अनिल कुमार गर्ग व श्री अमित कुमार गर्ग पुत्र श्री अनिल कुमार गर्ग साझेदार हो गये हैं तथा अगर इस विषय में किसी को कोई आपत्ति हो तो 15 दिनों के अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करें।

श्रीमती वीना गर्ग,
साझेदार,
मेसर्स शिवा स्कूटर एजेन्सी,
ई-18-न्यू आर्य नगर, मेरठ रोड,
जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म सनस्टार सिक्योरिटीज, रजिस्टर आफिस बी-49/7, साइट-4 साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010।

1–उपरोक्त फर्म में दिनांक 26 जून, 2020 तक श्री सुनील कुमार मलिक, S/o श्री भूषण लाल मलिक और श्री अतुल सरीन S/o श्री कैलाश चन्दर पार्टनर थे।

2–उपरोक्त फर्म में दिनांक 26 जून, 2020 से पार्टनर श्री सुनील कुमार मलिक, S/o श्री भूषण लाल मलिक स्वेच्छा से निकाले गये तथा पार्टनर श्री रंजीत सिंह ठाकुर S/o श्री सुखराम ठाकुर, दिनांक 26 जून, 2020 से सम्मिलित हो गये हैं।

3–वर्तमान में उपरोक्त फर्म में और श्री अतुल सरीन S/o श्री कैलाश चन्दर तथा पार्टनर श्री रंजीत सिंह ठाकुर S/o श्री सुखराम ठाकुर पार्टनर हैं।

श्री सुनील कुमार मलिक,
पार्टनर।

पी0एस0यू0पी0–23 हिन्दी गजट–भाग 8-2020 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0 प्र0, प्रयागराज।